खण्ड-108, अंक-3
गुरूवार, 13 भाद्रपद, शक संवत् 1874
(4 सितम्बर, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 108 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

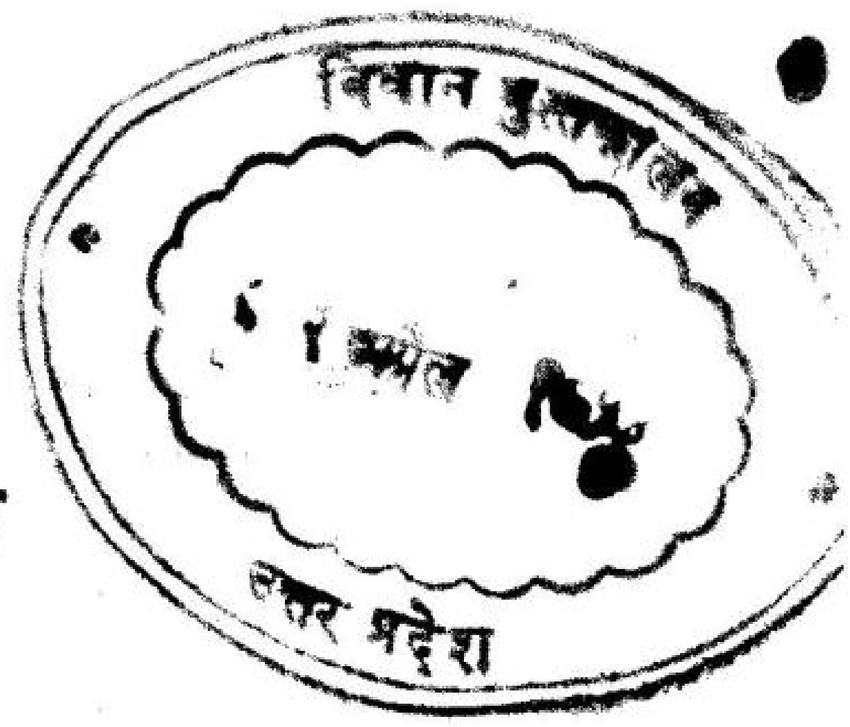

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ४ सितम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा–मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता ब्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
काली चरण टण्डन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम , श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त , श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखण्डेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री

भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ाँ, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां श्री (रामपुर)
महमूद अली खा, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल , श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नुलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, हाफ़िज़ श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंञ्जय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री

रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
तुलफ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारीलाल मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवबचन राव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
साफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्य बली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सामाजिक असमर्थताओं को दूर करने के अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत जिलाधीशों से परामर्श

*१—श्री भगवानदीन वाल्मीकि (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिमूवल आफ सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट कब और किस तिथि को प्रकाशित किया गया था ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—१२ जूलाई, १९४७ ।

*२—श्री भगवानदीन वाल्मीकि—क्या यह सही है कि सरकार ने रिमूवल आफ सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत रूल्स बनाने के निमित्त प्रत्येक जिले के जिलाधीशों से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट और रायें मांगी थी ? यदि उत्तर हां में है तो किन-किन जिलों से रायें आयीं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, रायें बिजनौर, प्रतापगढ़, बलिया मुरादाबाद, गढ़वाल, बहराइच, सहारनपुर, मैनपुरी अलीगढ़, बाराबंकी, गाजीपुर सीतापुर, बदायूं, सुल्तानपुर, मेरठ, जालौन, बस्ती, गोरखपुर मुजफ्फरनगर और लखनऊ से आई थी ।

श्री भगवानदीन वाल्मीकि—जिन जिलों से अब तक रायें नहीं आई हैं सरकार द्वारा उनके प्रति क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्व सिंह)—उनसे फिर राय मांगी जायगी

श्री भगवानदीन वाल्मीकि—जो रायें सरकार के पास आ चुकी हैं उनके प्रकाश में क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यही रायें १९४७–४८ में भी आई थीं ?

डाक्टर सीताराम—तभी से आना शुरू हो गई थीं ।

*३—श्री भगवानदीन वाल्मीकि—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रिमूवल आफ सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट को संशोधित करने का वह विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या भारत के सभी मेजर सूबों में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा सूबा है जिसमें रिमूवल आफ सोशल डिसएबिलिटीज ऐक्ट कौगनीजीबिल आफेन्स नहीं है ?

श्री हरगोबिन्द सिंह—इसकी सूचना नहीं है ।

गवर्नमेंट प्रेसीजन इन्स्ट्रमेंट फैक्ट्री के संबंध में विधान सभा के सदस्यों की रिपोर्ट

*४—श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या कुछ विधान सभा के सदस्यों ने गवर्नमेंट प्रेसीजन इन्सट्रूमेंटे फैक्टरी के संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट दी है ? क्या सरकार उस रिपोर्ट की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)—जी हां । प्रत्येक रिपोर्ट की प्रतिलिप मेज़ पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४५ पर)

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि इस प्रेसीजन फैक्टरी में अब तक कितनी केपिटल इन्वेस्ट की गई है और कितने दिन से वह फैक्टरी चल रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---१९-२० लाख रुपया लगा होगा, एक्जैक्ट फिगर इस वक्त मालूम नहीं है। ५१ से वाकई तौर पर चालू है।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कितने लोग ट्रेनिंग पा रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (जिला हरदोई)---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इस फैक्टरी में अब तक क्या-क्या सामान तैयार किया गया ?

श्री हुकुम सिंह---वाटर मीटर, माईक्रास्कोप, और रेडियो सैट्स तैयार किये गये।

श्री राधाकृष्ण अग्रवाल---क्या यह सही है कि वाटर मीटर जो इस फैक्टरी ने तैयार किये वे अलीपुर फैक्टरी ने खराब करार दे दिये ?

श्री हुकुम सिंह--- ऐसी कोई सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि जो सामान इस फैक्टरी में तैयार होता है वह कीमत के लिहाज से और क्वालिटी से जो सामान बाहर से आता है उसके मुकाबिले में बेहतर है या बदतर है ?

श्री हुकुम सिंह---गिरता हुआ तो नजर नहीं आता।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि जो प्राडक्ट्स इस कम्पनी में से निकलती हैं उनको इम्प्रूव करने की वह सोच रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह---इम्प्रूव करने के लिये तो मैं हमेशा ही सोचा करता हूं।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि फैक्टरी घाटे पर चल रही है या मुनाफे पर ?

श्री हुकुम सिंह---अभी मुनाफा तो नहीं हुआ।

श्री राधा कृष्ण अग्रवाल---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इस फैक्टरी द्वारा कितना-कितना सामान तैयार हुआ और कितना-कितना सामान बेचा गया ?

श्री हुकुम सिंह---ऐसे ही एक प्रश्न का उत्तर में गत गुरुवार को दे चुका हूं वह फिगर्स इस समय मेरे पास नहीं है। इसलिये नोटिस की आसश्यकता है।

तारांकित प्रश्न

नैनीताल जिले में शिल्पकारों को दी गई भूमि

*१---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के मुनरारेंज चन्दादेवी, शिल्पकार कालोनी में जो जर्मन शिल्पकारों के लिये जंगलात से खारिज की गई है उसमें से कितनी आबादी लायक है और कितनी खराब है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---१९७ एकड़ भूमि आबादी लायक है और शेष ४० एकड़, यद्यपि आबादी लायक नहीं है, गोचर के काम में लाई जा सकती है।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कालोनी का मौका किस आफिसर के मार्फत कराया गया था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसका मौका जंगलात विभाग से भी और माल विभाग से भी कराया गया था ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि रेंजर साहब ने रिपोर्ट दी थी कि चौथाई हिस्से से ज्यादा आबादी के लायक नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि जब तक यह शिल्पकार कोलोनी आबाद नहीं हो जाती तब तक और कोई प्रबंध नहीं किया जा सकता ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह आबाद हो चुकी है। आप वैसे ही कह रहे हैं जितनी ऐकड़ भूमि मैंने बताई है वह आबाद हो चुकी है।

*२---श्री खुशी राम---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इसी शिल्पकार कोलोनी के आस-पास की भूमि पानी के सिंचाई से आबाद है पर शिल्पकार कोलोनी के शिल्पकारों को पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इस कोलोनी के निवासी एक निकटवर्ती सोते से पीने का पानी प्राप्त करते हैं। आस पास के गांव वालों को भी पानी इसी सोत से निकाली हुई दो गूलों द्वारा मिलता है ।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिल्पकार कालोनी आबादी की सिंचाई पानी से होती है या बिना पानी के खेती होती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---बिना पानी के।

श्री खुशीराम---क्या उस कालोनी के आस पास सिंचाई होती है या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैं पहले कह चुका हूं कि वहां पर बगैर पानी के कोई सिंचाई हो नहीं सकती है । वहां खेत ही वैसे हैं जो बगैर पानी के होते हैं। उसके आस पास जो गांव हैं उनमें तो गूल हैं जिनसे पानी जाता है। वह इस गांव की कालोनी के बाहर ह।

*३---श्री खुशीराम---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस कालोनी के लिये सरकार ने शिल्पकारों को आबादी करने के लिये क्या-क्या सुविधायें दी हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---सरकार ने इस कोलोनी के लिये निम्नलिखित सुविधायें दी हैं :

(१) शिल्पकारों से प्रथम ३ वर्षों में कोई लगान नहीं लिया गया है।

(२) इस कालोनी के रहने वालों को निकटवर्ती सुरक्षित वनों से और ग्रामों के निवासियों की तरह रिआयतें दी जाती हैं।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सहूलियतें इस कोलोनी के शिल्पकारों को दी जाती हैं क्या वह सहूलियत आस पास के लोगों को भी दी जाती हैं ?

श्री जगमोहन सिंह—नेगी—जैसे कि वे लोग लगान देते ही नहीं हैं, यह सुविधा उन्हीं को दी गई है औरों को नहीं।

*४—६—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

[देखिये आगे पृष्ठ..२०१...पर]

चीनी के नये कारखाने खोलने के लिये लाइसेंस

*७—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि चीनी के नये कारखाने खोलने के लिये लाइसेंस दिये जा रहे हैं? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी नहीं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार यह बतालने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में चीनी का उत्पादन कितने हजार टन होता है ?

श्री हुकुम सिंह—लाख टन अब की पैदा किया था।

*८—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में जो चीनी के कारखाने हैं उनमें कितने कोआपरेटिव बेसिस पर चल रहे हैं और उनमें कितने मजदूर काम करते हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इस प्रदेश में कोई भी चीनी का मिल कोआपरेटिव बेसिस पर नहीं चल रहा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार के पास कोई ऐसी दरख्वास्त आई है कि जिसमें निवेदन किया है कि कठकुइयां चीनी मिल को कोआपरेटिव बेसिस पर चलाया जाय!

श्री हुकुम सिंह—मैं इसके लिये नोटिस चाहता हूं। मेरे पास इस वक्त इसका जवाब नहीं है।

श्री भगवान सहाय—नई चीनी मिलों के खोलने के बारे में सरकार का क्या विचार है?

श्री हुकुम सिंह—केन्द्रीय सरकार से इजाजत होती है तभी खुल सकती है।

पूर्वी जिलों के किसानों को चीनी के मिल मालिकों से गन्ने के बकाया के स्थान पर दिलाना

*९—श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार मिल मालिकों को ऐसा आदेश देने को तैयार है कि पूर्वी जिलों में जिन आपत्तिग्रस्त किसानों का गन्ने का रुपया बाकी है, उस रुपये के बदले में किसानों को या गन्ना सोसाइटियों को चीनी दे दी जावे और वे चीनी बेच कर अपना रुपया प्राप्त कर लें?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—सरकार ने संबंधित सब ही जिलाधीशों को यह अधिकार दिया है कि यदि गन्ना उगाने वाले तथा सहकारिता संस्थायें अपने बेंचे हुये गन्ने के मूल्य रूप चीनी लेना चाहें तो उन्हें जिले के लिये निर्धारित कोटे में से जो कि मिलों के पास से उठाया न गया हो एक्स फैक्टरी दर पर चीनी खरीदने की सुविधा प्रदान की जावे।

श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस आज्ञा में चीनी मार्केट रेट से न दे करके एक्स मिल रेट से देने की आज्ञा क्यों दी गई?

श्री हुकुम सिंह—उनके हित में यही ठीक था।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि मिल-मालिकों को जो यह सहूलियत दी गई है कि वह कीमत नकद रुपये में न दे कर चीनी में दे सकते हैं उसका बहुत बड़ा मिसयूज़ हो रहा है?

श्री हुकुम सिंह---नहीं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी को इसकी खबर है कि प्रदेश की कई मिलों ने गन्ने के दाम चीनी में किसानों को दिये हैं?

श्री हुकुम सिंह---आदेश दिये गये हैं। गालिबन जरूर दिये गये।

श्री नेकरान शर्मा---क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जितना कोटा नियत है वह मिलों से सरकार नहीं उठा रही है?

श्री हुकुम सिंह---नहीं यह पता नहीं है।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार यह जानती है कि मिलमालिकों के चीनी की सूरत में कीमत अदा करने से खंडसारी जो काटेज इंडस्ट्री है उसको नुक्सान पहुंचा है?

श्री हुकुम सिंह---जी नहीं। मुझे इत्तिला नहीं है कि नुक्सान पहुंचा है या नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार इस मसले पर गौर करने के लिये तैयार है कि चीनी शकर के मुकाबिले में खंडसारी शक्कर को किसी अमल से नुक्सान न पहुंचने पाये?

श्री हुकुम सिंह---पहले किसानों का रुपया अदा हो जाय, तब इस पर सोचेंगे।

अनैतिकता के अपराध में सरकारी पदाधिकारियों पर चलाये गये अभियोग

*१०---श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९५१ में अनैतिकता के अपराध में कितने सरकारी अफ़सरों पर केस चलाये गये हैं और उनके अब तक क्या परिणाम रहे?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---सन् १९५१ में १९ सरकारी अफ़सरों के खिलाफ अनैतिकता के अपराध में कार्रवाई की गई। इनमें से ८ नौकरी से अलग किये गये एक का पद घटाया गया, एक का वेतन घटाया गया, २ निर्दोष सिद्ध हुये तथा ७ के मामले अभी विचाराधीन हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किन अभियोगों के अन्तर्गत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---एक के खिलाफ तो एक लड़की के मामले में कुछ बदचलनी की बात थी। दूसरे के खिलाफ एक ईमानदारी के खिलाफ अमल करने की बात थी। तीसरे के खिलाफ भी यही था, "डाउटफुल इंटेग्रिटी"। चौथे के खिलाफ रिश्वतखोरी और कुछ औरतों को इधर-उधर बेचने में किसी तरह से उसमें शिरकत का शुबहा है। पांचवें, छठवें और सातवें के खिलाफ कुछ रिश्वत के चार्ज थे। आठवें के खिलाफ भी रिश्वत की बात थी। नौवें के खिलाफ टी० ए० बिल गलत देने का चार्ज था। दसवें के खिलाफ भी टी० ए० बिल गलत देने की बात थी। ग्यारहवें के खिलाफ पेट्रोल के बेजा इस्तेमाल करने और गलत मस्टर रोल बनाने का चार्ज था। बारहवें के खिलाफ रिश्वतखोरी की बात थी। तेरहवें के खिलाफ कुछ किसी ठेकेदार से घी और मछली लेने का चार्ज था। चौदहवें के खिलाफ कुछ सरकारी रुपये के ग़बन का चार्ज था। पंद्रहवें के खिलाफ कुछ सरकारी लकड़ी के बेजा

इस्तेमाल का चार्ज था। सोलहवें के खिलाफ कुछ जाती बदचलनी की बात थी और सत्रहवें के खिलाफ भी। अठारहवें के खिलाफ कुछ निजी नौकर रख कर अर्दली की तरह उसकी तनख्वाह वसूल करने का चार्ज था और दूसरे के खिलाफ रिश्वतखोरी का चार्ज था।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें पुलिस विभाग के कितने आदमी थे ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—पुलिस विभाग के आदमी ३ थे।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इसमें कितने गजटेड और कितने नान-गजटेड अफ़सरान हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—ये सब गजटेड आफिसर्स हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सारी कार्रवाई विभागीय तौर पर हुई या अदालतों में भेजी गयी ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—कुछ अदालतों में हुई, कुछ विभागीय तौर पर हुई।

परिगणित जाति के जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों की संख्या

*११—**श्री पुत्तूलाल** (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में परिगणित जातीय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितने हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—१७३ जुडिशियल अफसरों में ४६ अफ़सर ऐसे हैं जो अधिकतर ऐडवाइजरी शासनकाल में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों, आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टरों रिटायर्ड अफ़सरों मे से रेवेन्यू अफसरों के रुप में भर्ती किये गये थे। इनमें से कोई भी अनुसूचित जाति का नहीं है। शेष १२४ अफ़सरों में से, ७ उन रियासतों के अफ़सर थे जो उत्तर प्रदेश में विलीन कर दी गयी हैं। बाक़ी ११७ जुडीशियल अफ़सरों में से ५३ उन उम्मीदवारों में से लिये गये थे जो १६४०, १६४१, १६४२, १६४३, १६४५, १६४६, १६४७ और १६५० ई० की मुंसिफी की परीक्षाओं के आधार पर उपयुक्त समझे जाने पर नियुक्त नहीं किये जा सके थे, और ५८ अफसर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विशेष रूप से जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों और रेवेन्यू अफसरों की भर्ती के लिये १६४८ ई० में ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किये गये थे। अनुसूचित जाति के बहुत कम लड़के इन परीक्षाओं में बैठे और १६४७ तथा १६५० को छोड़कर, जब उनमें से एक उम्मीदवार ने अनर्हता प्राप्त की थी और उन्हें मुंसिफ नियुक्त कर दिया गया था, शेष वर्षों की परीक्षाओं में किसी भी उम्मीदवार ने अनर्हता प्राप्त नहीं की। इसलिये अनसूचित जाति का कोई भी अनर्हता प्राप्त (क्वालिफाइड) उम्मीदवार जुडीशियल अफसर नियुक्त किये जाने के लिये नहीं मिला। शेष ६ जुडीशियल अफसर पब्लिक सर्विस कमीशन के सिफारिश के आधार पर कुमायूं डिवीज़न के लिये भर्ती किये गये थे। अनुसूचित जाति के किसी भी उम्मीदवार ने इन जगहों के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन के पास आवेदन पत्र नहीं भेजा।

श्री पुत्तूलाल—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि ४०, ४१, ४२, ४३, ४५, ४६, ४७ तथा ५० में मुंसिफी की परीक्षाओं में कितने हरिजन विद्यार्थी इम्तहान में शरीक हुये ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मैं समझता हूं कि बहुत कम हुये। मैं आपको पूरी संख्या तो नहीं बता सकता, मगर मैंने जहां तक मालूम किया बहुत कम, किसी साल कोई भी नहीं, और किसी साल शायद दो एक रहे हों। मगर उनकी जगह इतनी नीचे थी कि उन को क्वालीफाइड में भी नहीं रखा और पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐज ए रूल उनका इंटरव्यू नहीं किया।

श्री पुत्तूलाल---क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जुडिशियल आफिसर्स के लिये नियमित योग्यता ला ग्रैजुएट के अलावा कुछ और भी होती है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---जुडिशिल आफिसर्स के लिये यह वांछनीय है कि उनको कुछ प्रैक्टिस भी हो और ला का उन्हें इल्म भी हो।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन परीक्षाओं के लिये हरिजन उम्मीदवारों के संबंध में कोई विज्ञापन कराया गया था ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---जहां पर उनकी रिजर्व सीट्स होती हैं वहां पर रिजर्व का जिक्र किया जाता है । असल बात यह है कि हरिजन उम्मीदवार पहले वकालत बहुत कम करते थे । एल० एल० बी० में भी कम पास होते थे । इसलिये इस किस्म की सर्विसेज के लिये मिलते नहीं थे । इसीलिये हमने यह नियम बनाया है कि जितने भी ला पढ़ने वाले हरिजन लड़के हों, उन सबको काफी वजीफा मिले ताकि वह वकालत भी कर सकें और इस तरह की सर्विसेज में भी आ सकें ।

तेल पेरने के कोल्हुओं का वितरण

*१२---**श्री गंगा प्रसाद सिंह** (जिला बलिया)---क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्ष में कितने व्यक्तियों को कितने तेल पेरने के कोल्हू इस प्रदेश में प्रदान किये गये थे ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---इस प्रदेश में गत ५ वर्षों में प्रदान किये जाने वाले कोल्हुओं की संख्या ११७९ है।

यह कोल्हू ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत तथा तकावी पर दिये गये । ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले कोल्हुओं की संख्या २०२ है जो २०२ व्यक्तियों को प्रदान किये गये । तकावी पर कोल्हू के लिये ६ से कम व्यक्ति मिल कर एक बाण्ड (bond) भरते हैं जो जिलाधीश के पास सुरक्षित रहते हैं। प्रत्येक बान्ड पर एक कोल्हू दिया जाता है । इस प्रकार से ९७७ कोल्हू दिये गये।

श्री गंगा प्रसाद सिंह---क्या उद्योग मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि जो ९७७ कोल्हू बान्ड पर दिये गये उन ९७७ बान्ड्स पर मिनजुमला कितने आदमियों ने दस्तख़त किये और उनमें से कितने बांड्स ऐसे हैं जो २ से ज्यादा और ६ से कम आदमियों ने मिल कर भरे हैं और कितने बान्ड्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक आदमी ने भरा है ?

श्री हुकुम सिंह---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार को मालूम है कि जो कोल्हू दिये गये वे डिफ़ेक्टिव थे और लोगों ने बांड्स भरने के बावजूद भी उन्हें नहीं उठाया मगर उनसे रुपया वसूल किया जा रहा है ?

श्री हुकुम सिंह---नहीं मालूम ।

*१३---**श्री गंगा प्रसाद सिंह**---क्या उद्योग मंत्री को यह ज्ञात है कि उन कोल्हुओं में से कुछ बेचे गये ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्हें कोल्हू दिये गये थे और जिन्होंने उन्हें बेच दिया क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---सरकार के पास ऐसी कोई सूचना या शिकायत नहीं आई जिससे मालूम हो कि किसी ने कोल्हू बेचे हों अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रकार जो कोल्हू दिये गये हैं उनमें से बहुत से कोल्हू बेकार पड़े हुये हैं और बावजूद बेकार पड़े रहने के भी उन लोगों से रुपया वसूल किया जाता है ?

श्री हुकुम सिंह—जिन्होंने नहीं चलाये हैं उनसे रुपया वसूल किया जाता है ।

*१४—**श्री गंगा प्रसाद सिंह**—क्या यह सच है कि इन कोल्हू पाने वालों को कुछ रुपये भी दिये गये थे ? यदि हां, तो दी गयी रक़म की वसूली के लिये सरकार का क्या प्रबंध कर रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां। रक़म की वसूली के लिये कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध पंच निर्णय द्वारा तथा कुछ के विरुद्ध जिलाधीशों द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन की इमारतों का सरकार द्वारा लेना

*१५—**श्री उमाशंकर तिवारी** (जिला बनारस)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह कैसरबाग लखनऊ की उन इमारतों को जो ब्रिटिश इण्डियन जमींदार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की देख-रेख के लिये दी गयी थी लेने का विचार कर रही है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—इस समय सरकार के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

श्री उमाशंकर तिवारी—क्या सरकार कैसरबाग की इमारतों को ताल्लुकेदारों से लेना उचित समझती है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—सरकार को कोई दिला दे तो लेने में कोई उज्र नहीं है।

*१६—**श्री उमाशंकर तिवारी**—अगर हां, तो क्या उसमें विधान सभा के सदस्यों के रहने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—यह प्रश्न ही नहीं उठता।

*१७—**श्री विष्णुदयाल वर्मा** (जिला मैनपुरी)—[३ सितम्बर, १९५२ के लिये संख्या ४५ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले के जमींदारों को निजी जंगल व हरे पेड़ काटने के परमिट

*१८—**श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय सरकार द्वारा निज के जंगल , बाग़ और कुछ हरे पेड़ों को कटाने पर, किस लक्ष्य से प्रतिबन्ध लगाये गये थे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—निजी जंगल और बाग़ों में पेड़ काटने पर प्रतिबन्ध लगाने का कारण उन जंगलों और बाग़ों की सुरक्षा और उनका नियमित रूप से बिकास करना था।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय भी हरे बाग़ प्रान्त में काटे जा रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ऐसी कोई बात नहीं है । जिन पेड़ों में फल नहीं लगते हैं उन्हीं को काटने की इजाजत दी जाती है या कुकाट काटे जाते हैं जो लिस्ट में नहीं हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जो लोग हरे पेड़ काट रहे हैं उनके विरुद्ध कौन सा मुहकमा कार्यवाही करता है, पुलिस या जंगलात ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---कुछ लिस्टेड पेड़ हैं उन्हीं को काटने की मुमानियत है अन्य की नहीं।

श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय---क्या कुछ जंगलात के मालिकों को इस आधार पर अधिकार दिया गया है कि वह जंगलों को काट कर पेड़ लगवायें।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि पुनः बाग़ लगाने के लिये जितने रद्दी पेड़ हैं या जिनमें अच्छे फल नहीं लगते हैं वहां पर इम्प्रूव वैरायटी के पेड़ लगाने के लिये इजाजत दी गयी थी।

*१९---**श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में सन् १९५१ से जून , सन् १९५२ ई० तक किन किन ज़मींदारों को कौन कौन से जंगल और बाग़ काटने के लिये किस आधार पर परमिट प्रदान किये गये ?

श्री जगमोंहन सिंह नेगी---एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४७ पर)

श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन जंगलों और बाग़ों को काटने के हेतु सरकार ने संबंधित मालिकों को आज्ञा प्रदान कर दी और जिन जंगलों और बाग़ों को उन्होंने काटा है उससे जंगलों का विनाश हुआ है या विकास ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जहां पर भी ऐसे सूखे पेड़ों को काटने की सरकार ने आज्ञा दी है वहां पर उनसे नये पेड़ लगाने पर भी जोर दिया गया है और उसके लिये ज़मानत भी रखी जाती है कुछ रुपयों में।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (ज़िला गोंडा)---क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतलायेगी? कि जितने सूखे पेड़ काटे गये उनके एवज में दूसरे पेड़ हुक्म के मुताबिक लगाये गये या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह तो उम्मीद की जाती है कि नये पेड़ लगाये गये होंगे क्योंकि किसी से ५०० और किसी से १००० रु० जमा करा लिये जाते हैं । अगर नहीं लगाये होंगे तो वह रुपये जब्त हों जाते हैं और सरकार की तरफ़ से लगाये जाते हैं।

* २०---**श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय**---जिन जिन जंगलों और बाग़ों को कटाने की अनुमति प्रदान की गयी, क्या सरकार के पास उसकी मालियत का भी कोई विवरण पत्र है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी नहीं।

सरकारी अफसरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी अभियोग

*२१---**श्री पुत्तूलाल**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गत दो वर्ष में कितने सरकारी अफ़सरान के ऊपर भ्रष्टाचार संबंधी मुक़द्दमे चलाये गये ? उनमें से कितनों को सज़ा मिली और कितनों को निर्दोष साबित किया गया ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---गत दो वर्षों में ३४ सरकारी अफ़सरों के ऊपर भ्रष्टाचार संबंधी कार्यवाही की गई। इनमें से १२ को सज़ा मिली, ६ निर्दोष साबित किये गये और १६ के मामले अभी विचाराधीन हैं।

श्री पुत्तूलाल---क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि यह ३४ सरकारी आफिसर्स किस किस विभाग के हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---पहले तो इंडस्ट्री के थे, दूसरे रिलीफ एंड रिहैबीलिटेशन के १७ पी० डब्ल्यू० डी० के, ८ अपौइंटमेंट के, ३ मेडिकल एक पुलिस और एक होम डिपार्टमेंट के हैं ।

श्री पुत्तूलाल---क्या यह बात सच है कि बहुत से भ्रष्टाचारी सरकारी अफसरों को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऊपर ही निकाल दिया जाता है और कोई मुक़द्दमा उनके ऊपर नहीं चलाया जाता है ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---कभी मुक़द्दमा चलाया जाता है और कभी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं मगर मुक़द्दमा चलाने का जो तजुर्बा होता है वह हिम्मत बढ़ाने वाला नहीं होता है ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मुलाजिमान निर्दोष साबित किये गये हैं उनकी पूरी तनख्वाह दी गयी थी या नहीं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जो पूरे निर्दोष होते हैं उनको पूरी तनख्वाह दी जाती है जिनके बारे में शुबहा होते हैं कि वह निर्दोष नहीं थे और साबित नहीं होता है उनको ससपेंशन के जमाने की तनख्वाह कम दी जाती है ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार की जांच उसी विभाग के कर्मचारियों द्वारा होती है जिस विभाग का वह अधिकारी होता है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---कभी ऐसा भी होता है और कभी दूसरों के जरिये भी कराई जाती है ।

आप की इजाजत हो तो इसी संबंध में मैं कुछ शब्द कह दूं । गेंदा सिंह जी का भी सवाल इसी संबंध में था । उन लोगों पर डिपार्टमेंटल कार्यवाही हुई और अदालती कार्यवाही भी हुई । अदालती कार्यवाही से जो मानी निकलते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रायबुनल के सामने जाने की बात थी वह गवर्नमेंट के सामने पेंडिंग है । इसमें कोई ग़लतफहमी न हो जाय इसलिये मैंने यह सफाई की ।

बुढ़वल शुगर मिल, बाराबंकी द्वारा गन्ने का मूल्य चुकाने में बिलम्ब

* २२---श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---क्या यह सत्य है कि बुढ़वल शुगर मिल, बाराबंकी, काश्तकारों को गन्ने का मूल्य नहीं दे रही है ।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री---जी नहीं ।

*२३---श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)---क्या बुढ़वल शुगर मिल ने अभी तक ८ मई, ५२ से पूर्व खरीदे गये गन्ने का मूल्य नहीं दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने मिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जी नहीं ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)---इस प्रश्न के पहले भाग में "बुढ़वल शुगर मिल ने अभी तक ८ मई, ५२ से पूर्व खरीदे गये गन्ने का मूल्य नहीं दिया है" इसका जवाब तो सरकार ने दिया है लेकिन दूसरे भाग "यदि हां, तो सरकार ने मिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की," इसका उत्तर नहीं दिया ।

अध्यक्ष ---पहले उत्तर से ही दूसरे भाग का उत्तर निकल आता है । जब सरकार ने कह दिया कि जी नहीं तो दूसरे की जरूरत ही नहीं रह जाती । यह वह कह सकते थे कि दूसरा हिस्सा उठता ही नहीं लेकिन यह समझ लेने की बात थी ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल(बाराबंकी)---क्या यह सत्य है कि अब भी इस शुगर मिल में लगभग १० लाख रुपये काश्तकारों को देना शेष है ?

श्री हुकुम सिंह---सत्य है ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल---(बाराबंकी) क्या सरकार को यह बात ज्ञात है कि गन्ने के मूल्य के एवज में जो शकर दी जा रही है उसका कंट्रोल रेट लगभग २६ रु० प्रति मन है जब कि वह बाजार में उसका भाव ३१ रुपये प्रति मन है ?

श्री हुकुम सिंह---यह नहीं मालूम है ।

श्री धनुषधारी पांडेय ---क्या सरकार इसकी जांच करने को तैयार है कि जो किसानों को चीनी दी जा रही है वह किस दर पर दी जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह---एक्स फक्टरी रेट पर दी जा रही है यही हुक्म है ।

१९४७-४८ से १९५१-५२ तक प्रति वर्ष गुड़ का उत्पादन

*२४---श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)---क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४७-४८ से १९५१-५२ की अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष कितने मन गन्ने का गुड़ बनाया गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---सन् १९४७-४८ से १९५१-५२ की अवधि में उत्तर प्रदेश में अनुमानत: ३०० करोड़ मन गन्ने का गुड़ बनाया गया ।

श्री रमेश वर्मा---जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने पेश किये हैं क्या वह बतलायेंगे कि प्रति वर्ष अलेहदा-अलेहदा कितने मन गन्ने का गुड़ बनाया गया ?

श्री हुकुम सिंह---४८---४९ में १४.९३. करोड़ मन
४९---५० में १४.३६ ,, ,,
५०---५१ में १६.४३ ,, ,,
५१---५२ में २४.५० ,, ,,

*२५---श्री रमेश वर्मा---पूर्वोक्त अवधि में बने हुये गुड़ की वार्षिक तादाद क्या रही ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी---लगभग ६० करोड़ मन।

श्री रमेश वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह ६० करोड़ मन गुड़ जो दिया गया है वह प्रति वर्ष अलग अलग कितना तैयार हुआ ?

अध्यक्ष---इसी का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया। आप ने पहिले उत्तर मांगा था कि ३०० करोड़ मन गन्ने का गुड़ बनाया गया वह हर साल कितना पेरा गया ? पर माननीय मंत्री जी ने जो हर साल के आंकड़े दिये वे शायद गुड़ कितना बना उसके दिये हैं। मैं अब यह समझता हूं कि इसमें कुछ थोड़ी सी गलतफहमी है पहले पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि हर साल कितने गन्ने का गुड़ बनाया गया।

श्री हुकुम सिंह---गन्ना कितना पेरा गया यही समझ कर मैंने इसका जवाब दिया।

अध्यक्ष---५ वर्ष में कितना टोटल उसका है यह आपने बताया पर वह अलग-अलग जानना चाहते हैं

श्री हुकुम सिंह---यह हिसाब तो मैंने नहीं निकाला ।

अध्यक्ष---३०० करोड़ मन गन्ने का गुड़ बनाया गया आप ने अलहदा-अलहदा सालाना हिसाब बताया उसका टोटल क्या बताया।

श्री हुक्कुम सिंह---मुमकिन है कि टोटल कुछ ग़लत हो। प्रश्न नंबर २४ के उत्तर में है कि अनुमानतः ३०० करोड़ मन गन्ने का गुड़ बनाया गया और २५ के उत्तर में यह है कि ६० करोड़ मन गुड़ बनाया गया।

अध्यक्ष---वह यह जानना चाहते हैं कि हर साल कितना गन्ना पेरा गया और कितना गुड़ बना।

श्री हुक्कुम सिंह---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---इस सवाल का उत्तर तो इसमें लिखा हुआ है कि पांच साल की अवधि में उत्तर प्रदेश में ३०० करोड़ मन गुड़ बनाया गया और दूसरे सवाल के जवाब म यह लिखा हुआ है कि प्रति वर्ष लगभग ६० करोड़ मन गुड़ रहा। यह तो बिलकुल साफ है और अगर वह यह समझें कि इसमें कोई हेरफेर की जरूरत है तो वह बतला दें। मगर जवाब तो बिलकुल साफ है।

श्री रमेश वर्मा---मैंने तो प्रश्न नंबर २४ के संबंध में यह पूछा है कि ४७-४८ से से लेकर ५१-५२ की अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष कितने मन गन्ने का गुड़ बनाया गया उसका प्रति वर्ष अलग-अलग क्या हिसाब है ?

अध्यक्ष---इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया कि उनको नोटिस की जरूरत है।

* २६---श्री रमेश वर्मा---गुड़ उन्नति योजना में इस काल में क्या व्यय हुआ ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---गुड़ उन्नति योजना पर इस अवधि में ११.४७ लाख रुपया व्यय हुआ।

सरकारी विभागों में हिन्दी का प्रयोग

* २७---श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में किन-किन विभागों में अभी अंग्रेजी को मान्यता प्रदान है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---आवश्यकता व सुविधा के अनुसार हिन्दी या अंग्रेजी में काम किया जा रहा है।

*२८---श्री गुप्तार सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि समस्त विभागों में कब से पूर्ण रूप से हिन्दी लागू होगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जितनी जल्दी हो सके।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या इस वर्ष में हर विभाग में हिन्दी में कार्यवाही होने लगेगी ?

श्री गोबिन्द वल्लभ पन्त---मैं समझता हूं कि समय आ गया है जब कि हर जगह हिन्दी में काम हो और उन बातों को छोड़कर जिनके लिये विधान के अनुसार अंग्रेजी में कार्यवाही होनी चाहिये या उन खास अफसरों के लिये जिन्हें उस वक्त तक जरूरी है कि वह हिन्दी में काम न कर सकें या तो टाइप राइटर्स की कमी की वजह से न हो सके बाकी मेरा ख्याल है कि अब सब काम सेक्रेटेरियट में बोर्ड आफ रेवेन्यू में कमिश्नरों के दफ्तरों में डिपार्टमेंटल दफ्तरों में और हमारे जिलों के सब दफ्तरों में हिन्दी में होना चाहिये और इसके लिये

अब हिदायतें भेजी जायंगी लेकिन जो लोग हिन्दी नहीं जानते हैं उनको समय दिया जायगा और तब तक वह अंग्रेजी में काम कर सकेंगे। मगर किसी तरह से एक साल से ज्यादा की अवधि उन लोगों को नहीं मिलेगी। हिन्दी में काम करने के लिये टाइप राइटर्स की और स्टेनोग्राफर्स को भी हिन्दी में काम करने की आवश्यकता होगी। हिन्दी के मानीं उस सरल जबान से हैं जो कि हमारे देश में हमारे सूबे में बोली जाती है, लिपि नागरी होगी और जबान आसान और सरल होगी। इस तरह की हिन्दी के अनुसार हमारे सूबे में सारा काम किया जायगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---क्या सरकार को मालूम है कि सरकारी अफसरों को पहले भी हिन्दी पढ़ने के लिये अवसर मिल चुका है?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---जी हां।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि जो हिन्दी गजट में लिखी जाती है क्या यही सरल हिन्दी है?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---गजट वगैरह में बाज वक्त ऐसी हिन्दी लिखी जाती है जो क्लिष्ट है और जिसे सरल होना चाहिये।

श्री रामलाल (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतावेंगी कि इन अफसरों को हिन्दी सीखने के लिये कोई समय दिया जायगा?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त---अब तक का सभी टाइम दिया गया और आगे इतना और दिया जायगा जिसके अन्दर वह काम हिन्दी में करना सीख कर कायम रह सकें और फिर ऐसी भी म्याद आवेगी कि अगर उसके अन्दर वह न सीखेंगे तो वह मुलाजिमात में भी न रह सकेंगे।

*२९---श्री गुप्तार सिंह---[२२ सितम्बर, १९५२, के लिये संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३०---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---[१८ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

प्रांतीय रक्षक दल के हेडक्वार्टर लखनऊ में चोरी

*३१---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार को इस बात का पता है कि प्रांतीय रक्षक दल के हेडक्वार्टर, लखनऊ में ५,००० रुपये की वर्दी की चोरी हो गयी थी?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)---जी नहीं। प्रांतीय रक्षक दल का मुख्य कार्यालय में वर्दी की कोई चोरी नहीं हुई।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर में रक्षकदल की वर्दी कि चोरी के सिलसिले में ४० हजार का सामान बरामद हुआ?

श्री फूल सिंह---जी हां।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---इसमें सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री फूल सिंह---मामले की जांच पुलिस कर रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या सरकार कृपा करके बतलावेगी कि वह चोरी का मामला कहां का था ?

श्री फूल सिंह---वह मामला चोरी का नहीं था बल्कि साल के शुरू में कुछ वर्दी नीलाम की गई थी और ऐसा मालूम होता है कि वह सस्ते दाम पर नीलाम कर दी गई थी और वाकई में वह अभी सर्विसेबिल थी। इसकी जांच पुलिस कर रही है।

*३२---श्री रामनारायण त्रिपाठी---वर्दी के स्टाक में चोरी से जो कमी हुई थी उसको किस प्रकार पूरा किया गया ?

श्री फूल सिंह---इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

*३३---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या प्रांतीय रक्षक दल के हेडक्वार्टर पर जो रिफरेशर कोर्स चलाया गया था, उसमें शामिल हुये लोगों से चपरासी तथा कुलियों का काम लिया जाता था?

श्री फूल सिंह---जी नहीं।

*३४---श्री देवकीनन्दन विभव---[१८ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

डिस्ट्रिक्ट कोंआपरेटिव आफिसर हमीरपुर, के विरुद्ध शिकायतें

*३५---श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार बतालायेगी कि मौजूदा डी० सी० ओ० हमीरपुर के खिलाफ क्या कुछ शिकायतें आयी थीं ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)---सरकार के पास वर्तमान डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव आफिसर हमीरपुर की कोई शिकायत नहीं आई थीं अतएव सरकार द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। परन्तु उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें जिला नियोजन अधिकारी हमीरपुर तथा डिप्टी रजिस्टार (केन्द्र) के पास आई थीं और इन शिकायतों के संबंध में जिला नियोजन अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वे शिकायतें क्या थीं ? क्या उनमें एक शिकायत यह भी है कि डी०सी०ओ० साहब गलत टी० ए० लिया करते हैं ?

श्री मंगला प्रसाद---उनकी शिकायतें कुछ ऐम्बैंजिलमेंट और मिसएप्रोप्रियेशन की हैं। उनमें टी० ए० भी शामिल हो सकता है। यदि इसके लिये खासतौर से चाहते हैं तो नोटिस की आवश्यकता है।

विकास क्षेत्रों में सहकारी समितियों के स्थापन की योजना

*३६---श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---क्या सरकारी मंत्री कृपया बतायेंगे विकास क्षेत्र में सहकारी समितियों की स्थापना की क्या कोई योजना है ?

श्री मंगला प्रसाद---जी हां।

श्री रामलखन मिश्र---इस कार्य में जीवन डालने का दायित्व सरकार की तरफ से किस पर रखा गया ?

श्री मंगला प्रसाद---जो मुहकमे के चलाने वाले हैं उन पर होता है। खाली को-आपरेटिव विभाग या सरकार उनकी मदद करती है।

श्री रामलखन मिश्र---क्या सरकार इसका दायित्व किसी अफसर विशेष पर डालने का विचार रखती है ?

श्री मंगला प्रसाद---अगर किसी खास अफसर के बारे में बतलाया जाय कि उसने कोई गलत काम किया तो उस पर कार्यवाही हो सकती है। वैसे दायित्व तो जो काम करने वाले होते हैं उन पर होता ही है।

*३७---**श्री पातीराम** (जिला फर्रुखाबाद)---[१८ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया ।]

*३८---**श्री पातीराम** [३ सितम्बर, १९५२, की संख्या ५९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*३९-४०---**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)---[१८ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*४१---**श्री रामचरण लाल गंगवार** (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)---[देखिए आगे पृष्ठ २०१ पर]

इटावा जिले के अजितमल सहकारी संघ के सुपरवाइजर का निलम्बन

*४२---**श्री मिहरबान सिंह** (जिला इटावा)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के अजितमल सहकारी संघ के सुपरवाइजर को जालसाजी व गबन केस के संबंध में वहां के जिलाधीश ने मुअत्तल करने का आदेश दिया था ?

श्री मंगला प्रसाद---जिलाधीश ने लिखा था कि सुपरवाइजर को मुअत्तल किया जाय। सुपरवाइजर के विरुद्ध गबन की कोई शिकायत नहीं थी।

*४३---**श्री मिहरबान सिंह**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उस आज्ञा का पालन किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मंगला प्रसाद---जिला सहकारी अफसर ने जिलाधीश के सुझाव के अनुसार ४ जून, १९५२ को उत्तर प्रदेशीय सहकारी यूनियन को मुअत्तल करने के लिये लिखा था। यह पत्र उत्तर प्रदेशीय सहकारी यूनियन में प्राप्त नहीं हुआ। अतः आवश्यक कार्य करने में बिलम्ब हुआ और वे ११ अगस्त १९५२ को मुअत्तल किये गये।

गांवों के तालाबों में घाटों का निर्माण

*४४---**श्री श्रीपति सहाय** (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गांव के बीच में या गांव के बाहर जो छोटे-छोटे तालाब होते हैं उनके घाट बनवाने के लिये सरकार आर्थिक सहायता या कर्ज गांव को देती है या नहीं ? अगर देती है तो उसके पाने का क्या तरीका है ?

श्री मंगला प्रसाद---जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

*४५---**श्री श्रीपति सहाय**---इस संबंध में सहायता तथा कर्ज सरकार अधिक से अधिक कितना देती है ?

श्री मंगला प्रसाद---प्रश्न नहीं उठता।

*४६---**श्री श्रीपति सहाय**---ऐसे कर्ज को सरकार कितने वर्षों में वसूल करती है ?

श्री मंगला प्रसाद---प्रश्न नहीं उठता ।

बख्शीतालाब, लखनऊ, ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण

*४७---श्री रामलखन (जिला बनारस)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बख्शी तालाब (लखनऊ) ट्रेनिंग सेन्टर के विद्यार्थियों का वजीफा ४०) मासिक से २५) मासिक कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों ?

श्री फूल सिंह---बख्शी तालाब लखनऊ ट्रेनिंग सेन्टर के विद्यार्थियों का वजीफा ५०) मासिक है न कि ४०) रु० है । यह वजीफा कम करके २५ रु० नहीं कर दिया गया है।

*४८---श्री रामलखन---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बख्शी तालाब ट्रेनिंग सेन्टर से अब तक कितने (Trainees) ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं? क्या ट्रेनिंग पास शुदा छात्रों को कोई आर्थिक सहायता स्वतंत्रतापूर्वक अपना काम करने के लिये दी गयी? यदि हां, तो कितना रुपया?

श्री फूल सिंह---बख्शी तालाब लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग का पहला कोर्स ५ मई १९५२ से आरम्भ हुआ और १० सितम्बर को समाप्त होगा। इस कोर्स में ६० छात्र हैं।

बनारस जिले के कोआपरेटिव स्टोर के बक़ाया बीज का दाम उगाहना

*४९---श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस)---क्या सरकार को पता है कि बनारस जिले के कोआपरेटिव आफिसर ने बीज भंडार के बकाया पड़े गल्ले का दाम किसानों से ३२ रुपये मन गेहूं, २७ रुपये मन मटर, २७ रुपये मन चना और २६ रुपये मन जौ के हिसाब से कुर्की द्वारा वसूल किया है ?

श्री मंगला प्रसाद---गेहूं, चना और जौ के कंट्रोल के दर तथा मटर के बाजार भाव में जुर्माना मिलाकर ३३ रुपया ८ आना प्रति मन गेहूं २६ रुपया मन मटर और चना तथा २८ रुपया मन के हिसाब से बीज गोदाम के बकाया गल्ले का दाम वसूल किया गया और कुछ बकायादारों के संबंध में कुर्की भी करनी पड़ी।

*५०---श्री देवमूर्ति राम---क्या सरकार को पता है कि बकायादार किसानों ने कोआपरेटिव आफ़िसर के पास कन्ट्रोल भाव से दाम लेने के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे और उनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी गयीं ?

श्री मंगला प्रसाद---प्रार्थना पत्र दिये थे परन्तु वे खारिज नहीं किये गये और उन दरख्वास्तों का फलस्वरूप गेहूं चना और जौ के जुर्माने में कमी कर दी गई परन्तु कंट्रोल के भाव से ही दाम पहले भी लिया गया था अतएव उसमें कमी नहीं की जा सकती थी। मटर के दाम पर कोई कंट्रोल नहीं था अतएव कन्ट्रोल की दर से दाम लेने का प्रश्न नहीं था।

*५१---श्री देवमूर्ति राम---क्या सरकार को पता है कि कोआपरेटिव आफिसर, बनारस, ने किसानों के बैलों को कुर्क कर मवेशी खाने में डाल दिया और जमानत पर रिहा नहीं किया ?

श्री मंगला प्रसाद---जी नहीं ।

* * * * *

गन्ने के मूल्य के बक़ाया की वसूली

*४--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि अब तक उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा (इस सीजन) में कितना कुल गन्ना (अलग अलग मिलों का ब्योरेवार) पेरा जाकर कितनी चीनी अलग अलग बनायी जा चुकी है और इस पेरे हुये गन्ने के कुल कीमत में से कितनी कीमत भिन्न भिन्न मिलें काश्तकारों को केन सोसाइटियों द्वारा दे चुकी हैं ?

श्री हुकुम सिंह--उत्तर प्रदेश के समस्त मिलों ने १९५१--५२ सीजन में २४.५० करोड़ मन गन्ना पेरा और २.२७ करोड़ मन चीनी का उत्पादन किया। पेरे हुये गन्ने की कुल कीमत ४१.२८ करोड़ रुपया थी जिसमें से ३०.०३ करोड़ रुपया मिलों ने ७ जूलाई, १९५२, तक भुगतान कर दिया था। मिलों के ब्योरेवार आंकड़े परिशिष्ट "क" में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४८ पर)

*५--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार यह बतलायेगी कि पिछले वर्ष की गन्ने की कीमतों का कितना रुपया कितनी मिलों को अलग अलग कितनी गन्ना सोसाइटियां को देना है ?

श्री हुकुम सिंह--पिछले वर्ष के गन्ने के मूल्य में २.९८ लाख रुपया २५ मिलों को २५ सोसाइटियों को देना है। आंकड़े परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २५२ पर)

*६--श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह भी कृपा कर बतायेगी कि वह मिलों द्वारा इस प्रकार अब तक नदी गयी कीमतों को और पिछले बकाया को मिलों द्वारा गन्ने सोसाइटियों को दिलवाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री हुकुम सिंह--अब तक न दी गई कीमतों का शीघ्र भुगतान कराने के लिये केन कमिश्नर व सहकारी बैंक उचित मदद दे रहे हैं। खाद्य तथा रसद विभाग ने संबंधित सही जिलाधीशों को अधिकार दिया है कि यदि गन्ना उगाने वाले तथा सहकारिता संस्थायें अपने बेचे हुये गन्ने के मूल्य स्वरूप चीनी लेना चाहें तो उन्हें जिले के लिये निर्धारित कोटे में से जो कि मिलों के पास से उठाया न गया हो एक्स फैक्टरी दर पर चीनी खरीदने की सुविधा प्रदान की जावे। मिलों को आदेश दिया गया है कि वे बकाया राशियों को जहां इसके बारे में झगड़ा चल रहा हो या किसान मूल्य लेने नहीं आ रहे हों संबंधित यूनियनों के हवाले कर दें जो कि उन्हें किसानों के हिसाब में जमा कर देंगे।

* * * *

गन्ने के भाव में कमी

*४१--श्री रामचरनलाल गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गन्ने के पिछले सीजन में गन्ने के रेट में अन्त तक बराबर कमी की जाती रही ? यदि हां, तो इसका कारण क्या था ?

श्री हुकुम सिंह--पिछले सीजन में ३० अप्रैल, १९५२, तक गन्ने के रेट में कोई कमी नहीं की गई थी। लेकिन उस तारीख तक गन्ने की पर्याप्त मात्रा विक्रय न होने के कारण पड़ी रही जिससे काश्तकारों को हानि हो रही थी। इसके अतिरिक्त प्रतिशत चीनी प्राप्ति में कमी होने के कारण मिलों को भी आर्थिक असुविधा हो रही थी। इसलिये काश्तकार तथा मिलों को अधिक हानि से बचाने के लिये सरकार ने उन मिलों को जिन्होंने ३० अप्रैल, १९५२, के बाद भी पिराई जारी रक्खी कुछ सहायता देने का निश्चय किया जिससे कि वे पूरा गन्ना पेर डालें। गन्ने के मूल्य में १ मई, १९५२, से कमी की गई। गन्ने का न्यूनतम

नोट--तारांकित प्रश्न ४१ श्री गेंदा सिंह ने पूछा।

[श्री हुक्म सिंह]

मूल्य निर्धारित करने के लिये चीनी प्राप्ति का औसत ९.६ प्रतिशत माना गया और इसके अनुसार मिलों की साप्ताहिक औसत चीनी प्राप्ति पर उनके द्वारा पेरे गये गन्ने के मूल्य में अनुपातिक कमी की गई।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने का अन्दाजा हर सीजन के लिये कुछ दिन पहले कर लिया जाता है कि अगले वर्ष कितना गन्ना होगा ?

श्री हुक्म सिंह---हां, होता है।

श्री गेंदा सिंह---तो क्या यह सही है कि पिछले वर्ष अन्दाजा बहुत गलत लगाया गया था ?

श्री हुक्म सिंह---नहीं। कोल्हू में कम पेरा गया, लिहाजा मिलों के ऊपर बहुत पड़ गया।

श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)---क्या सरकार को मालूम है कि जिन फार्म वालों के पास हजारों मन गन्ना था उनका २ रु० मन में पड़ा और किसानों का छोटों का १२-१२ आने में पड़ा ?

श्री हुक्म सिंह---ऐसी कोई इत्तिला तो मेरे पास नहीं है।

श्री नत्थू सिंह---क्या सरकार इसकी कोई जांच कराने का विचार रखती है ?

श्री हुक्म सिंह---कोई आवश्यकता तो नहीं मालूम होती। कोई आम शिकायत मेरे पास नहीं आई है।

श्री सुलतान आलम खां---गन्ने या गुड़ या दूसरी चीजों के सिलसिले में जो आंकड़े सरकार पेश करती है वह किस एजेंसी के द्वारा हासिल करती है ?

श्री हुक्म सिंह---शुगर केन डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट के जरिये से और कलेक्टर के जरिये से भी हासिल करती है।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या एक ही इलाके की मुख्तलिफ मिलों में कहीं रेट घटाया गया और कहीं नहीं घटाया गया ?

श्री हुक्म सिंह---रिकवरी बेसिस पर होता है। जहां रिकवरी ज्यादा है वहां ज्यादा घटा है और जहां कम है वहां कम घटा है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)---क्या सरकार के पास इस विषय में कुछ प्रार्थना पत्र आये हैं कि बड़े फार्मों वाले का गन्ना ले लिया गया और किसानों का रह गया ?

श्री हुक्म सिंह---नोटिस की जरूरत है। इस वक्त मुझे याद नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार को मालूम है कि पुर्जियों के डिस्ट्रीब्यूशन की गलती से गन्ना रह जाता है ?

श्री हुक्म सिंह---नहीं मालूम है।

श्री शिवकुमार शर्मा---आगामी वर्ष के लिये सरकार गन्ने का क्या रेट मुकर्रर करने जा रही है ?

श्री हुक्म सिंह---जेरेगौर है।

अतारांकित प्रश्न

गाजियाबाद और मेरठ के शरणार्थियों के लिये दुकानें

१–श्री तेजा सिंह (ज़िला मेरठ)—क्या सरकार यह जानती है कि गाज़ियाबाद और मेरठ में सैकड़ों शरणार्थी लकड़ी की दूकानों और छप्परों में अपना कारोबार कर रहे हैं? यदि हां, तो सरकार उनके लिये पक्की दुकानें बनाने का प्रबंध कर रही है?

श्री हुकुम सिंह—जी हां। राजकीय सरकार का ध्यान इस ओर है। पी०-डब्यू० डी० के द्वारा १२ पक्की दूकानें मेरठ और २० गाजियाबाद में बनाई जा रही हैं। सर्व श्री बी० डी० गुप्ता एंड ब्रदर्स भी, जिनको सरकार ने चार लाख रुपये का ऋण देना मंजूर कर लिया है, फ्लैट्स के अलावा १०० दुकानें बनवा रहे हैं। मेरठ नगर पालिका भी ८२ दुकानें बनवाना चाहती है और उसका प्रार्थनापत्र सरकार के विचाराधीन है।

वित्तीय वर्ष १९४८–४९ में, सरकार २०० मिले हुये मकान व दुकान मेरठ में और ११४ गाजियाबाद में बनवा चुकी है। मेरठ की नगरपालिका ने भी उस वर्ष सरकार से ऋण लेकर मेरठ में ७४ दुकानें बनाईं।

बुलन्दशहर के सत्याग्रह की चर्चा

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न बुलन्दशहर के बारे में दिया था। माननीय गृह मंत्री ने बुलन्दशहर के सत्याग्रह के बारे में जो कुछ कहा था उसके संबंध में मैंने एक लिखित बयान दिया था उसको आपने स्वीकृत न करते हुये तीन तरीके बतलाये थे।

अध्यक्ष—क्या आपने कोई अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया था?

श्री राजनारायण—जी हां, मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया था और अभी तक मुझे उसके बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिये मैं समझता हूं कि बुलन्दशहर की परिस्थिति गंभीर होती जा रही है?

अध्यक्ष—मैं इसकी जांच कराऊंगा।

रोडवेज़ वर्क्स की हड़ताल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष—आज भी मेरे पास एक कार्य-स्थगन संबंधी प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी ने भेजा है जो रोडवेज वर्क्स की हड़ताल के संबंध में है जो कल या परसों हुई थी ऐसा वह कहते हैं। इसी के संबंध में विवाद करने के लिये एक कामरोको प्रस्ताव आया है। मैं इसको कोई विशेष महत्व का नहीं समझता। यह गुजरी हुई बात हो गई है। दूसरे मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जनता को भी कोई मालूमात नहीं हैं कि ऐसी कोई हड़ताल हुई या नहीं। ऐसी स्थिति में यह कोई महत्व की बात नहीं है। इसलिये मैं इसको इजाजत नहीं देता।

सदन से अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये श्री हबीबुर्रहमान आज़मी का प्रार्थना-पत्र

अध्यक्ष—मेरे पास एक प्रार्थना-पत्र श्री हबीबुर्रहमान आजमी, सदस्य विधान सभा की ओर से आया है। वे इस सदन से अपनी ग़ैर हाजिरी के लिये इजाजत चाहते हैं। उनका प्रार्थनापत्र इस प्रकार है:

[अध्यक्ष]

"माननीय स्पीकर महोदय,

निवेदन यह है कि मैं १४ अगस्त, १९५२, को हज के लिये, जो एक धार्मिक काम है, सऊदी अरब की यात्रा का विचार कर रहा हूं।

इसलिये प्रार्थना है कि १४ अगस्त से ३० नवम्बर, १९५२, तक की मेरी गैर-हाजिरी क्षमा की जावे।"

प्रश्न यह है कि श्री हबीबुर्रहमान आज़मी को अनुमति प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

यू० पी मोटर विहिकिल्स रूल्स के नियम १२८, १२९ तथा १३१ में किये गये संशोधनों की प्रतिलिपि मेज़ पर रखना

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब वाला, मैं यू० पी० मोटर विहीकिल्स ऐक्ट, १९३९, की धारा (३) के अन्तर्गत यू० पी० मोटर विहीकिल्स रूल्स, १९४० के नियम १२८, १२९ तथा १३१ में किये गये संशोधनों की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर विहिकिल्स रूल्स की प्रथम अनुसूची की प्रविष्ट ७ में किये गये संशोधन तथा बढ़ाई गई प्रविष्टियों १६–२१ की प्रतिलिपि का मेज़ पर रखना

वित मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—मैं यू० पी० मोटर विहिकिल्स ऐक्ट १९३९ की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत मोटर विहीकिल्स रूल्स, १९४०, के फर्स्ट शैड्यूल की ऐंट्री ७ में किये गये संशोधन तथा बढ़ायी गयी एन्ट्री १६,१७,१८,१९,२० तथा २१ की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

दिल्ली और कानपुर की नार्दन रेलवे की स्थानीय परामर्शदात्री समितियों के लिये विधान सभा का एक एक सदस्य निर्वाचित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जो विधि तथा जो तिथि अध्यक्ष निश्चित करें उसके अनुसार दिल्ली और कानपुर की नार्दन रेलवे की स्थानीय परामर्शदात्री समितियों में प्रत्येक के लिये एक एक सदस्य निर्वाचित करें।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन जो विधि तथा जो तिथि अध्यक्ष निश्चित करें उसके अनुसार दिल्ली और कानपुर की नार्दन रेलवे की स्थानीय परामर्शदात्री समितियों में प्रत्येक के लिये एक एक सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सटाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है, यह इस गरज से हाउस के सामने पेश किया जा रहा है कि जो ड्यूटी स्टाम्प के ऊपर आम तौर से इस वक्त है उसमें कुछ इजाफा किया जाय और इसकी वजह से उन जरुरियात के लिये जो इस सूबे को दरपेश हैं कुछ रुपया फराहम हो सकता है। जहां तक इजाफे का ताल्लुक़ है, अगर उसको देखा जायगा तो उससे यह मालूम होगा कि इजाफा

कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया जा रहा है। मेरे खयाल में ज्यादातर इजाफा २५ पर्सेंट है, इससे ज्यादा नहीं है बाज जगह इससे कम है और बाज जगह इससे कुछ ज्यादा है लेकिन मजमूई हैसियत से इजाफा बहुत ज्यादा नहीं है और अब तक दूसरे सूबों में जो स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई है उसके मुकाबिले में फिर भी हमारे यहां किसी कदर स्टाम्प ड्यूटी कम ही रहती है। आम सवाल के ऊपर कि इस किस्म के लेजिस्लेशन की जरूरत क्या है, मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में जिस वक्त कि बजट पेश किया था इसका हवाला दिया था और कहा था कि हमको अपने यहां की डेवलपमेंट स्कीम के लिये रुपये की जरूरत पड़ेगी और हमको कुछ न कुछ ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। उसी सिलसिले में यह भी एक बिल है जिसके जरिये हम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। उसी सिल-सिले में हमने यह भी कह दिया कि जैसे कोर्ट फीस ऐक्ट है, जहां तक हो सके राउन्ड फिगर हम लोगों को मुहइया किया जाय ताकि लोगों को स्टाम्प ड्यूटी अदा करने में ज्यादा दिक्कत न हो। इन सब बातों का लिहाज करते हुये मुझे यकीन है कि यह हाउस इस ऐक्ट को मंजूर करेगा और यह तसलीम करेगा कि जो ड्यूटी हम लगा रहे हैं वह कोई ऐसी बेजा और जायद नहीं है।

इसी तरीके से जो और बातें हैं जब कि तरमीमात ऐक्ट के मुताल्लिक़ पेश होंगी तो उस सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा। आमतौर से देखने से यह मालूम होगा कि जो दफात इस कानून की हैं उनकी शक्ल यह की गयी है कि शैड्यूल वन ए० जो पहले मौजूद था उसको छोड़ दिया गया है। उसके अलावा एक शेड्यूल वन बी० छोड़ दिया गया है। इसकी वजह यह है कि बाज आइटम जो वन ए० में थे मसलन आइटम नं० २७ में कोई इजाफा करने का हमको हक नहीं है। आप देखेंगे कि दफा १० में आइटम वन टू २६ के बाद आइटम नं० २७ को हमने छोड़ दिया है। इसी तरह से शेड्यूल ६२ ए० को हमने टच नहीं किया है उसकी वजह यह है कि ६२ ए० में तरमीम करने का हमको अख्तियार नहीं है। कंस्टीट्यूशन के जरिये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इसमें तरमीम करने का हक है। इन सब बातों की काफी तशरीह दफा ११ में कर दी गयी है।

"Nothing in this Act shall apply to or be deemed to affect the proper fee chargeable in respect of any instrument mentioned in items 27 and 62 (*a*) of Schedule I-A of the principal Act."

[इस अधिनियम में कही गई कोई बात, मूल अधिनियम की अनुसूची १-ए की मद २७ तथा ६२-ए में उल्लिखित किसी करण के विषय में लिये जाने वाले उचित शुल्क के संबंध में प्रयुक्त नहीं होगी और न उसके संबंध में यह समझा जायगा कि वह उक्त शुल्क को किसी प्रकार प्रभावित करेगी।]

यह शेड्यूल जो वन है उसमें सिर्फ दो आइटम रह गये हैं जिनमें तरमीम करने का इस सूबे को अख्तियार नहीं है। मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बातें सब साफ हैं। कुछ और बात नहीं है जिसके मुताल्लिक तफसील में इस स्टेज पर तकरीर करने की जरूरत है। मैं हाउस से उम्मीद करता हूं कि वह इस कानून को मंजूर करेगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश स्टाम्प संशोधन विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसके उद्देश्य और कारणों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें केवल यही बात लिखी हुई है कि चूंकि संघ के और राज्यों में जैसे मद्रास तथा बम्बई में आदेय शुल्क की अपेक्षा सामान्यतः कम है, इसलिये मंत्री जी को यह आवश्यकता महसूस हुई कि उत्तर प्रदेश में भी इसमें कुछ वृद्धि की जाय। आदर्णीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर इसी स्टाम्प को ही देखकर दूसरे सूबों की नकल करने की ओर मंत्री जी का मन क्यों दौड़ पड़ा। दूसरे सूबों के बहुत से विभागों को देखा जाय तो उस रोज मैंने जब कोआपरेटिव का मामला चल रहा था अर्ज किया था कि उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा सूद लिया जाता है।

[श्री राज नारायण]

और विशेष बातें तो सब तफसील से इसमें आयेंगी तब कहूंगा लेकिन इसके उद्देश्य और कारण को जब पढ़ता हूं तो आश्चर्य चकित हो जाता हूं कि क्यों माननीय मंत्री ने केवल इतना ही कहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के संबंध में समय समय पर संशोधित इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९, के अधीन देय स्टाम्प शुल्क, संघ के अन्य राज्यों जैसे मद्रास तथा बम्बई में ये आदेय शुल्क की अपेक्षा सामान्यतः कम है। मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस विधेयक को वापिस लें और आगे समुचित रूप से स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन के लिये नया अधिनियम बनायें। ऐसी व्यवस्था बताई जा सकती है और बताई भी गई है कि जहां तक सरकार की आमदनी का संबंध है उसकी आमदनी भी कम न हो और व्यवस्था भी डिसेन्ट्रलाइज्ड (विकेन्द्रित) हो जाय, उसको हम गांव सभाओं और गांव पंचायतों तक ले जा सकते हैं। मैंने जहां तक हर सूबे का नकशा इस स्टाम्प ऐक्ट के अधीन जानने की कोशिश की है उसको आगे रखूंगा। इस समय मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी और अन्य सम्मानित मंत्री लोग यहां इस समय बैठे हुये हैं मैं अपनी मुसीबत उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे सामने सरकार की ओर से जिस तरह से बिल पेश किये जाते हैं वह तरीका निहायत गैर प्रजातांत्रिक है। बिल पेश कर दिये जाते हैं लेकिन समुचित समय नहीं दिया जाता है उससे मैं यह नतीजा निकालता हूं कि सरकार नहीं चाहती कि विरोधी पार्टी को समय दिया जाय और वह समुचित समय पाकर अच्छी तरह से विवेचना कर सके या संशोधन उपस्थित कर सके। सरकार चाहती है कि सब बिलों को साधारण दृष्टि से लोग देखें और अन्ततोगत्वा वह पास तो हो ही जायगा। यह गैर जनतांत्रिक तरीका बन्द होना चाहिये। मैं मुख्य मंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि कल ही वह देखें करीब ४ या ५ विधेयक प्रस्तुत कर दिये गये हैं और यह पता नहीं है कि कौन सा विधेयक कब किस दिन लिया जायगा। हमें अपने संशोधन डिस्कशन (वादविवाद) आरम्भ होने से ४८ घंटे पहले दे देना चाहिये। जब यह पता नहीं रहता कि किस विधेयक पर डिस्कशन (वादविवाद) किस दिन होगा तो हमारे लिये बड़ी दिक्कत होती है जैसे कि इस विधेयक में भी दिक्कत हुई। जबकि मैं यह समझता था कि यह एक कर को बढ़ाने के लिये एक तरीके का विधेयक है इसका संबंध सारे सूबे की आम जनता से है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार कर लगाती है और सरकार को कभी कभी कर लेना आवश्यक होता है मगर जब सरकार जनसाधारण को ऊंचा उठाने के लिये कोई काम नहीं कर सकती है और आम जनता के लिये जो कार्य वह करती है उसका कोई प्रत्यक्ष फल भी नहीं होता है तो उस वक्त तक सरकार को कर बढ़ाने की ओर नहीं जाना चाहिये। इस विधेयक के जरिये से सरकार वही कर बढ़ाने की बात को ला रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के भाषण के समय कहा था कि वह कुछ खास खास बातों पर कर बढ़ाकर घाटे की पूर्ति करना चाहेंगे, यह विधेयक उसी की पूर्ति के लिये सम्भवतः किया जा रहा है।

सदन के सम्मानित सदस्यों को यह भ्रम में डालने के लिये है कि चूंकि बम्बई और मद्रास में काफी ऊंचे रेट हैं, इसलिये उत्तर प्रदेश में काफी ऊंचे रेट होने चाहिये। यह विधेयक हमारे सामने इस रूप में रखा जा रहा है, इसलिये माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये किस सूबे में किस आइटम पर क्या रेट है, यह मैं सम्मानित सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं ताकि उन्हें इस बात की सफाई हो जायगी कि बम्बई में क्या रेट है, मद्रास में क्या रेट है और सी० पी० और बिहार में क्या रेट है।

आदर्णीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले आर्टिकिल में उत्तर प्रदेश में चार आना है, तो बम्बई में एक आना छः पाई है और मद्रास में भी एक आना छः पाई है। शेड्यूल १(बी) देखिये। शेड्यूल में बताया गया है कि चूंकि मद्रास और बम्बई में स्टाम्प ड्यूटी का औसत ऊंचा है इसलिये उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिये, यह बिलकुल गलत तरीका है। सरकार किसी सूबे की अगर नकल ही करना चाहती है तो सभी बातों में होनी चाहिये। जिनमें वहां कम है उनमें यहां भी कम होना चाहिये।

इसी तरह से अगर दूसरा आर्टिकिल देखा जाय तो वहां पर भी, हमारे यहां कोई भी नहीं है। १५ रुपया यहां है। १५ रुपया मद्रास और बम्बई में है। १३ रु० २ आने सी० पी० में है और १३ रु० १२ आने बिहार में है। आर्टिकिल ४ में तीन रुपया हमारे यहां है। तीन रुपया मद्रास में है। तीन रुपया बम्बई में है। सी० पी० में दो रुपया दस आने है और बिहार में दो रुपया बारह आने। इसी तरह से अगर पांच आर्टिकिल देखा जाय तो हमारे यहां २४ रुपया है। सी० पी० में २० रुपया है। बिहार में २० रुपया है। इसी तरह अगर हम आगे ६ को देखते हैं तो हमारे यहां आठ आने है और दूसरे जगह छः आने है। मद्रास में छः आने है। इसी तरह से ६५ आर्टिकिल हैं। उनको देख कर सम्मानित सदस्य अंदाजा लगा सकते हैं कि किस उद्देश्य से यह विधेयक उपस्थित किया जा रहा है। उद्देश्य तो हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया ही नहीं। माननीय मंत्री जी तो उद्देश्य में एक अनुकरण करने की आदत पर चलना चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं और वह भी नकल कौन जो कि जनता के हित में न हो, जो कि जनता के अहित में हो। अगर हम इस चार्ट को पढ़ें तो मालूम होगा कि इतनी बड़ी रकम हमारे यहां बढ़ायी जा रही है जितनी रकम न तो बम्बई में है न मद्रास में है, न सी० पी० में है न बिहार में है।

इसलिये जो उद्देश्य यहां बतलाया गया है उसे बिलकुल उलट देना चाहिये। यह सर के बल खड़ा करके माननीय मंत्री जी ने रख दिया है। सदन के माननीय सदस्यों को चाहिये कि इसको पैर के बल खड़ा करें।

आदर्णीय स्पीकर महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये जरा और आंकड़े बता देना चाहता हूं।

मद्रास में यदि आप नान जुडीशियल स्टाम्प लेंगे कि कितने डाक्यूमेंट हुये तो १५ लाख डाक्यूमेंट और १६० लाख रुपया और यू० पी० में २ लाख डाक्यूमेंट और ७२ लाख रुपया। अगर इसका जरा रेशियो (अनुपात) लगाया जाय तो ३६ लाख रुपया एक लाख डाक्यूमेंट के पीछे यू० पी० में पड़ता है और साढ़े दस लाख रु० मद्रास में पड़ता है। इस पर हमारे माननीय मंत्री जी यह उद्देश्य में लिखने का दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कम रेट है और बम्बई और मद्रास में ज्यादा रेट हैं, जबकि अगर उसका अनुपात लगायेंगे तो उनको मालूम होगा कि एक लाख के पीछे ३६ लाख आमदनी होती है उत्तर प्रदेश में और मद्रास में केवल एक लाख पर साढ़े दस लाख होती है। यानी साढ़े तीन गुना ज्यादा माननीय मंत्री जी यू० पी० में रुपया वसूल करते हैं।

इसी तरह से मैं कुछ और आंकड़े मंत्री जी की सेवा में रखता हूं ताकि उनको इस विधेयक को वापस लेने में आसानी हो और मैं समझता हूं कि अगर वह हठवादिता का परिचय नहीं देंगे तो वह उसको जरूर वापस ले लेंगे और वापस लेने में उनको ज्यादा परेशानी भी नहीं होने पायेगी, क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी भी यहां उपस्थित है। मैंने यह अर्ज किया कि इस स्टाम्प शुल्क को बढ़ाने के लिये जरा और आंकड़े हमारे माननीय मंत्री जी देख लें तो वह इस नतीजे पर आ जायेंगे कि हमारे यहां स्टाम्प की यह डाक्यूमेंट की संख्या क्यों घटती चली जा रही है और उस घटाव का कारण सरकार की इस पालिसी से संबंधित है। अगर सन् १९०१ से हम लें तो स्टैम्प का रेट जो बढ़ता है उसका असर कहां जाकर पड़ता है? जो साधारण जनता और नागरिक हैं वह रजिस्ट्री के पास जाते नहीं, जो नान आप्शनल डाक्यूमेंट हैं केवल वाध्य होकर वहीं जाते हैं तो उससे लिटिगेशन (मुकदमेबाजी) बढ़ता चला जाता है। इसका कारण यह है कि आज की जो परिपाटी चली जा रही है इस विभाग में, उसमें केवल जो अरिस्ट्रोक्रैट्स (सम्पन्न व्यक्ति) हैं, धनी, शहरी लोग हैं और आमदनी वाले लोग हैं वही जाते हैं और रजिस्ट्री करवाते है, इतने ज्यादा रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। यों तो हमारे पास बहुत से आंकड़े हैं, १८४७ और १८६५ से हैं; मगर मैं इतनी दूर जाकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि सन् १९०१ ही से माननीय मंत्री जी की सेवा में कुछ आंकड़े पेश कर दूं। अगर आप टोटल नम्बर आफ आफिसेज (कार्यालय की कुल संख्या) देखेंगे तो सन् १९०१ में २७१ और सन् १९४९ में २३६, यानी आफिस की संख्या भी घटती चली जा रही है और टोटल नम्बर आफ

[श्री रामनारायण]

डाक्यूमेंट्स देखेंगे तो सन् १९०१ में २४८ हजार हैं और १६१ हजार हैं १९४९ में। मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी सफाई देंगे कि आखिर यह डाक्यूमेंट की संख्या क्यों घटती जा रही है। इसका कोई समुचित कारण होना चाहिये। लिटिगेशन बढ़ता जा रहा है, केसेज बढ़ते जा रहे हैं, बेइमानी और चोरबाजारी बढ़ती चली जा रही है।

डाक्यूमेंट इसलिये होता है कि हमारा जो आपस का विनिमय और लेन देन होता है, उस आपसी कंट्रैक्ट की रजिस्ट्री करा दें ताकि लिटीगेशन और बेइमानी न हो और समय पर उसका समुचित फायदा उठाया जा सके। पर जनता उससे दूर चली जा रही है। यहां तक कि यहां जितने असेम्बली के हमारे सम्मानित सदस्य आये हैं वह समझते हैं कि जो गांव में गरीब जातियां हैं, शादी में बहुत जल्दी छूट जाया करती हैं। मैं तो यहां तक जानता हूं कि जब मैं काशी विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो हरिजन और धोबी जो वहां विश्वविद्यालय के करीब है, ऐसा कोई साल नहीं बचता था कि औरतों के छोड़ने और दूसरों को लेने के संबंध में १०-५ पंचायतें रोज न करते रहे हों। यदि साधारण ढंग पर कम खर्च पर इसी रजिस्ट्री हो जाय तो बहुत बड़ी परेशानी से गरीब जनता बच जाय। अगर रजिस्ट्रेशन सस्ता हो तो वे जाकर उसकी भी रजिस्ट्री करा सकते हैं। गांव पंचायत को अगर यह मामला दे दिया जाय और इसका बहुत कम रेट कर दिया जाय तो बहुत आसानी से इस तरह के मामले तय हो सकते हैं। आम की फ़सल जब होती है तो देहातों में लोग यों ही आपस में बात-चीत कर बेंच लिया करते हैं मगर ऐसा शायद ही कोई बाग हो जिसके बेंचने वाले और खरीदने वाले से बाद में झगड़ा न होता हो। यह इसलिये होता है क्योंकि वे इसकी रजिस्ट्री नहीं कराते। इतना ऊंचा इसका भाव कर दिया गया है कि वे वहां जाने से हिचकते हैं। अगर इसका हिस्टारिकल बैकग्राउन्ड देखा जाय तो गवर्नर जनरल इन कौंसिल ने १७९३ में इसके बारे में में एक डिक्लेरेशन किया था और उस डिक्लेरेशन में उन्होंने साफ-साफ इस बात को लिख दिया था--

"To give security to the titles and rights of persons purchasing real property or receiving such property in gift or of those advancing money on the mortgage of it or on getting it on lease and to other limited assignments."

[वास्तवमें सम्पत्ति के खरीदने वालों या ऐसी सम्पत्ति को उपहार में पाने वालों या इसको बंधक रख कर रुपया उधार देने वालों या पट्टा या अन्य सीमित स्वत्वार्पण द्वारा प्राप्त करने वालों को आगम तथा अधिकार की सुरक्षा देना।]

इसका मकसद कभी रेवेन्यू को बढ़ाने से नहीं था। इसका मकसद जनता के जीवन को सुरक्षित करने के लिये था। आगे चल कर उनके कंट्रैक्ट्स में कोई बेइमानी न हो इसलिये इस व्यवस्था को क़ायम किया गया था। जब उस व्यवस्था को अंग्रेजों ने कायम किया तो उसका उद्देश्य तो जनता की सेवा करना था और उसी अंग्रेजी राज्य को तोड़ने के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसने इसे रेवेन्यू का एक साधन बना लिया। यह कितना पीछे ले जाने वाली बात है! मैं चाहता हूं कि इसको माननीय मंत्रीगण महसूस करें और सोचें कि इस व्यवस्था को जो जनता के सामाजिक जीवन को सुरक्षित करने के लिये होनी चाहिये अगर उसे मंत्री जी रेवेन्यू का साधन करेंगे तो इससे वे जनता का कल्याण करने जा रहे हैं या अकल्याण करने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसे हमारे कोई भी माननीय मंत्री होंगे जो यह समझें कि जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है उससे जनता का कल्याण होगा। वित्त मंत्री जी या न्याय मंत्री जी यह तर्क देंगे कि सरकार का खर्च बढ़ता चला जा रहा है तो आमदनी कहां से आये। हमने कई बार इस सदन में भी और बाहर भी बताया है कि आमदनी कहां से आयेगी। जहां से आमदनी आनी है उधर जाने की तो सरकार की हिम्मत ही नहीं पड़ती। उधर तो जैसे उसे आंच लगती है और वह दूर भागती है! वह डिटेल अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो हम उनको देने के

लिये तैयार हैं कि सरकार की आमदनी कैसे बढ़े, हमारे प्रान्त का ढांचा कैसे समुचित रूप से व्यवस्थित हो और उसमें अराजकता और भ्रष्टाचार कैसे मिटे। मैं यह कह रहा था कि जो मूल उद्देश्य यह स्टैम्प विधेयक लाने का है और जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है वह निहायत ही ग़लत तरीके से रखा गया है और उस तरीके से रखने में इस सरकार के लिये कोई शोभा की बात नहीं है और मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिये अपमानजनक है। उत्तर प्रदेश जो हमारा सबसे बड़ा सूबा है और जिस। पर हम सब लोग गर्व करते हैं कि हम तो मुख्य-द्वार हैं वहां की सरकार जब नकल करने चलती है तो ऐसी बातों की जिनमें जनता पर टैक्सेशन का भार बढ़ाने की बात होती है, लेकिन जहां पर सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने की बात होती है उसकी नक़ल करने सरकार कभी जाती नहीं।

मैं अर्ज कर रहा था दूसरी बातों को जिससे मंत्री जी को अपने कैबिनेट (मंत्रिमंडल) के सदस्यों को समझाने में आसानी पड़े। तो जहां तक दफ्तर की बात है उसके आंकड़े तो मैंने बताये कि सरकार के दफ्तर भी कम होते चले जाते हैं। अब हम यह देखें कि आप्शनल डाक्यूमेंटस (ऐच्छिक अभिलेख) और कम्पलसरी डाक्यूमेंटस (स्थायी अभिलेख) यह दो। तरह के होते हैं। आप्शनल डाक्यूमेंट्स जब ज्यादा होते हैं जब कि स्टाम्प का रेट कम हो और कम्पलसरी डाक्यूमेंट में तो मजबूरी स्टाम्प लगाना ही पड़ता है। औप्शनल डाक्यूमेंट्स १८६५ में ३०० प्रतिशत, १८६७ में २०० प्रतिशत, १८७० में २००, १८७७ में १७५, १८८० में १००, और आते आते सन् १९२० में २० प्रतिशत, १९२५ में १६ प्रतिशत और १९४९ में १५ प्रतिशत हो गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप्शनल डाक्यूमेंटस १८६५ में ३०० प्रतिशत थे और १९४९ में केवल १५ प्रतिशत रह गये। मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह सरकार की पालिसी का द्योतक है क्योंकि जनता उधर नहीं जाती है। जनता इतने भार से लाद दी जाती है कि वह घबराती है और उसके पास इतना पैसा नहीं है है कि वह स्टाम्प खरीदकर डाक्यूमेंट पर लगा सके। हमारे कथन की पूर्ति इस तरह से होती है कि एवरेज डाक्यूमेंट सन् १८६५ में २५० रुपये थे, १८६७ में २६०, १८७० में २६५, १८७२ में ३६५, १८७७ में ३५३। इस तरह से १९०१ में ४०८ जब हम जरा प्रगति की ओर जा रहे हैं। जब आमदनी बढ़ाने की बात आई सेवा से हटकर रेवेन्यू बढ़ाने की बात आई तो गगनचुम्बी वृद्धि हो रही है, सन् १९४९ में १५५३ हजार हो जाते हैं। यह आकाश को छूने वाली बृद्धि है। २५० हजार रुपये से चलते हैं और १५५३ हजार रुपये पर आ जाते हैं। टोटल नंबर आफ इन्कम (आय की कुल संख्या) की बात भी इसी तरीके की है कि हम गगन-चुम्बी रूप में बढ़ते चलते हैं। हम चलते हैं २०३ से और आजाते हैं सन् १९४९ में २१६५ पर मुझे यहां यह निवेदन करना है कि हमको केवल १९४९ के ही फिगर्स मिल सके हैं। अगर १९५० ५१ मिल सकते तो इसमें और भी ज्यादा बढ़ोत्तरी होती। इस तरह से १९४९ में २१६५ पर आजाते हैं। अब एवरेज कास्ट आफ रजिस्ट्रेशन देखिये। सन् १८६५ में एक रुपये थी, १८६७ में एक रुपया ७ आना और १८७० में १ रु० ६ आना और आज के जमाने में यानी १९४९ में १३ रुपये १० आने हो गई है यानी इसमें भी १३ गुनी की वृद्धि हो गई है; और टोटल एक्सपेंडीचर १८६५ में १६६ था और १९४९ में ११०८ हो गया। इसी तरह से उधर भी खयाल करें कि पापुलेशन (आबादी) में भी वृद्धि हुई है या नहीं? हो सकता है कि सरकार की ओर से यही तर्क दिया जाय कि पौपुलेशन (आबादी) बढ़ गई है इसलिये यह स्टाम्प का रुपया भी बढ़ गया है। तो मेरा कहना यह है कि रुपया पापुलेशन से नहीं बढ़ेगा बल्कि यह तो डाक्यूमेंट से बढ़ता है। इसलिये मुझे डर लगता है कि कहीं हमारे मित्र परिपूर्णानन्द जी न उठ खड़े हों और वह यह तर्क देने लगें कि आबादी ज्यादा हो जाने से रजिस्ट्रेशन विभाग को भी रुपया ज्यादा मिलने लगा। अगर सरकार इधर जायगी तो गल्ती करेगी। यह देखना है कि कितने डाक्यूमेंट्स लिखे गये हैं। उनमें से कितने कम्पलसरी (मजबूरी के साथ) और कितने औपशनल लिखे गये हैं। सरकार जिस नीति पर चल रही है वह प्रतिक्रियावादी है और बड़े-बड़े सरमायेदारों के हितों की रक्षा करने वाली है।

[श्री राज नारायण]

जो नीति सरकार की चल रही है वह आम जनता के लिये जो आज खाने के लिये मर रही है, जिसके पास आमदनी का जरिया नहीं है, वह कहां से जा कर आमदनी लायेगी, उसके लिये यह नीति हितकर नहीं है कि इतना ऊंचा रेट रजिस्ट्री का कर दिया जाय। यह तो सारी की सारी नीति बिलकुल रद्दी की टोकरी में फेंक देने के काबिल है और इसके स्थान पर एक समुचित व्यवस्था रजिस्ट्रेशन विभाग में करने की आवश्यकता है और इसका इस तरह से बिखराव करना है कि यह विभाग आम जनता को आसानी से प्राप्त हो सके। यह ध्येय गांव सभाओं के सभापतियों के अधिकार में इसको देकर प्राप्त हो सकता है।

एक बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रजेंट पोजीशन आफ स्टैम्प इनकम (आय) क्या है। स्टैम्प्स से इनकम (आय) सन् ५०–५१ में २,४३,७०,११५ थी और आगे चल कर ५१–५२ में वह २ करोड़ ४० लाख रह गई। माननीय मंत्री जी को दृष्टि जरा खुले और वह देखें कि जो इनकम ५१–५२ में रह गई, वही ५२–५३ के एस्टिमेंट (अनुमानित) बजट में दिखाई गई है। इसका क्या कारण है? माननीय मंत्री जी सदन को बतलावेंगे कि ५०–५१ में जब इनकम २,४३,७०,११५ थी तो वह घट कर २ करोड़ ४० लाख क्यों रह गई। रूट काज (मूल कारण) इसका यह है कि डाक्यूमेंट की संख्या घट जाने से उसी अनुपात से रुपया घटता चला जाता है। सरकार अपनी बुद्धि में यह सोचती है कि वह रेट बढ़ा तो आमदनी बढ़ती जायगी। मगर यह नीति गलत है। इसलिये गलत है कि अगर सरकार की नीति आमदनी बढ़ाने की है तो उसके लिये और दूसरे जरिये हैं जिनसे सरकार अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे मुख्य मंत्री और माननीय सम्पूर्णानन्द जी के रहते हुये हर गलत तरीके से दूसरे सूबों की नकल की गई और उद्देश्य और कारण में लिख दिया गया कि बम्बई और मद्रास में चूंकि ऊंचे रेट हैं इसलिये उत्तर प्रदेश ऊंचे रेट अपने यहां कर दे। मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिये बहुत ही अशोभनीय है। हमारे सुरेश प्रकाश जी कहते हैं कि बहुत लज्जाजनक है, यह भी ठीक है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्वाइन्ट को समझ गये होंगे क्योंकि स्टैम्प रेट बढ़ा देने से सरकार को आमदनी माना बढ़ गई, मगर जितनी ड्यूटी वह बढ़ाती जायगी उतनी संख्या डाक्यूमेंट की कम होती जायगी। आंकड़े यह बात साबित करते हैं। आंकड़ों से भी मेरी बात की पुष्टि होती है। इसलिये सरकार इस बात को न समझे कि वह ड्यूटीज को बढ़ा कर अपनी आमदनी बढ़ाने की जो तजवीज पेश कर रही है क्या वह सही है; वह सही नहीं है, गलत है और इसलिये माननीय मंत्री जी इसको वापस लेने की कृपा करेंगे। सरकार इस रजिस्ट्रेशन विभाग को डिसेंट्रेलाइजेशन (विकेंद्रीत) करने की योजना अपने सामने रक्खे तो हम भी सरकार को समुचित सुझाव देंगे। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन विभाग को डिसेंट्रलाइज किया जाय, इसको जनतांत्रिक स्वरूप दिया जाय, इसके लिये हमारे पास नोट्स तैयार हैं। अगर माननीय मंत्री जी कुछ लाभ उठाना चाहेंगे तो मैं उनकी खिदमत में पेश करने को भी तैयार हूं। पढ़ने में मंत्री जी को जरूर परेशानी होगी और हम भी इस रिपोर्ट को तैयार करने में बहुत परेशान हुये हैं। हम समझते थे तीन दिन पहले जब यह स्टैंड बिल आया, कि माननीय मंत्री जी जरूर इस बात पर मजबूर करेंगे और सदन में मेम्बरों से कहेंगे कि इसको डिस्कशन (वादविवाद) के अन्दर ले लिया जाय, इसलिये ४ दिन में इस पर पूरे तौर पर विचार करने के बाद, पूरी व्यवस्था देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह जो रजिस्ट्रेशन विभाग है, यह जो ड्यूटीज बढ़ाने का विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है, यह निहायत गलत और निकम्मा है। यह थोड़े से एरिस्ट्रोकेट (पूंजीपतियों) सरमायादारों के लिये लाभप्रद हो सकता है क्योंकि उनके पास पैसा है वे अपने कंट्राक्टस् को डाकुमेंट के जरिये सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन उस गरीब जनता का क्या होगा जो आज पिसी जा रही है और तबाह हो रही है जिसके पास खाने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है? वह जनता इतनी ऊंची दर पर कैसे अपने कंट्राक्ट को रजिस्टर्ड रख सकती है यह समझ में नहीं आता। मैं हाउस का ज्यादा समर्थन लेकर आपके जरिये से माननीय न्याय मंत्री से यह निवेदन

करूंगा कि वह सदन का समय नष्ट न करें और इस विधेयक को वापस ले लें तो इसमें उनकी खूबी है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है और आम जनता का हित है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने चार रोज से इस विषय पर गहरा अध्ययन किया है फिर भी उनको समझ में यह नहीं आया कि कि स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जाय या न बढ़ाई जाय। उन्होंने यह कहा कि स्टाम्प ड्यूटी नहीं बढ़नी चाहिये। मैं तो उनके भाषण को सुनकर इसी परिणाम पर पहुंचा हूं कि या तो उनकी बुद्धि कुंठित है या उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयत्न नहीं किया है। ६०-७० वर्ष पहले का आज के समय से उन्होंने मिलान किया है। कृषि-जनित द्रव्यों का मूल्य इतना अधिक हो गया है कि जिसके कारण प्रत्येक वस्तु का मूल्य बहुत ऊंचा हो गया है और रुपये की वैल्यू इतनी कम है कि जो बहुत कम कही जा सकती है। इस विषय को अगर उन्होंने समझने का प्रयत्न किया होता तो वे कदापि इस प्रकार से न कहते और इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार न करते जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में इसके संबंध में कहा है। मैं तो यह निवेदन करता हूं कि अगर यह सरकार स्टाम्प ड्यूटी को नहीं बढ़ाती है तो वह अन्याय करती है। आर्थिक दृष्टिकोण से वैल्यू को एक स्तर पर लाने के लिये यह आवश्यक है कि स्टाम्प ड्यूटी बढ़ायी जाय। कृषि जनित द्रव्यों का मूल्य अधिक हो गया है और साथ ही शासन का सुचारु रूप से संचालन करने के लिये यह आवश्यक भी है कि स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जाय। अगर इस दृष्टिकोण से वे इस विषय पर विचार करते तो इस प्रकार से अपने विचारों को इस सदन के सामने न रखते जैसा कि उन्होंने कहा है। बस मुझे इतना ही निवेदन करना था।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह सोचता था कि जब माननीय न्याय मंत्री जो इस विधेयक को प्रस्तुत करते होंगे तो विस्तार-पूर्वक हमको यह बतलायेंगे कि आखिर उनको क्या आवश्यकता पड़ी कि जिसके कारण उनको यह इस प्रकार से २५ फीसदी स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाना पड़ी, लेकिन उन्होंने बहुत संक्षेप में अपना सारा भाषण खत्म कर दिया केवल यह कहकर कि जब संशोधन इसके ऊपर आयेंगे तो उस समय वह अपनी राय देंगे। मैं यह समझता हूं कि जनता को इस तरह की उम्मीद तो करनी ही चाहिये कि जब न्याय मंत्री जी यहां पर कोई नया टैक्स लायें तो हमको यह बतलायें कि यह टैक्स इसलिये है और इस कारण से इसको लाया जा रहा है। तभी जनता उसको सही रूप में स्वीकार कर सकती है और मंजूर कर सकती है।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, एक कारण इसके उद्देश्य में बतलाया गया है कि चूंकि मद्रास और बम्बई में यह ड्यूटी ज्यादा है इसलिये यहां पर यह आवश्यक समझा गया कि हम एक रूपता लाने के लिये अपने यहां भी ड्यूटी को बढ़ायें। लेकिन मैं विनम्र शब्दों में उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको बराबर नहीं किया है बल्कि मद्रास और बम्बई में जो है उससे आठ आना ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके अन्दर धारा १५ में जो बांड के मुताल्लिक है या धारा २३ में कन्वेयन्स के मुताल्लिक है वहां पर डेढ रुपया था जिसको आपने अब दो रुपया कर दिया है। आपने बराबर तो नहीं किया आपने तो उसको और बढ़ा दिया है। हमारे न्याय मंत्री जी ने बड़ी कृपा की कि उन्होंने मद्रास और बम्बई का ही नाम लिया। बिहार, राजस्थान और पंजाब का नाम नहीं लिया क्योंकि वहां पर बहुत कम थी और अगर वह ऐसा कहते तो उनको भी यहां पर रेट कम करना पड़ता, लेकिन अपनी पुट मिलाने के लिये उन्होंने मद्रास और बम्बई का ही नाम लिया क्योंकि यह उनके फेवर (पक्ष) की बात थी। और हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने साबित कर दिया कि बम्बई और मद्रास में जो ड्यूटी बढ़ी है वह केवल कुछ ही आइटम में बढ़ी है और बाकी में कम है। पहले आइटम में ही उन्होंने साबित कर दिया कि वहां उसमें

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

एक आना ६ पाई है और यहां उसी में ४ आने है। माननीय मंत्री जी की जो यूनिफार्मिटी (एकरूपता) लाने की बात है उसके बारे में मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि उनको मालूम होगा कि इंडियन टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने सन् २५ में कहा था कि इंडियन स्टाम्प ऐक्ट को जिस तरह से अलग अलग प्रदेश जैसे चाहें अमेंड कर लेते हैं, कभी ड्यूटी बढ़ा लेते हैं और कभी राउन्ड आफ़ कर लेते हैं यह ठीक नहीं है बल्कि भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश में जो कुछ भी ड्यूटी बढ़ायी जाय उस में एक यूनिफ़ार्मिटी होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी का उद्देश्य तो इंडियन टैक्सेशन इन्क्यायरी कमेटी के सिद्धांत के अनुसार था लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुये इसका मुझे बहुत अफसोस है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के समय ही कहा था कि टैक्सेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमें अपनी पंचवर्षीय योजना के लिये धन की आवश्यकता होगी। यदि यह २५ फीसदी बढ़ाने की बात भी अपने उद्देश्य और कारणों में बतला दी जाती या शुरू के भाषण में ही बतला दिया जाता तो मैं समझता कि कुछ मुनासिब होता लेकिन वहां कुछ नहीं कहा गया। जहां तक मैं समझता हूं, आज जो बिल आ रहा है यह इस प्रदेश में टैक्सेशन की जो नीति है, यह उसका एक अध्याय है, उसका उद्घाटन है या उसकी शुरुआत है लेकिन यह जो नीति है अगर सरकार इसको पूरा करना चाहती है तो क्या यह स्टाम्प ड्यूटी से ही पूरा करने की शुरुआत की जायगी, क्या यही एक ड्यूटी है जिसको बढ़ा कर सरकार अपनी रेवेन्यू बढ़ा सकती है? हमारे विरोधी दल के नेता ने सिद्धांत की बात कही कि स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ा कर आप डाकूमेंट्स को नहीं बढ़ा सकते। इन्कवायरी कमेटी ने भी कहा था कि स्टाम्प ड्यूटी के बढ़ाने से आपकी रेवेन्यू बढ़ती नहीं है बल्कि वह घटती है। मैं मिसाल के तौर पर माननीय राज नारायण जी ने जो आंकड़े रखे थे उनके अलावा दूसरे आंकड़े रक्खूंगा जिनसे साबित होगा कि सन् ४१–४२ से आजतक जब कि ५० फीसदी रेट्स स्टाम्प के बढ़े हैं लेकिन उसी अनुपात में आप को रेवेन्यू नहीं बढ़ी है। अभी हमारे मित्र मिश्र जी ने कहा कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिये है। यह सलाह तो माननीय मिश्र जी को माननीय मंत्री जी को देना चाहिये थी, सदन तो इसको स्वीकार नहीं कर सकता है कि अब भी मुद्रास्फीति है। हमारी सरकार तो यह दावा करती है कि उसने मुद्रास्फीति पर काबू पा लिया है और अब मुद्रास्फीति बाकी नहीं है। यदि यह सत्य है तो अब किन मानों में यह प्राविजन मुद्रास्फीति को रोकने के लिये किया जा रहा है?

यू० पी० एकनामिक रिसोर्सेज इन्कवायरी कमेटी की रिपोर्ट में पृष्ठ ४५ पर आप देखें उसमें कमेटी ने विरोध किया है और कहा है कि––

"To combat the inflationary danger of war years a surcharge of approximately 25 per cent. on stamp duty and court fees was imposed in 1943 as a temporary measure. As the main object of combating inflationary tendencies still exist the surcharge of 25 per cent was maintained on a permanent basis through the U. P. Stamp and Court Fees Amendment Act of 1948."

[स्टाम्प ड्यूटी में लगभग २५ प्रतिशत सरचार्ज युद्ध के समय की मुद्रास्फीति के संकट का सामना करने के लिये एक अस्थायी विधान के रूप में १९४३ में अरोपित किया गया था। क्योंकि मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों का सामना करने का मुख्य उद्देश्य अब भी विद्यमान है अतः यू० पी० स्टाम्प एन्ड कोर्ट फीस अमेंडमेंट अधिनियम १९४८ के द्वारा २५ प्रतिशत का सरचार्ज स्थायी आधार पर स्थापित रखा गया है।]

इसका अर्थ केवल यही है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिये आवश्यकता सन् ४८ में थी और सन् ४९ में भी वही। तो फिर यह कहना कि आज भी वही हालतें हैं, जैसा कि माननीय मिश्रजी ने कहा, और मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है और उसे ठीक करने के लिये यह टैक्सेशन

लाया गया है, यह उचित नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमारी सरकार केवल २५ फीसदी का ही बिल नहीं लाती। अगर मुद्रस्फीति का ही सवाल था तो हमारे पास ड्यूटी बढ़ा कर ज्यादा रुपया आना चाहिये था। मगर ऐसा नहीं हुआ। जिस अनुपात से व्यापार और आबादी बढ़ी हैं उसी अनुपात से हमारी आमदनी नहीं बढ़ी। सन् ४३-४४ में जबकि पहली बार रेट २५ फ़ीसदी बढ़ाया गया तब सरकार को १,८४,५०,००० रु० की आमदनी हुई। सन् ४९ ५० में २ करोड़, २६ लाख ७१ हजार २४४ रु० मिले। अगर आप १८४ लाख में ५० प्रतिशत बढ़ावें तो आज २ करोड़ ७६ लाख रुपये की आमदनी होनी चाहिये थी लेकिन हुई केवल २, २६,७१,२४४ रु० की ही। जैसा कि इस सदन को मालूम है, सन् ४८ का जो कार्ट फ़ीस ऐक्ट है उसे मुस्तक़िल कर दिया गया। जिन इंस्ट्रूमेंट्स में पहले सरचार्ज नहीं था उनमें भी सन् ४८ में लगा दिया गया। उससे भी सन् ४७-४८ में २ करोड़ ६८ लाख रुपये की आमदनी हुई। तो इतना बढ़ाने पर भी, इन्फ़लेशन को रोकने की बात करने पर भी व्यापार और आबादी में वृद्धि होने पर भी, आमदनी हमारी उतनी नहीं बढ़ी जितनी की आशा और दावा यह सरकार करती थी। अगर सरकारी नीति स्टाम्प ड्यूटीज टैक्सेशन बढ़ाने की है तो वह यह समझती है कि उन्हें इससे अधिक रुपया मिलेगा तो मैं समझता हूं कि वह गलतफहमी में है।

इसके अलावा अब हम अपनी स्टाम्प ड्यूटी की दूसरे मुल्कों से अमेरिका या इंगलैन्ड वगैरह से तुलना करते हैं तो इंडियन इनक्वायरी टैक्सेशन कमेटी ने कहा है कि जितने भी यहां बांड्स या मार्टगेज डीड्स हैं उन सबमें जितनी स्टाम्प ड्यूटी हम लेते हैं वह बहुत मुल्कों से बहुत ज्यादा है। उस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि जितनी इस प्रकार की ड्यू चीज़ हैं वे घटाई जावें। लेकिन हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उस कमेटी की सिर्फ एक बात मानी कि जिसमें कमेटी ने यह कहा था "as if in the instrument" (जैसा कि करण में है) चार चीजों में घटा दिया। टैक्सेशन के दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि जो उन्होंने कहा कि क़र्जदारी डाक्यूमेंट्स जो हैं उनके टैक्सेशन को कम कर दिया जाय ताकि डाक्यूमेंट सही हो सकें और उनमें झूठ बात न आ सके। इसके अलावा जो एड वैलोरम स्टाम्प ड्यूटी है उसमें कहा गया है कि १०० रु० पर ८ आने से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिये। आर्टीकिल आफ़ एसोसियेशन और मैमोरेंडम आफ एसोसियेशन की जो ड्यूटी है वह १० रु० से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। और पैनल्टी के बारे में भी जबकि टिकिट कम लगाया गया हो या बिलकुल न लगाया गया हो, उनकी यह बिलकुल साफ राय थी कि आधी ड्यूटी ली जाय लेकिन यह साफ होते हुये भी माननीय मंत्री जी ने इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं देखा कि इन गलतियों को स्टेट ड्यूटी ऐक्ट के अन्दर किस प्रकार दूर किया जा सकता है। रोजाना कोर्ट्स से अन्दर इंस्ट्रूमेंट्स में इस प्रकार की कमी रह जाती है उनको किस प्रकार से दूर किया जाय, इस ओर माननीय मंत्री जी का बिलकुल ध्यान नहीं गया। यह नहीं विचारा गया कि जब ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। माननीय मंत्री जी को एक इलाहाबाद का केस मालूम है कि एक बड़े मकान मालिक ने पार्टीशन ड्यूटी से बचाने के लिये उसको किस प्रकार अलग अलग डिवाइड (विभाजित) कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोग ड्यूटी से बचने के लिये इंस्ट्रूमेंट के टुकड़े कर देते हैं। इसका नजीता यह होता है कि सरकार को जो आमदनी होनी चाहिये वह नहीं हो पाती। दूसरी ओर जब यह इंस्ट्रूमेंट्स कचहरी के सामने आते हैं तो मालूम होता है कि उनमें बहुत सी ग़लतियां हैं और जो लोग अधिकारी होते हैं, टाइटिल डीड्स पर जिनका अधिकार होता है तथा जिनको कोई गलती नहीं होती, ड्यूटी कम या न लगाने से अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। क्या आपने ड्यूटी के बढ़ाते समय यह भी देखा है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स लिखे जाते हैं और जो लोग उनको लिखते हैं, संपत्ति पर उनके जो अधिकार होते हैं वे अधिकार तो उनके नहीं छिनते? मैं खयाल करता हूं कि माननीय न्यायमंत्री ने इस दृष्टिकोण से इस बिल को नहीं रखा। उन्होंने तो सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये, अपने बजट में जो डैफीसिट है उसको पूरा करने के लिये ही यह बिल रखा है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जहां तक नैगोशियेबिल और नान नैगोशियेबिल बांड्स का ताल्लुक है, श्री गणपति जी जो इस स्टेट में आधार माने जाते हैं उनका कहना है कि--

"Legal evasion would be to complete transactions without an instrument requiring high duty, as, for instance, an agreement of sale followed by actual transfer of goodwill and stock-in-trade or an agreement for sale followed by delivery of possession of immovable property where the parties have complete confidence in each other and do not attach importance to title deeds. This should not be so serious to the revenue as a resort to illegal evation. This entails additional cost to government in maintaining an alert and vigilant staff to detect leakage and enforce penalties provided under the Act."

[विधिक कखंचना का रूप होगा कि व्यवहार करण के बिना किये जायं जिनमें ऊंचे शुल्क की अपेक्षा हो, उदाहरणतया, बिक्री का करार जिसमें सद्भावना तथा व्यापारिक माल का संक्रमण हो या बिक्री का वह करार जिसमें अचल सम्पत्ति का कब्जा दिया जाय जहां पक्षों में परस्पर पूर्ण विश्वास हो और आगम लेखों को महत्व नहीं देते। अवैध करवंचना का प्रयत्न राजस्व के लिये इतना गंभीर नहीं होगा। रहस्य-भेद का पता लगाने के लिये तथा अधिनियम में उपबद्ध शास्तियों को प्रवर्तित करने के लिये सचेत और जागरूक कर्मचारिवर्ग के रखरखाव में सरकार पर अतिरिक्त व्यय का भार पड़ेगा।]

इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है कि किस प्रकार लीगल इवेजन होता है, उन्होंने बताया है कि किस प्रकार ऐग्रीमेंट व ट्रांस्फर डीड्स वगैरा में इवेजन होता है। माननीय मंत्री ने यह कभी भी विचार नहीं किया कि इस इवेजन को दूर करने के लिये क्या किया जा सकता है। क्या आपने इसके मुताल्लिक जनता की राय ली? आपने तो केवल अपने बजट को पूरा करने के लिये, अपने डैफीसिट बजट को पूरा करने के लिये ही, यह संशोधन बिल पेश किया है। आपके स्टेट्ट ड्यूटी ऐक्ट में और भी अनेक कमियां और खामियां हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि उसमें ऐसे ऐसे भी क्लाज है, उसमें ऐसी ऐसी भी चीजें लिखी हैं जिनसे सरकार को शायद १ रुपया भी आमदनी अभी तक नही हुई होगी! शिड्यूल 'बी' में ऐसी बहुत सी चीजें दी हुई हैं। आर्टिकिल ११ के हिसाब से क्या गंगा जी पर नावें चलायेंगे? अब आर्टिकिल १६ लीजिये शिड्यूल वन् बी का, यह बाटमरी बांड है। कितना रुपया मिला माननीय मंत्री जी को इस गवर्नमेंट को इस बांड से? यह सारा विधेयक सिर्फ दिखलाने के लिये है। यह आर्टिकिल तो इंडियन ऐक्ट में ठीक है। जैसे बम्बई है जहां समुन्दर मौजूद है वहां तो ठीक है लेकिन यहां यू० पी० में इसकी क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। यह शिड्यूल वन् में तो रह सकता है लेकिन शिड्यूल वन् बी में इसको रखने की क्या जरूरत है? नोटैरियल ऐक्ट आर्टिकिल ४२, चार्टर पार्टी आर्टिकिल २०, नोट आफ प्रोटेस्ट आर्टिकिल ४४, प्रोटेस्ट आफ बिल आर नोट आर्टिकिल ५०, प्रोटेस्ट बाई दि मास्टर आफ ए शिप आर्टिकिल ५१, रिस्पांडेंशिया बांड आर्टिकिल ५६ और शिपिंग आर्डर आर्टिकिल ६०, ये इतने आर्टिकिल्स हैं जो मैं समझता हूं बिलकुल असंबद्ध है, सिर्फ दिखाने के लिये रखे गये हैं। जब गंगा जी, या सरजू या यमुना जो पर जहाज चलायेंगे तब यह लागू हो सकेगा। लेकिन ऐसी कोई चीज तो पंचवर्षीय योजना में नजर नहीं आती और न कोई ऐसी पंचवर्षीय योजना शायद है ही तो फिर यह क्यों रखा गया है यह समझ में नहीं आया।

इसके साथ ही साथ जैसा मैं आपसे कह रहा था कि इंडियन टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी ने यह भी कहा है कि बांड्स और कनवीयेंसेज में अगर हमें अन्याय रोकना है तो कम से कम एक हजार रुपये से ज्यादा और पांच हजार रुपये से कम बांड्स या कन्वीयेंसेज होते हैं वहां पर पांच सौ का गैप (अन्तर) नहीं रखना चाहिये बल्कि २ सौ रुपये का गैप रखना चाहिये।

लेकिन आप यह देखें कि शिड्यूल वन् बी का १५ वां और २३ वां आर्टिकिल, इनमें ५ सौ रुपये का गैप आजतक रखा गया है और मैं समझता हूं कि यह बिलकुल अन्यायपूर्ण बात है उन लोगों के लिये जो कि कम रकम में बांड मारगेज करते हों या जो बांड्स को अवेल (उपयोग) करते हों। मैं आपको सुना दूं कि इसमें साफ साफ कहा गया है :—

"The Committee, therefore, recommended that in the case of conveyances and bonds where the amounts involved exceed Rs. 1,000 and do not exceed Rs. 5000, the intervals in the scale should be Rs. 200 only and not Rs. 500. But so far, this recommendation has not been given effect to in any State."

[अतः समिति ने यह सिफारिश की कि क्रय-पत्रों और बन्धों में जहां अन्तग्रसित धनराशि १००० रु० से अधिक हो और ५००० रु० से अधिक न हो तो क्रम में विराम २०० रु० होना चाहिये ५०० रु० नहीं। किन्तु अभी तक इस सिफारिश को किसी राज्य में सप्रभाव नहीं किया गया।]

मैं समझता हूं कि शायद उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर गया नहीं, अब शायद चला जाय और इसीलिये मैं पढ़ने की गुस्ताखी कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि अगर सरकार फैसला करने बैठती है अगर संशोधन करना चाहती है तो टैक्सेशन के दृष्टकोण से नहीं बल्कि न्याय के दृष्टिकोण से भी उन खामियों को दूर करें। इसमें कोई गलतियां दूर नहीं की गई है। सिर्फ एक गलती दूर की गई है और वह खंड तीन में है लेकिन खंड तीन ऐसा है कि अगर पढ़ने बैठता हूं तो समझ में नहीं आता और न आयेगा। इसमें कितने तो, ए० ए०, बी० बी० आई० आई० जाने कितने भरे हैं इसको अगर मैं माननीय मंत्री से कहूं कि समझाइये तो उनको एक घंटा समझाने में लगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दूसरे प्रान्तों के जो प्रान्तीय ट्रांजैक्शन होंगे उन पर कितनी ड्यूटी लगेगी लेकिन उतने फेर से उसमें ड्राफ्ट किया गया है कि यहां पर जो बड़े बड़े वकील है वह भी चक्कर में पड़ जायेंगे तो ऐसे चक्कर से ड्राफ्ट किया गया है कि एक घंटा मुझे ढूंढ़ने में लगा और देखने की कोशिश में लगा। कितनी किताबें ढूंढ़ी और कितनों से बातें की तब जाकर अन्दाजा लगा कि जितना संशोधन होना चाहिये था, जो चीज दुरुस्त होना चाहिये थी, वह दुरुस्त नहीं हुआ। हां, जो दुरुस्त हुआ वह इस तरह से दुरुस्त हुआ कि जो समझ में नहीं आती है। शायद यही इसका मतलब हो सकता है। शायद अब भी मैं न समझ पाया हूं तो माननीय मंत्री जो इसको समझाएं और उनको समझाना चाहिए कि कहां गलती दूर की है।

इसके साथ ही जो इंडियन टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी ने कहा है वह यह है कि—

"The Taxation Enquiry Committee report also pointed out that the high rate of duty on bonds in India was able to have the effect of encouraging the use of promissory notes even in cases where bonds would be more appropriate instruments for carrying out transactions."

[करारोपण परिप्रश्न समिति के प्रतिवेदन में यह भी संकेत किया गया है कि भारत में बन्धों पर शक्ल की ऊंची दर का प्रभाव यह हुआ कि उन प्रकरणों में भी प्रोमिसरी नोटों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला जहां व्यवहारों के निष्पादन में बन्ध अधिक उपयुक्त करण होते।]

यानी बांड्स के बजाय प्रामिसरी नोट ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और इससे कितनी जालसाजी फैलती है मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसके उदाहरण ज्यादा मालूम होंगे।

"The penalty, sometimes considered unduly harsh, esepcially as the great disparity between the duties on promissory notes and that on bond, induces several ignorant persons to get their credit instruments in the

[श्री नारायणदत तिवारी]

form of promissory notes, without at the same time properly stamping them or nonstamping them. The line of distinction between such non-commercial promissory notes and bonds is very thin in most cases that there is no reason why such differentiation in duty and the consequences of non-stamping should be perpetuated."

[शास्ति कि कभी-कभी अनुचित रीति से सख्त समझी जाती थी, विशेषतया इसलिये कि प्रोमिसरी नोट और बन्धों पर शुल्क की असमानता अनेक अज्ञ व्यक्तियों को अपने साख पत्रों को प्रोमिसरी नोट के रूप में पाने के लिये प्रोत्साहित करती है और साथ ही साथ वे उनको या तो उचित रीति से स्टाम्प नहीं करते या बिल्कुल स्टाम्प नहीं करते। इस प्रकार के अव्यापारिक प्रोमिसरी नोट तथा बन्धों में अधिक-तर प्रकरणों में विभेद-रेखा बहुत सूक्ष्म रहती है कि ऐसा कोई कारण नहीं रहता कि इस प्रकार का शुल्क में विभेद और स्टाम्प लगाने के परिणामों को जारी रखा जाय।

मैं इसीलिये पढ़ रहा हूं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ताकि मैं गलतियां बता सकूं और माननीय मंत्री जी को उन्हें दुरुस्त करना चाहिये। मैं अब भी कहूंगा, जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को वापस लें और जितने भी हमारे लीगल एक्सपर्टस हैं चाहे वह चिताले हों, चाहे वह दुबौन हों और चाहे वह गणापति हों, आप लीगल रेमेम्बरेंसर को कंसल्ट करें, इस माननीय सदन के सदस्यों को कंसल्ट करें और जो लीगल डिफीकल्टीज ऐक्ट में हैं जिनसे समय-समय पर कठिनाइयां उपस्थित होती हैं, वह भी दूर हो जायं। इसलिये मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। आसाम ने इस सिलसिले में अभी बड़ा अच्छा एक प्रयत्न किया है कि यूसफ्रचुअरी मार्गेज और सिम्पिल मार्गेज का फर्क दूर हो जाय। अभी हाल ही में ऐक्ट पास हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि माननीय मंत्री जी का ध्यान ही उधर नहीं गया। मैं समझता हूं कि जहां उन्होंने बम्बई और मद्रास का अनुकरण करने की मांग की है वहां अगर आसाम का अनुकरण लीगल डिफकल्टीज की दृष्टि से वह करें तो वास्तव में न्याय मंत्री कहे जा सकते हैं।

अब मैं अधिक न कह कर अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को वापस ले लें और न्याय के दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से, स्टाम्प ड्यूटी ऐक्ट में जो गलतियां रह गयी हैं, जो गैरजरूरी बातें लिखी गयी हैं, उनको दूर करें और इस विधेयक को वापस करें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्टैम्प डयूटी को बढ़ाने के सम्बन्ध में माननीय विरोधी दल के नेता ने आज फिर रद्दी की टोकरी का जिक्र किया। मेरा खयाल है कि शायद यह जिक्र उन्होंने बहुत बार इस सदन के सामने किया है। बजट के समय भी किया था और उसके बाद भी जब मौका मिलता है वे करते ही रहते हैं। हां, एक बात जरूर सही है कि आज जो तर्क इस सदन के सामने इस डयूटी के न बढ़ाने के सम्बन्ध में उन्होंने रखा और इसके सम्बन्ध में जो भाषण उन्होंने आज दिया मेरे खयाल में वह भाषण जरूर रद्दी की टोकरी को सुशोभित कर सकेगा। क्या विचित्र तर्क है, उसमें रोचकता भी है, उसके संबंध में तो मैं फिर निवेदन करूंगा, जो कि उनके तर्क से सिद्धान्त से संबंधित है। लेकिन जब भी समय मिलता है वह जरूर रख देते हैं और एक बड़े सर्किल में तर्क आता है और तर्क यह है कि आप इस डयूटी को मत बढ़ाइये क्योंकि आप इस डयूटी को बढ़ा-कर कुछ कर नहीं सकेंगे। कर क्यों नहीं सकेंगे ? क्योंकि शायद उनके कहने के मुताबिक कांग्रेस की सरकार है और तो कोई बात शायद सामने आती नहीं, सिवाय इसके कि आप इस टैक्स

को बढ़ा लीजिये, और टैक्सों को बढ़ा लीजिये, लेकिन अन्त में भी आप कुछ कर नहीं सकते। खैर, इसका तो उत्तर बहुत स्पष्ट है और आगे स्पष्ट होता जायगा, लेकिन और जो उन्होंने तर्क रखा, उसको भी जरा विश्लेषण की कसौटी पर उतारा जाय तो वह इससे भी ज्यादा रोचक है और वह तर्क यह है। वह भूल गये, दीनार और चितालें वाली बातों का जिक्र नहीं किया, मुग़ल शासन का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सन् १८६५ से प्रारम्भ किया। मेरा ख्याल है कि अगर वह पहले से प्रारम्भ करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन १८६५ से जब आपने प्रारम्भ किया तो आपका यह तर्क है शुरू से आखिर तक का कि स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में जो सरकारी कार्यालय खोले गये उनमें से उत्तरोत्तर अब कमी होती चली गई। जो टैक्स सरकार ने कुछ सालों से वसूल किया उसमें कमी होती चली गयी। इसीलिये उसका समर्थन उनके सहयोगी श्री राम नारायण जी ने भी किया। इसलिये यदि आप ड्यूटी अधिक बढ़ायेंगे तो सरकार की आय और पीछे हो जायगी। मेरा ख्याल है...।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मैंने कोई भाषण नहीं दिया।

अध्यक्ष—शायद आपका मतलब नारायण दत्त जी से है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं गलती कर गया। मुझसे नारायण नारायण की ग़लती हो गयी। नारायण दत्त जी से ही मेरा मतलब था। तो मैं जो अभी अभी कह रहा था कि जहां तक कि यह तर्क है कि यह स्टाम्प ड्यूटी अगर बढ़ाई गयी तो आय और कम होगी, मैं इससे सहमत नही हूं। जहां तक कि इस तर्क का सम्बन्ध है कि पिछले वर्षों में बावजूद इसके कि स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई गयी, आय कम हुई, इसका सम्बन्ध स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने से नहीं, किन्तु जो कि देश की व्यवस्था निरन्तर बदलती जा रही है, हमारे जीवन का रूप जो कि निरन्तर एक दूसरे ढांचे में ढलता जा रहा है उस पर अवलम्बित है। मेरे मित्र स्वयं इस बात से परिचित हैं कि स्टाम्प ड्यूटी का सम्बन्ध तीन चीजों से है। एक तो अदालती कार्यवाहियां, दूसरे यह जो हमारा व्यापारी जीवन जिसमें कि कम्पनी वाले और दूसरी किस्म के व्यापारी और उनकी सम्पत्ति का सम्बन्ध है और तीसरे ये जो वैयक्तिक सम्पत्ति के अधिकार और उसके सम्बन्ध में रद्दोबदल से सम्बन्धित जितने नियम हैं उनसे संबंधित जो कागजात लिखाये जाते हैं, उनके सम्बन्ध में जो टिकट और स्टाम्प लगाये जाते हैं उससे सम्बन्ध है। जहां तक पहली दो चीजों का सम्बन्ध है, अदालती कार्यवाही और कम्पनी वाले, उनसे सम्बन्धित जो कि स्टाम्प लगाये जाते हैं उन दोनों का सम्बन्ध तीसरी चीज यानी जो कि हमारे वैयक्तिक सम्पत्ति के कानून या अधिनियम और उस पर लगने वाले टैक्स है उससे उसका सम्बन्ध है। जहां तक वैयक्तिक सम्पत्ति से सम्बन्ध है, हमारे मित्र जानते हैं कि रोज रोज वह सदन में, प्रेस में और बाहर सभी कहीं यह कहने का प्रयास करते हैं कि वैयक्तिक सम्पत्ति इस देश से समाप्त होनी चाहिये।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य क्या अधिक समय लेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां।

अध्यक्ष—तो आप अपना भाषण बाद में जारी रखें। इस समय मैं एक सूचना देकर स्थगित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२ की प्रवर समिति के सभापति की नियुक्ति

अध्यक्ष—मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि कल एक प्रवर समिति उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) की नियुक्त हुई। उसके सभापति

[अध्यक्ष]

को नियुक्त करने की आवश्यकता है। मैंने श्री वित्त मंत्री जी को सभापति नियुक्त किया है। यह सूचना मैं सदन को देता हूं।

अब हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संक्षोधन) विधेयक, १९५२

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--माननीय चेयरमैन साहब महोदय, मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था वह यह थी कि विरोधी दल के नेता महोदय ने जिन तर्कों को इस सदन के सामने रखा उनमें से एक तर्क यह भी था कि यदि स्टाम्प ड्यूटी बढ़ायी जाती है तो अनुपात से रजिस्ट्रेशन की संख्या घटेगी और जैसा कि उन्होंने आंकड़ों से सिद्ध करने की कोशिश की, आय भी उसी प्रकार से घटेगी। इसके विपरीत मैं कह यह रहा था कि मेरे मित्र जिस बात के सम्बन्ध में यहां कहते हैं वह इस देश में लागू नहीं होती। मैंने यह बताया कि स्टाम्प ड्यूटी का असर तीन प्रकार के कामों में पड़ता है, अदालती कार्रवाई, व्यापारी लेन-देन, इसके अलावा वैयक्तिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो कि रद्दोबदल या ट्रान्सफर्स होते हैं। ये ही तीन स्थान हैं। जहां पर कि स्टाम्प ड्यूटी का प्रभाव पड़ता है। मैंने यह भी बताया कि यदि आप स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा देते हैं तो सबसे पहले आपको वैयक्तिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में विचार करना पड़ेगा। वैयक्तिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में मेरे मित्र तो घर की छत पर खड़े होकर हमेशा चिल्लाया करते हैं कि देश में वैयक्तिक सम्पत्ति न रहे। कांग्रेस ने जो कि नवीनतम प्रस्ताव पास किये उनमें भी वर्गविहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य पर जोर डाला और धीरे धीरे मैं देखता हूं कि वैयक्तिक सम्पत्ति इस देश में समाप्त होती जाती है। जमींदारियां खत्म हुई, राजे महाराजे खत्म हुये, बड़े आदमियों की बारी है। तो फिर इस देश में वैयक्तिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो भी कानून बनाये जायं शान्तिमय और अहिंसक क्रान्ति के वे अंग ही होंगे, वह इस माने में कि हमने यहां की पूंजीवाद प्रथा को गोली के जोर से समाप्त नहीं किया बल्कि विधान के द्वारा, नियमों और अधिनियमों में बांध कर यहां के पूंजीवाद को समाप्त करने की हम व्यवस्था करते हैं। इन्कम-टैक्स में बढ़ोत्तरी, स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोत्तरी और बहुत से दूसरे टैक्सेज यदि उनको बढ़ाया जाता है तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे मित्र उसको विचारें, वह पूंजीवाद और वैयक्तिक सम्पत्ति की प्रथा पर कुठाराघात है। मैं तो सचमुच हैरान हो गया जब कि उन्होंने यह कहा कि इस स्टाम्प ड्यूटी का असर ग़रीब आदमी पर पड़ेगा। ग़रीब आदमी की आप हिमायत करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं भी उसकी हिमायत करने के बारे में कहा करता हूं, कोशिश करता हूं कि करूं और सचमुच चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जिसको कि भगवान ने समझने की शक्ति दी है वह ग़रीब आदमी की हिमायत करे। लेकिन समय असमय ग़रीब आदमी की हिमायत की रट एक शक जरूर पैदा करती है। स्टाम्प ड्यूटी बढ़ेगी उसका असर पड़ेगा वैयक्तिक सम्पत्ति वाले व्यक्तियों पर, यानी उन आदमियों के ऊपर कि जिनके पास बड़ी बड़ी जायदादें हैं जो कि उसके ट्रान्सफर के सम्बन्ध में उसके सेल के सम्बन्ध में, उसके हाईपाथिकेशन के सम्बन्ध में, उसके सेटिलमेंट के सम्बन्ध में वह स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा कर देंगे। मेरे मित्र क्या बतायेंगे कि वह ड्यूटी क्या किसी ग़रीब आदमी को देनी पड़ेगी? इसी प्रकार से आप इस सम्बन्ध में जितना और आगे तर्क खींचा जा सकता है उसको अन्तिम स्थान तक ले जायं। मैं तो नहीं समझता कि स्टाम्प ड्यूटी बढ़ने से ग़रीब आदमी पर कौन असर पड़ेगा। हां, जो कि सम्पत्तिशाली व्यक्ति हैं, जिनके पास कि आज सम्पत्ति है यदि उनको सम्पत्ति का अन्त करना है, इस देश में यदि इस परम्परा को अन्त करना है कि किसी प्रकार न्याय या अन्याय से पैसा कमा कर बड़ो

बड़ी जायदादें बनायी जायं और बाप से बेटे और बेटे से पोते और पोते से पड़पोते उनको खाते रहें तो उसके लिये कुछ विधि और नियमों को बनाना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से आप जो यह स्टाम्प डयूटी बढ़ाते हैं तो आपका जो सिद्धान्त है उसका एक मात्र अंग है। मेरे मित्र शायद समझना नहीं चाहते हैं, वह इस चीज को देखना भी नहीं चाहते हैं कि आज जो अदालत की प्रथा है जिसको वह स्वीकार करते हैं कि अदालतों में स्टाम्प डयूटी बढ़ जायगी। वह शायद दो चीजों को मिलाकर रखते हैं। वह स्टाम्प डयूटी और कोर्ट फीस को एक करने की कोशिश करते हैं.....।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—वकालत नहीं करते हैं इसलिये समझते नहीं हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं तो यह नहीं कहना चाहता हूं, आप जैसा कहना चाहते हैं कहें। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोर्ट फीस का संबंध कोर्ट फीस ऐक्ट से है और स्टाम्प का संबंध स्टाम्प ऐक्ट से है। तो यह बात रखी जाती है वह ग़लत है। कोर्ट फीस का कोई संबंध स्टाम्प या रजिस्ट्रेशन से नहीं है। इसके दो अंग हैं। एक कम्पलसरी स्टाम्पवाला है जो कुछ काग़जात पर लाजमी तौर पर लगाना पड़ता है और अगर नहीं होगा तो एवीडेंस ऐक्ट के अनुसार किसी शहादत में उसको स्वीकार नहीं किया जायगा। दूसरा अंग वह है जिसको आप्शनल कहते हैं। इसको कोई आदमी लिखे या न लिखे और इसके कई रूप हैं। जैसे बोंड्स और रूक्के, जिसे प्रोमिज़री नोटिस भी कहते हैं और इन दोनों में थोड़ा फर्क है। यह जो रूक्के हैं यह सौ, दो सौ और तीन सौ रूपये वगैरह के लिखे जाते हैं। मैं जानता हूं और कह सकता हूं कि गरीब आदमियों का संबंध इन्हीं से है जिनको १००, २०० रुपयों के कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है। वह जाकर कर्ज ले आता है। यह रूक्के वाली प्रथा है और इस पर कोई कुठाराघात नहीं होता है। हां बोंड्स पर होता है। यह सही है अगर बोंड्स वाली बात कोई आदमी कहे तो उसको समझा जा सकता था और जो डिफेक्ट्स बतलाये जाते उन पर विचार किया जा सकता था। लेकिन जहां तक सवाल स्टाम्प डयूटी के बढ़ोत्तरी का है। मैं कह सकता हूं कि इसका संबंध गरीब आदमियों से नहीं है। इसका संबंध बड़े आदमियों से है, हमारे सिद्धान्त की प्रणाली से है जिसमें वैधानिक क्रान्ति के द्वारा हम सम्पत्तिशाली समाज को समाप्त करना चाहते हैं।

मैं दूसरा रूप माननीय मित्र के सामने रखूंगा। अदालतों का प्रश्न है। इस संबंध में एक मांग रखी गई है कि जहां आप स्टाम्प डयूटी को बढ़ाते हैं वहां आप उसको बजाय कुछ कागजात को ईजाद कर दीजिये जिन पर टिकिट लगने लगें। आज अगर स्टाम्प की बढ़ोत्तरी होती है तब तो यह कहते हैं और अगर सरकार कोई विधेयक या अधिनियम इस सम्बन्ध में रखना चाहेगी या पारित करना चाहेगी तो मेरे मित्र न जाने क्या क्या कहेंगे, इसको तो वह ही विचारें।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आपका तर्क है उस पर अगर आप भलीभांति विचार करें तो आज इस प्रणाली में स्टाम्प के संबंध में आपको जो धारणा है उसको आप खुद ही निर्मूल पायेंगे। हम अदालतों में स्टाम्प लगाने की प्रथा को समाप्त कर रहे हैं। पंचायतों की प्रथा में स्टाम्प नहीं लगता है, पंचायत की प्रथा में एवीडेंस ऐक्ट भी काम में नहीं आता है। हां, आप यह कह सकते हैं कि वहां थोड़े मुक़दमे आते हैं। उनमें स्टाम्प पेपर को अगर स्वीकार किया जाय तो यह पंचायत प्रथा के विरुद्ध है। क्या चाहते हैं मेरे मित्र कि पंचायतों में स्टाम्प डयूटी लागू की जाय। यदि उनका यह अर्थ है तो यह समझा जा सकता है कि कागजों पर आप स्टाम्प बढ़ा दीजिये और इस प्रकार आप आय को बढ़ा लीजिये। मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्रों से कि जब वह यह कहते हैं स्टाम्प डयूटी बढ़ाने से आय कम होगी या ज्यादा, मैं उनको इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि आज जब कि इस प्रान्त में पंचायत की प्रथा प्रारम्भ

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

कर दी गई है तो फिर इस प्रथा का कोई प्रभाव हमारी आय पर पड़ेगा या नहीं। यदि आज की स्टाम्प ड्यूटी को इसी प्रकार रहने दें इसमें कोई बढ़ोतरी न करें तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर यह आय कम होगी या ज्यादा। अदालती पंचायतों में स्टाम्प नहीं लगाया जाता, फिर उनको डाक्यूमेंट्स पर स्टाम्प लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी। इस दशा में आय घटेगी या बढ़ेगी? मेरे मित्रों ने आंकड़े पेश किये कि आज दिन भी २ करोड़ ४० लाख की आय को इस वर्ष के लिए एस्टिमेटेड (अनुमानित) आय समझा गया है। तो अगर इस स्टाम्प ड्यूटी को न बढ़ाया गया तो यह अनुमानित आय भी बहुत कम हो जायगी क्योंकि आपने जो नये नियम और विधान इस सम्बन्ध में बनाये उनसे निश्चित रूप से आपको आय पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसी दशा में जहां तक उनका यह कहना है कि इससे हमारी अनुमानित आय बढ़ नहीं सकती, घटेगी इसमें भी एक तर्क है और वह तर्क यह है कि जब स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो लोग निश्चित रूप से उससे बचना चाहते हैं। तरीका निकालते हैं कि किसी तरह से आय देने से बच जायं। यह प्रेरणा आदमी के दिमाग में आती है कि कैसे उस रुपये को बचाया जाय। मेरे मित्र भूलते हैं कि अगर स्टाम्प ड्यूटी कम भी रहने दी जाय तो यह प्रेरणा वकीलों के दिमाग में बराबर जारी रहेगी चाहे ड्यूटी कम रक्खी जाय या ज्यादा। किसी आदमी को १ पैसा देना भी बुरा लगता है और ४ पैसा देना भी बुरा लगता है।

नारायण दत्त जी ने सन् २५ की इन्क्वायरी कमेटी का उल्लेख किया जो आज से २७ वर्ष पहले बनी थी। उस समय और आज के समय की स्थिति में क्या अन्तर है वह विचार करें। उस समय हम लोग मन्दी की ओर थे। हमारे देश में और अन्य देशों में भी मन्दी थी। इंक्वायरी कमेटी की जो सिफारिशें थीं उनमें से एक यह भी थी कि हमारे देश में स्टाम्प ड्यूटी बमुकाबले अन्य देशों के कुछ अधिक थी। मेरे ख्याल में सन् २५ में ऐसी ही स्थिति थी। लेकिन २५ से आज तक क्या हुआ इसके सम्बन्ध में मेरे मित्र कोई प्रकाश नहीं डाल सके। मेरी तो निश्चित धारणा है कि उस दिन से आज तक इंगलैण्ड और अमेरिका की स्टाम्प ड्यूटीज बढ़ा दी गई। लेकिन चाहे इंगलैण्ड और अमेरिका में कुछ हुआ हो मैं तो अपने देशकी बात कहता हूं कि आज के दिन एक पैसे का मूल्य उस दिन के पैसे से करीब करीब तीन डिग्री कम है। इस प्रकार से हमारी आर्थिक व्यवस्था में जमीन और आसमान का अन्तर पड़ गया। यदि आज के दिन उस २५ की टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा जाय तो मैं क्या कहूं, यह सदन उस पर स्वयं विचार कर सकता है कि उस दिन की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में क्या अन्तर पड़ गया। आज जो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई गई उस दिन किसी के दिमाग में यह ख्याल नहीं था कि यहां एक शान्तिमय तरीके से, वैधानिक रूप से, नियम और अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी क्रान्ति होगी जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था सदा के लिये समाप्त हो जायगी। किसी के दिमाग में यह बात उस दिन नहीं आई थी। आज वह निश्चित और जीवित प्रणाली आंखों के सामने चल रही है। २५ वाली इंक्वायरी कमेटी कैसे आज की परिस्थिति को देख सकती थी, कैसे उसके सम्बन्ध में विचार कर सकती थी, इसको मेरे मित्र विचारेंगे। उस इंक्वायरी कमेटी ने यह भी कहा कि यहां के स्टाम्प ऐक्ट में कुछ कमियां हैं और उनका जिक्र किया। यह बताया कि दो प्रकार के मार्गेजेज होते हैं एक तो सादा रहन और दूसरा दखली रहन। उन्होंने कहा कि इसको हटा कर एक ही प्रकार का रहन कर दिया जाय क्योंकि स्टाम्प को जो दर हैं उनमें बहुत बड़ा अन्तर है। दखली रहन है और सादा रहन दूसरा है। सादा रहन के लिये कम है और दखली रहन

के लिये ज्यादा है । दोनों को हटा कर इसके स्थान पर एक कर दिया जाय । आप ने कहा कि आसाम सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है और इनके अन्तर को दूर कर दिया है । इसी प्रकार से जो हिबैनामा लिखा जाता है उनके संबंध में भी इन्क्वायरी कमेटी ने यह बतलाया कि उनके संबंध में जो कोई भेद हैं उनको निकाल कर केवल एक प्रकार की दस्तावेज कर दी जाय । इससे उसके संबंध में कोई अन्तर नहीं रखा गया है । उस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कुछ काम किया है । एक बहुत बड़ी चीज टैक्सेशन कमेटी ने सिफारिश की थी कि सन् १९२५ ई० के पहले कुछ दिन बाद तक पहले स्टाम्प ऐक्ट यह था कि जो जायदाद की क़ीमत पार्टी अपने काग़ज में लिख दे "As set forth in the document or in the instrument" उसको रजिस्ट्रार स्वीकार कर ले और उसी पर ड्यूटी ले ले चाहे वह किसी ट्रस्ट के लिये हो, या गिफ्ट के लिये हो, या किसी हिबै के लिये हो तो उस पर इस तरह से हो । अगर किसी ने अपनी जायदाद की क़ीमत ३ हजार रुपया लिख दी कि इतनी क़ीमत की जायदाद फलां शख्स को दी है तो उस पर ३ हजार के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगती थी तो इन्क्वायरी कमेटी अन्त में इस निर्णय पर पहुंची कि इसको समाप्त कर देना चाहिये । मेरे मित्र इस बात को जानते हैं लेकिन वह इस बात को पसन्द नहीं करेंगे कि मैं यह कहूं कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस ओर और कार्य किया है और इसको स्वीकार कर लिया । इस प्रकार से हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपया कुछ सम्पत्ति का कुछ पैसा सरकार को मिला लेकिन मेरा तो निवेदन केवल उनसे यह है कि आखिर वह कहना क्या चाहते हैं ? उन्होंने कानून की खामियों का जिक्र किया कि कानून के अन्दर खामी है । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब तक किसी देश में विचारों की परम्परा कायम है, जब तक सोचने वाले लोग मौजूद हैं, जब तक जजेज और हाईकोर्ट कायम हैं, तब तक कानून के अन्दर खामियां चलती ही रहेंगी और कभी भी कोई कानून पूरा नहीं बना है । सच तो यह है कि अगर किसी ने उसको पूरा करने की कोशिश भी की हो फिर भी कोई न कोई खामी जरूर रहती है । अभी हमारा संविधान बना है लेकिन उसके लिये भी आप जानते हैं कि कितनी बातें कही जा रही हैं । तो इस प्रकार से जितने कानून जब कभी बनते हैं इसी प्रकार से वकील, जजेज और जो लोग कानून के संबंध में ज्ञान रखते हैं वह अपने विचारों के अनुसार कमी निकालते ही रहेंगे । इसलिये यह कह देना कि जो स्टाम्प ऐक्ट इस देश में है वह सारे रद्दी हैं, वह सत्य से परे है । मेरे मित्र राम नारायण जी ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे कानून को तो रद्दी की टोकरी में स्थान मिलना चाहिये । वह चाहें जो कुछ कह सकते हैं लेकिन मैं तो उसके संबंध में जिसका जिक्र नारायण दत्त जी ने कानून के संबंध में पढ़ा था मैं उसके अन्तिम पैराग्राफ को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं और यह कहता हूं कि यह कानून निश्चय ही पूर्ण है और इसके संबंध में फ़ख्र के साथ मैं यह कह सकता हूं कि इस स्टाम्प ऐक्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी है और यदि कहीं पर जरा कमी है तो हम बहुत जल्द जैसे जैसे समय निकलता जायगा हम उसको पूरा कर सकते हैं और करेंगे । यह स्टाम्प ऐक्ट के आथर जिसका जिक्र नारायण दत्त जी ने किया है अन्त में यह लिखते हैं कि--

"The above are some defects in the law on matters of broad policy. There are some other defects which are of a minor character and which are noticed in appropriate places in the commentaries. But, with all that, the Act is based on sound principles borrowed from British law and despite the subject being more complicated than the law of Court Fees, the Act has not presented as much difficulty in construction as the Court Fees Act."

[विस्तृत नीति के मामलों में विधि में उपर्युक्त कुछ दोष हैं। कुछ अन्य दोष हैं जो लघु स्वभाव के हैं और जो टीकाओं में उपयुक्त स्थानों पर दिखाये जाते हैं । किन्तु इस सबके साथ अधिनियम पुष्ट सिद्धान्तों पर आधृत है जो ब्रिटिश कानून से लिये गये हैं और इसके बावजूद कि विषय कोर्ट शुल्क की अपेक्षा अधिक जटिल है, इस अधिनियम के निर्माण में इतनी कठिनाइयां नहीं हुईं जितनी कि कोर्ट फी अधिनियम में हुईं ।]

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

इसके बाद बहुत सी चीजें उन्होंने इस ऐक्ट के संबंध में प्रशंसात्मक लिखी हैं । यह कानून ग़लत है और इसका निफाज होने से बुराई होगी और यह विधेयक इस सदन में जो आया है वह भी बुरा है इसका निर्णय करने के लिये मैं उनके ही ऊपर छोड़ता हूं। अब तो केवल एक बात का जिक्र जिसका कि हमारे मित्र विरोधी दल के नेता माननीय राजनारायण जी ने किया उसका जिक्र मैं सदन के सामने जरूर करूंगा। उन्होंने बताया कि यह जो नया बिल सदन के सामने है उस के जो उद्देश्य हैं उनमें कहा गया है कि चूंकि बम्बई, मद्रास आदि प्रान्तों में स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा है इसलिये हम भी ज्यादा करना चाहते हैं । यह सही है कि इसमें इसका जिक्र है । उन्होंने यह भी दिखलाया था कि कुछ चीजों में बम्बई मद्रास में भी कम हैं और वह सही ही था। उन्होंने कुछ चीजों को पढ़ कर नहीं भी सुनाया । मैं अधिक डिटेल में नहीं जाऊंगा और बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनका उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह उद्देश्य किसी भी रूप में गलत नहीं है बल्कि सही है । निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बम्बई और मद्रास में इस प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी अधिक है बमुकाबले इस प्रदेश के और अगर हम भी किन्हीं आर्थिक कारणों से उस को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें कोई एतराज की बात नहीं है । आप जानते हैं कि बजट के समय हमारे प्रदेश का घाटे का बजट था। आखिर पैसा स्टेट के पास कहां से आवे, मैं अपने माननीय मित्रों से चाहूंगा कि वह हमें बतला दें कि वह कौन सा पेड़ है कि जिसको जरा खड़खड़ा दिया और सोना और पैसा जितना चाहें आ गया । अगर सड़कों की बात कही जाती है , मकानों की बात कही जाती है, पावर हाउसेज की बात करते हैं, खेती बाड़ी को दूसरे ढंग पर लाने की बात की जाती है और सब प्रकार की उन्नति की बात की जाती है तो आप इन सब कामों के लिये कृपा कर हमें बतला दें ताकि हम उसी पेड़ को खड़खड़ा लिया करें और सोना इकट्ठा हो जाया करे । जरा सोचने की बात है कि इस व्यवस्था में तो जो पैसा स्टेट के पास टैक्स के रूप में आता है वह उसी से अपना सब काम चलाती है । जिस पेड़ को आप बतलाते हैं वह तो हमारे लिये नहीं आप ही के लिये ही फलता है। जब कभी किसी टैक्स को बढ़ाने की बात कही जाती है तो आप कहते हैं कि यह न बढ़ाइये और वह न बढ़ाइये । अगर खेती पर कुछ बढ़ाने की बात होती है तो आप कहते हैं कि किसानों को परेशान किया जा रहा है जैसे आप ही उनकी आवाज बोलना जानते हैं और आप ही उसके त्राता हैं। जब बिजली की ड्यूटी का सवाल आता है तो आप कहते हैं कि उस का मध्यवर्त्तियों पर असर पड़ेगा और उनकी देखभाल भी हमें करने दी जिये और किसी टैक्स की बात आती है तो हमारे मित्र कह देते हैं कि इससे तो ग़रीबों पर बोझा पड़ता है। फिर न जाने वह स्टेट का जो खर्च है वह कहां से चलाना चाहते हैं। आखिर ऐसा कौन सा टैक्स लगाया जाय जो जनता को सुख की सामग्री मुहइया करने में स्टेट समर्थ हो सके। जो पैसा जनता से लिया जाता है वह उसी के लिये सुख की सामग्री एक व्यवस्था के अन्दर इकट्ठा करने के लिये लिया जाता है । जब कभी टैक्स की बात आती है आप उसी मुल्क की बात बतलाते हैं और हम उसको स्वीकार नहीं करते क्यों कि वह बड़ी ऊल जलूल है और वह जिस देश की पुस्तकों से ली गयी है वह अधूरी है और सही चीज नहीं है। यह एक सीधा सा बिल है जिसमें स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ाने की बात है। यदि आप यह कहते कि इसमें जो फ़ेक्शन वाले मामले में जो रखा जा रहा है और जो आना पाई आते हैं उन को पूरा करने की बात है उसका जो उद्देश्य है वह ग़लत है तो बात किसी हद तक क़ाबिल गौर हो सकती थी और कुछ बात समझ में आ सकती थी लेकिन आप जानते हैं कि वह सही है और उसमें कोई गलती नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं सदन के समक्ष कहूंगा कि यह स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ाने का जो प्रस्ताव है मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फ़र्रुखाबाद)---जनाब चेयरमैन साहब, इस बिल पर अब तक जो तक़रीरें हुईं उनमें से १ या दो को छोड़ कर जब कि मैं यहां मौजूद नहीं था, सब को मैंने बहुत ग़ौर से सुना। मैं जानता हूं कि जब कभी भी कोई किसी क़िस्म का टैक्स लगाने का सवाल आता है तो पब्लिक की कोई न कोई जमाअत उसे नहीं चाहती है ।

लेकिन मुसल्लिमा उसूल यह है कि अगर किसी हुकूमत को चलाना है तो उसके लिये रुपया हासिल करना होगा । टैक्स दो तरह के होते हैं, एक तो डाइरेक्ट और दूसरा इनडाइरेक्ट । आमतौर पर यह देखा जाता है कि डाइरेक्ट टैक्स को देने में लोग ज्यादा पसोपेश करते हैं और शिकायतें करते हैं। इनडाइरैक्ट टैक्स की वसूलयाबी आसान कही जाती है । इस ख़याल से जब मैं इस बिल को देखता हूं तो मुझे इस बात का इतमीनान होता है कि इस वक्त हमारे ऊपर एक इनडाइरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है । मैं जानता हूं कि हम लोगों में बहुत सों को बजा तौर पर यह खुशी होगी कि इस हाउस के अन्दर कभी भी कोई टैक्स न लगाया जाय मैंने नेता विरोधी दल की तक़रीर बड़े ग़ौर से सुनी और मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने यह फ़रमाया कि जब कभी टैक्स लगाने का सवाल हो तो सरकार उनसे मशविरा करे तो वह बतावेंगे कि किस क़िस्म के टैक्स लगाये जावें और इसमें वे सरकार के साथ हमदर्दी रखेंगे । मैं तो समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर आमिल होने के लिये भी तैयार होंगे और गवर्नमेंट भी उसकी काफ़ी क़द्र करेगी। गवर्नमेंट के सामने जब कभी भी टैक्स लगाने का मसला आवेगा मैं आशा करता हूं कि अपोज़ीशन के नेता की राय ली जायगी और इस हाउस के अन्दर ऐसा कनवेंशन क़ायम होगा। अपोज़ीशन के नेता की राय भी उसमें शामिल करना चाहिये।

अब सवाल यह है कि इस वक्त जो हमारे सामने स्टाम्प की बढ़ी हुई ड्यूटी की सूरत में जो टैक्स आया है वह कहां तक जायज़ है । मैं अपने दोस्तों को याद दिलाऊंगा कि इस टैक्स की बुनियाद को और इसके बुनियादी उसूल को हम आज नहीं, आज से ६ महीने पहले ही तसलीम कर चुके हैं जिस वक्त आनरेबिल फ़ाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट की स्पीच में यह फ़रमाया था कि हाउस के अन्दर आयन्दा टैक्स आवेंगे जिन्हें हमें ग़ौर करके मंजूर करना होगा । वह बजट पास हुआ और उसके साथ वह तक़रीर भी हाउस ने ऐप्रूव (स्वीकृत) की तो मैं समझता हूं कि अब बुनियादी हैसियत से इस विधेयक के खिलाफ कोई एतराज न होना चाहिये और अब इसमें कोई ज्यादा शिकायत का मौक़ा नहीं रहता। मुझे याद है कि उस स्पीच में फ़ाईनेंस मिनिस्टर साहब ने इशारा किया था कि ये टैक्स आने वाले हैं और उसके साथ ही चीफ़ मिनिस्टर साहब ने भी अपनी तक़रीर में यह फ़रमाया था कि जो टैक्स लगाये जा रहे हैं हम जानते हैं कि टैक्स लगाने से लोगों को तकलीफ़ ज़रूर होती है लेकिन देखना तो यह है कि इस समय हमारी स्थिति क्या है। लेकिन देखना तो यह है कि उसकी सूरत क्या है ? यह टैक्सेज़ की सूरत नहीं है बल्कि एक क़िस्म की सेक्रीफाईस है जिसके लिये इस प्रदेश की जनता से अपील की गयी है ताकि उसके ज़रिये से उस उन्नति कामों में सहायता मिल सके जो कि सूबे की गवर्नमेंट इस सूबे की जनता की खुशहाली के लिये करना चाहती है । जनाब वाला हमें यह मालूम है कि इस सूबे के अन्दर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम डवलपमेंट का जारी है और मेरा ख़याल है कि इस सूबे के अन्दर और इस हाउस के अन्दर कोई भी ऐसा न होगा जो इस प्रोग्राम से इन्कार करे । यह सही है कि उसकी डिटेल्स में किसी को कोई इख्तिलाफ हो लेकिन इर्रीगेशन, पब्लिक हैल्थ, ऐजूकेशन वगैरा जितने भी नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं उनके मुताल्लिक कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । जब हमने इस बुनियाद को मान लिया कि डेवलपमेंट के लिये रुपये की ज़रूरत है तो कुदरतन यह सवाल आयेगा कि यह रुपया कहां से आये ? रुपया या दौलत किसी सूरत में भी आसमान से तो टपकेगी नहीं, वह तो पब्लिक से ही लेना होगा। उसी से लेकर उसी पर खर्च करना होगा । जहां तक उनके इस ऐतराज़ का ताल्लुक़ है कि इसको वापिस ले लिया जाय, मैं उनसे इस ऐतराज़ को किसी सूरत से भी सही और मुनासिब नहीं समझ सकता । जितनी भी तक़रीरें इस हाउस में हुईं और जहां कहीं भी टैक्सेशन का मसला पेश हुआ कि उसके बारे में यही कहा गया कि इसको वापिस ले लिया जाय यह एतराज़ उस वक्त तो सही हो सकता था जैसा मैंने कहा कि हमने उसके बुनियादी उसूल को माना। यानी जब हमने यह तय किया कि हम इस सूबे के डेवलपमेंट के प्रोग्राम को उन्नति देना चाहते हैं, तब अगर यह चीज उठाई जाती तब तो सही हो सकती थी लेकिन जब हम इस बुनियादी बात को मान लेते हैं और यह भी मान लेते हैं कि इसके लिये करोड़ों रुपये की ज़रूरत होगी,

[श्री सुल्तान आलम खां]

फिर यह भी जानते हैं कि यह अखराजात उस रुपये से पूरा नहीं हो सकते जो कि हमारे पास है, इसके लिये तो हममें से हर शख्स को कुछ न कुछ कुरबानी करनी ही पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उस कुरबानी को करने के लिये कुछ खून, पसीना और आंसू को निकालना ही पड़ेगा हमें उसमें अपना कुछ न कुछ कन्ट्रीब्यूशन देना ही होगा जो काम कि इस सूबे की सरकार इस सूबे की उन्नति के लिये करना चाहती है ।

मैं बेशक अपोजीशन की राय से मुत्तफ़िक होता अगर वे यह राय जाहिर करते कि हम ऐडीशनल टैक्सेज के लिये तभी तैयार होंगे जब कि हमें यह यक़ीन दिलाया जायगा कि जो रुपया उसको दिया गया है वह इस बात के लिये काफी नहीं है, जो भी रुपया खर्च किया गया है वह काफी देखभाल करके खर्च किया गया है, उसके बाद भी रुपये की जरूरत है जिनसे मौजूदा जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं। यह कहा जाता कि हम उस वक्त तक रुपया देने के लिये तैयार नहीं हैं जब तक कि हमें यह यकीन न दिलाया जायगा कि मौजूदा आमदनी उस खर्चे के लिये काफी नहीं है । अगर इस किस्म की दलीलें दी जातीं तब तो मैं किसी क़दर उनकी तारीफ कर सकता । लेकिन अपोजीशन की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई। इस विधेयक के आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में इस बात की वजाहत की गई है कि मद्रास और बम्बई की तरह राउंड फिगर्स (पूर्णांक) में टैक्सेज को क़ायम करने के लिये यह बिल लाया गया है। इसके अलावा उसका एम एंड आब्जेक्ट्स यह भी है कि हमारा जो २-४ करोड़ रुपये का खिसारा इसके जरिये से पूरा किया जा रहा है । यही दो बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से यह बिल हमारे सामने लाया गया है । जनाबवाला, जब हम इस बात को मान चुके है कि हमें यह दो करोड़ का खिसारा कहीं से पूरा करना है तो हमें टैक्स तो जरूर लगाना पड़ेगा लेकिन जो बात इस वक्त तक नहीं कही गई है वह मैं इस वक्त जरूर गवर्नमेंट के गोशे-गुजार करना चाहता हूं । मैंने जिस वक्त बजट के डिस्कशन में हिस्सा लिया था उस वक्त यह अर्ज किया था कि टैक्स के लिये जरूर कोशिश करनी पड़ेगी लेकिन गवर्नमेंट इसके साथ-साथ यह भी करे कि वह एक एकानामी कमेटी बैठावे और उस एकानामी कमेटी को इस बात पर गौर करने का मौका मिले कि सूबे की जो आमदनी मौजूदा टैक्सेशन के जरिये से है वह कहां तक उसके मौजूदा अखराजात को पूरा करने के लिये काफी है । मैंने उस वक्त यह भी अर्ज किया था कि पिछले साल बिहार की गवर्नमेंट ने एक ऐसी इन्क्वायरी कमेटी बैठाई थी और उसके सदर वहां के डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर थे और उस कमेटी की रिपोर्ट भी पबलिश हो गई है । उसके मुताबिक तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपये की बचत उस कमेटी ने प्रोपोज किया है जिसमें से एक करोड़ रुपये की बचत हो चुकी है और उम्मीद यह है कि ५०,५५ लाख की बचत और होगी। इससे पहले बम्बई की गवर्नमेंट ने ३ चार साल हुये एक कमेटी बैठाई थी । असल में वह कमेटी तो सन् १९४६ में बैठाई गई थी लेकिन पार्टीशन के बाद उसका काम कुछ सुस्त पड़ गया था उसके बाद दो साल के करीब उसको काम करने का मौक़ा मिला और नये कांस्टीट्यूशन के बाद उसकी रिपोर्ट आयी और उसके मुताबिक बम्बई की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया और उसका नतीजा यह हुआ कि करीब ३ करोड़ रुपये की बचत गवर्नमेंट को हुई । हमें मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट भी इस तरफ तवज्जह करती है और पिछले साल तकरीबन डेढ़ दो साल हुये एक इन्क्वायरी कमेटी ऐसी बैठी थी जिसकी रिपोर्ट गालिबन गवर्नमेंट के पास आ गई होगी मगर मुझे मालूम नहीं है इसलिये कि उसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है और उसकी बिना पर मैं नहीं कह सकता कि उसकी सिफारिशात क्या थीं और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी और उस पर गवर्नमेंट ने कहाँ तक अमल किया और उससे कहां तक गवर्नमेंट को बचत होने की उम्मीद है । लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि चूंकि हम टैक्स लगाने वाले हैं और चन्द टैक्सों का लेना हमारे लिये बहुत जरूरी है और उसके बग़ैर लगाये हुये काम नहीं हो सकता तो हमारे लिये जरूरी है कि हम उन टैक्सों को लगायें और अपने दिलों को मजबूत करें और हम जनता को समझायें और वह हमारी जरूर सुनेंगे कि हम क्यों टैक्स लगाने जा रहे हैं और क्यों उसकी

जरूरत हो रही है और जो टैक्स लिया जा रहा है वह दूसरे हाथ से उन्हीं के ऊपर खर्च किया जायगा। मुझे उम्मीद है कि अगर टैक्स लगाने की सही पोजीशन को हम पब्लिक के सामने कहेंगे तो बावजूद इसके कि हमारे दोस्त जो उधर बैठे हुये हैं कुछ भी सोचें मैं कहता हूं कि इस सूबे की जनता बेशक इसको एप्रिशियेट करेगी कि उनसे जो टैक्स लिया जा रहा है उससे उन्हीं की उन्नति होगी और वह रुपये देने में कभी दरेग नहीं करेंगे वह कुर्बानी करेगी, और प्रोडक्शन को ज्यादा करने की कोशिश करेगी ताकि वह रुपया दे सके और उससे उनका ही भला हो सके। लेकिन जहां एक तरफ हमारे लिये जरूरी है वहां जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हमारे पास जो रुपया आ रहा है हम उन रुपयों में से कम से कम जितना हमारे इमकान में हो एफीशियेंसी में बगैर खामी किये हुये एफीशियेंसी को बगैर नुकसान पहुंचाये हुये कुछ किफ़ायतशारी कर सकते हैं तो वह जरूर करें।

हुजरवाला, किसी सरकार की आमदनी बढ़ाने के सिर्फ तीन ही तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो फरदर टैक्सेशन का है, दूसरा तरीका बारोइंग (ऋण लेने) का और तीसरा रिट्रेंचमेंट का। जो तरीका फरदर टैक्सेशन का है उसके लिये बड़ी गौर व खोज करने के बाद गवर्नमेंट ने बजट आप के सामने पेश किया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिये यह बिल भी है जो हमारे सामने आया है। दूसरा तरीका जो है उसको इस वक्त हम काम में नहीं ला सकते क्यों कि बारोइंग तो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिये कर सकते हैं रेवेन्यू एक्स्पेंडीचर के लिये नहीं कर सकते। अब जहां तक रिट्रेंचमेंट का सवाल है उसके मुताल्लिक़ कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि इस जमाने में आज कल की जो हालत है उसको देखते हुये यह मुमकिन है कि हम इस किस्म का कदम बहुत बड़े पैमाने पर उठा सकें। लेकिन इसके बावजूद मैंने जैसा अर्ज किया है हम इस बात की बेशक पूरी कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस बात के ऊपर फिर पूरी तवज्जह देगी कि वह एक रिट्रेंचमेंट कमेटी बिठाये और उसको इस बात की इजाजत हो कि बगैर एफीशियेंसी के खराब हुये वह इस बात की कोशिश करे कि इस गवर्नमेंट के लिये रुपया बच सके ताकि उसकी बचत को उन्नति के कामों में लगाया जाय। यह सूरत करने के बाद और जो कोई भी जरिया रुपया हासिल करने का रह जाता है वह टैक्सेशन का है। मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया टैक्स दो क़िस्म के होते हैं, डाइरेक्ट और इंनडाइरेक्ट। डाइरेक्ट टैक्स से लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं। उससे उनकी जेबों पर ज्यादा असर पड़ता है। यह जो टैक्स हमारे सामने लाया गया है यह इंडाइरेक्ट टैक्स है। इसमें ड्यटी २५ फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ायी गयी है। मैं बम्बई और मद्रास के निर्खों को पढ़ना नहीं चाहता। मेरे बाज दोस्तों ने यह साबित करने की कोशिश कि वहां के निर्ख यहां से ऊंचे है और बाज ने यह साबित करने की कोशिश की कि वहां के निर्ख यहा से नीचे हैं। मैं समझता हूं कि यह बात कोई ज्यादा मैटीरियल नहीं है कि बम्बई और मद्रास में ड्यूटी का निर्ख कुछ नीचा है और अगर हम कुछ ऊंचा लगा दें, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। सवाल तो बुनियादी यह है कि आया हम टैक्सेशन करें या अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम को रोक दें। मैं समझता हूं कि कोई भी मेम्बर इसके लिये तैयार नहीं होगा कि जो इस बात की राय दे कि नेशनबिल्डिंग और डेवलपमेंट का प्रोग्राम, जिसको हमने इस सूबे में जारी किया है, जिसके हम पायनियर हैं, उसको हम रोक दें। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास कोई दूसरा आल्टरनेटिव बाकी नहीं रह जाता कि हम फरदर टैक्सेशन करें। तो यह इंडाइरेक्ट टैक्सेशन का बिल है। इसकी ड्यूटी की शरह को २५ फीसदी से ज्यादा नहीं बाढ़ाया गया। इससे सिर्फ वही लोग मुतास्सिर होंगे जो स्टाम्प को इस्तेमाल करेंगे।

यह दलील भी दी गयी है कि जो ड्यूटी ज्यादा बढ़ा दी जाती है तो उसका असर यह होता है कि उस ड्यूटी की आमदनी कम होने लगती है। मैं इस बात को महसूस करता हूं और जानता हूं। लेकिन फिर भी मैं अर्ज करूंगा कि जो ड्यूटी का निर्ख बढ़ाया जा रहा है वह बहुत ज्यादा नहीं है। जिस वक्त यह बिल लागू होगा तो कुछ साल तक वर्किंग के बाद गवर्नमेंट को इस बात का पता चलेगा। कि वाकयी इस ड्यूटी के बढ़ाने से अच्छा असर हुआ है या बुरा असर हुआ है।

[श्री सुल्तान आलम खां]

जनाबवाला, इस बिल की दफा १ को देखने से मालूम होता है कि यह टैक्स जो लगाया गया है यह एक परमानेन्ट फीचर बनने वाला है। मैं जाती तौर पर यह सोच रहा था कि इस किस्म के जो फरदर टैक्सेशन के बिल आयेंगे उन की एक मियाद होगी ताकि उस मियाद तक हम अपने प्रोग्राम में उससे मदद ले सकें। उसके बाद फिर सोचने का मौका मिलेगा कि उसको हम परमानेन्ट फीचर बनायें या उसको वहीं छोड़ दें। लेकिन यह टैक्स जो आया है यह एक परमानेन्ट फीचर होने वाला है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक रीजनेबिल मुद्दत गुजरने के बाद गवर्नमेंट इन तमाम डिस्कशंस की बुनियाद पर जो यहां हुये हैं इस बात पर गौर करेगी और किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि आया इसको परमानेन्ट फीचर बनायें या इसमें कुछ कमीबेशी कर दी जाय

इन अल्फाज के साथ यह बिल जो इस वक्त हमारे सामने है इसकी मैं ताईद करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)---जनाब चेयरमैन साहब, यह बिल जो इस वक्त हमारे सामने है स्टाम्प के उस खर्चे को जो इस वक्त इस उत्तर प्रदेश में हो रहा ह बढ़ाता है।

सवाल यह है कि यह खर्चा जो पब्लिक को करना होगा स्टाम्प की खरीदारी पर अपने कामों के लिये उसको बढ़ाया जाय या न बढ़ाया जाय।

जहां तक कि टैक्सेशन का ताल्लुक है एक बात समझना बहुत आसान है कि पहले भी ऐसा होगा, लेकिन इस जमाने में कोई गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाना गवारा नहीं कर सकती। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसे टैक्सेशन मेजर लाये और उनसे टैक्स बढ़ता है तो उसके मानी एक ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं हो सकते, और वह यह कि जो खर्च करने हैं उनको पूरा करने के लिये कोई और रास्ता नहीं है। जिस वक्त बजट पर बहस हो रही थी और जनरल डिस्कशन खत्म हुआ था उस वक्त मैंने एक थोड़ी सी बात इस ऐवान के सामने रखी थी। ऐसा महसूस होता है कि आज उसको मुझे फिर याद दिलाने की जरूरत है। वह यह थी कि जो बजट इस साल के लिये बना है, सन् ५२-५३ के लिये, उसमें उस व्यय के अन्दर, खर्चे में, जो आमदनी से होने वाला है सवा चार करोड़ की ज्यादती है। यानी खर्चा आमदनी से सवा चार करोड़ रुपये का बजट में ज्यादा प्रोवाइड किया गया। एक बात। दूसरी बात यह कि उस खर्चे के अलावा २० करोड़ रुपया का खर्चा इस बजट में ऐसा रखा गया है जो आमदनी में से होने वाला नहीं है, बल्कि कर्ज के रुपये से होने वाला है। तो इन दोनों रकमों को इस साल के लिये अगर जोड़ा जाय कि आमदनी में से जो खर्चा ज्यादा होने वाला है सवा चार करोड़ और २० करोड़ रुपया उसके हिसाब से इसी साल के अन्दर सवा चौबीस करोड़ रुपये की जरूरत है। यह खर्चा इस सिलसिले में है कि जो ५ साल का प्रोग्राम इस उत्तर प्रदेश के लिये बनाया गया है जिसके जरिये से आबपाशी में, सड़कों के बनने में, बिजली के पैदा करने में और नई जमीनों को तोड़ कर उनमें खेती करने में और मुख्तलिफ खर्चे जो डेवलपमेंट के हैं उनमें यह रुपया खर्च होगा। अब अगर वाकई यह बात हो कि गवर्नमेंट के पास आमदनी इन खर्चों को पूरा करने के लिये काफी हो, कर्जा भी इतना मिल सकता है और रेवेन्यू में जो डेफिसिट है वह भी पूरा हो सकता है, मगर अगर न हो तो फिर सबसे पहले यह साबित हो कि इस वक्त जो खर्चा गवर्नमेंट का सालाना रहा है उस खर्चे को काट कर इतना घटाया जा सकता है कि उसी के जरिये से यह रुपया मिल जाय। अभी मेरे दोस्त सुल्तान आलम साहब रिट्रेंचमेंट की बाबत फरमा रहे थे और खर्चा कम करने के लिये बात सही है। अगर कोई काम खर्चे को घटा कर किया जा सकता है तो जरूर करना चाहिये है, लेकिन जहां तक खर्चे के घटाने का ताल्लुक है मैंने उस रोज यह अर्ज किया था। मैं तो यह समझता हूं कि जो राय मैंने उस रोज जाहिर की थी वह ऐसी है कि उससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता।

और वह राय यह है कि अगर कोई खर्चा बेकार है, उससे कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं पैदा होते हैं तो उस खर्चे को घटाया जाना चाहिये वरना किसी स्टेट के बिलबमूम उस स्टेट के जिसको कि डेवलप करना हो, उसके खर्चे को घटाना कोई मानी नहीं रखता, न खर्चा घटाया जा सकता है, न खर्चा घटाना चाहिये। अब सोचने की बात यह है कि जो सवा २४ करोड़ रुपया हमको चाहिये उसकी निस्बत क्या वैसे ही यह बात खयाल में आ सकती है कि कोई इन्तजाम किये बगैर गवर्नमेंट उस पूरे रुपये को खर्चा घटा कर निकाल सकती है। ६० करोड़ का खर्चा रेवेन्यू का बजट में है। इस ६० करोड़ के खर्चे को कह सकते हैं कि यह मुस्तकिल खर्चा है। इसमें से २४ करोड़ रुपया घटाया जाय तो मैं समझता हूं कि किसी की अक़ल यह गवारा नहीं करेगी कि ऐसा हो सकता है कि सवा २४ करोड़ रुपये खर्चों को घटा कर निकाले जायं और उस रुपये को उन कामों के ऊपर खर्च कर दिया जाय जो काम कि करना मकसूद हैं। कमी का जहां तक ताल्लुक है मैंने बतलाया था, सुल्तान आलम साहब उसका हवाला भी दे रहे थे कि गवर्नमेंट ने खर्चे को कम करके इस वक्त तक ढाई करोड़ रुपये खर्च में कम कर दिये। वह बिहार की मिसाल दे रहे थे कि बिहार की गवर्नमेंट ने कोई कमेटी बिठायी थी और उसके नतीजे में उन्होंने डेढ़ करोड़ रुपया अपने खर्चे में कम करना तजवीज किया है। वह अभी रिपोर्ट ही निकली है, जहां तक मुझको इल्म है। अब यह कि उसको गवर्नमेंट ऐक्सेप्ट कर सकी है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जहां तक कमेटी बिठाने का ताल्लुक है, हमने उनसे भी पहले बिठायी थी और उस कमेटी ने जितना खर्चा कम करना तजवीज किया, उनकी सिफारिशों पर अमल करने के बाद भी हमने एक स्पेशल आफिसर मुकर्रर किया कि वह गवर्नमेंट के तमाम मुहकमों के खर्चों को देखे और उसके बाद जो कमेटी की सिफारिशात हैं उसके बाद और कहां कहां खर्चों के अन्दर कमी की जा सकती है, यह बताये। उसे फिनैन्शल कमिश्नर कहते थे जिसको स्पेशल आफिसर मुकर्रर किया था। उसने भी तजवीज करके सन् १९५१ तक यह बतलाया कि ये खर्चे कम किये जायं। वे खर्चे भी कम किये गये और नतीजा उस सब का यह हुआ कि इस वक्त तक हम ढाई करोड़ रुपया खर्चा कम कर सके। यह भी मैंने उस रोज अर्ज कर दिया था कि जहां तक खर्चे को कम करने का सवाल है इस बात को सामने रखते हुये कि कोई जरूरी काम बन्द न हो, किसी काम की एफिशिएंसी जो होनी चाहिये उसके अन्दर कोई कमी पैदा न हो और खर्चा कम किया जाय, इस पर हम बराबर नजर रखेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि खर्चा जहां तक भी हो कम होता चला जाय। तो ढाई करोड़ रुपया खर्चा तो हमने कम किया। लेकिन मैं समझूं कि आज हम कोई कमेटी बिठा दें और वह और दो, चार करोड़ रुपये की कमी तजवीज कर दे और उसको भी हम कम कर दें और ढाई करोड़ के बजाय ६ करोड़ रुपये खर्चे में कम हो जायं तो क्या उससे काम चला? देखना तो सिर्फ इस बात का है इस वक्त कि आया बगैर और टैक्स लगाये हुये हम अपने काम को चला सकते हैं या नहीं। अगर चला सकते हैं तो ठीक है। लेकिन वह रिट्रेंचमेंट होने के बाद भी इतनी रकम बाकी रहती है कि उस रकम को पूरा करने के लिये जनता से रुपया लेने की जरूरत है। जहां तक कर्जे का सवाल है, एक बात तो खुली हुई है, अखबारों में छप चुकी है कि आये दिन हिन्दुस्तान के अन्दर, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर बाजारों की जो हालत है कर्जा मिलने की वह यह है कि कर्जा मिलता नहीं है आसानी से इसमें तरह तरह की दिक्कतें होती हैं। बाजार टाइट है। इससे बहस नहीं है कि वह क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का कंट्रोल नहीं है। वह सरकम्सटैंसेज उत्तर प्रदेश के कन्ट्रोल में नहीं हैं जिनकी वजह से डिफीकल्टीज (कठिनाइयां) पैदा होती हैं। कर्जा मिलने में भी मुश्किलात हैं। हम फिर भी एक तरफ यह देखत हुये कि कर्जा मिलना भी मुश्किल है, आमदनी भी हमारे खर्चे से कम है, यह देखते हुये कि रिट्रेंचमेंट किया जाय और उसको करने के बाद भी हमें रुपये की जरूरत रहती है तो इस बात को देखकर यह राय कायम करनी चाहिये कि उस रुपये का कोई नया इंतजाम हो या न हो। मेरे दोस्त चाहते हैं कि एक कमेटी बिठाई जाय। फर्ज कीजिये कि मैं मान लूं कि कमेटी बिठाई जाय

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

और मैं बिठा दूं यानी गवर्नमेंट बिठा दे और कमेटी तमाम मुहकमों का एक एक खर्चा देखकर कि कहां कहां खर्चा कट सकता है, उनको काट कर तजवीज करे तो सोचने की बात यह है कि कमेटी को इसमें कितना अर्सा लगेगा। क्या यह मुमकिन होगा कि इस साल के खत्म होने से पहले कमेटी अपनी रिपोर्ट दे दे और बतला दे कि यह खर्चा कम होना चाहिये और हमारा मतलब हल हो जाय। कम से कम इस कमेटी को छै महीने भी लगें तब भी यह साल तो खत्म हो ही जायगा और जो रुपया डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना है उसका इंतजाम कमेटी के जरिये नहीं होगा और आइन्दा साल के लिये क्या होगा और किस वक्त तक होगा। मगर इसका मसला तो किसी भी हालत में हल नहीं हो सकता है। मसला इस साल का भी है और अगले साल के लिये भी है, पांच साल के लिये खर्च करना है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो प्लान मंजूर किया है उसका ९२ करोड़ रुपये का खर्चा है और इसके अलावा और भी खर्चे हैं जिनकी हम कोशिश कर रहे हैं, मसलन रिह्न्द डैम का खर्चा है। ३५ करोड़ रुपया उसके लिये चाहिये और भी बहुत से खर्चे हैं मैं उनकी तफसील नहीं करता हूं। लेकिन कम से कम वह तो किया जाय जो प्लान मंजूर हो चुका है, जिसको गवर्नमेंट आफ इंडिया मंजूर कर चुकी है और प्लानिंग कमीशन की भी मंजूरी की मुहर उस पर लग चुकी है। इस ९२ करोड़ रुपये को हमें ५ सालों में पूरा करना है। अगर इसक हिसाब लगाय जाय तो २४ करोड़ रूपये की हर साल जरूरत होती है। इस साल २० करोड़ रूपया मौजूद है तो उस रूपये को पूरा करना है और अगले साल के लिये इंतजाम करना है। इसके लिये बजट स्पीच में कहा गया था कि टैक्सेशन की जरूरत होगी।

मैं मानता हूं कि लोगों पर टैक्स लगाना और उनकी जेबों से पैसा मांगना एक ऐसी चीज है कि हर एक को नागवार होता है। यह सही है लेकिन आजकल हिन्दुस्तान से बाहर मेरे नजदीक वह जमाना है कि इकोनामिक प्रोग्रेस (आर्थिक उन्नति) के लिये, इक्तसादी बढ़ोत्तरी के लिये कहीं भी दुनिया में आज टैक्स को उस नजर से नहीं देखते है जिस नजर से पहले देखा जाता था और मेरे दोस्त ने इशारा किया था और वह बिल्कुल सही था। श्री सुल्तान आलम खां ने किया था। मैं उसको और पूरा साफ अल्फाज में ऐवान के सामने रख दूं जिससे समझने मे मदद मिले। अब तक टैक्स की गरज यह थी कि गवर्नमेंट को खर्चा चलाने के वास्ते रुपया पब्लिक से मिल सके जिससे गवर्नमेंट की आमदनी हो ये टैक्स जो हैं ये मेरे नजदीक इस तारीफ में नहीं आते। यह सही है कि गवर्नमेंट जनता से जो कुछ भी ले उसके लिये अल्फाज टैक्स का इस्तेमाल किया जाय लेकिन टैक्स जो नागवार टैक्स है उसकी तारीफ में यह बात नहीं आती क्योंकि रुपये को लेकर गवर्नमेंट जिनसे रुपया लिया है उनकी आमदनी बढ़ाने के वास्ते उस रुपये को खर्च करे उन्हीं के फायदे के लिये तो वह मेरे नजदीक किसी मानी में टैक्स नहीं है जैसा कि आम तौर से दुनिया में टैक्स के मानी समझे जाते हैं। मसलन् इर्रीगेशन है, काश्तकार खेती करता है, वह अपनी खेती को अपने पैसे से तरक्की देना चाहता है लेकिन फिर भी बगैर गवर्नमेंट की मदद से तरक्की उसकी हो नहीं सकती। अगर कोई काश्तकार या काश्तकारों का एक ग्रुप जमा होकर स्वयं अपने खेतों या चकों की आबपाशी का इन्तजाम करे तो उसका खर्चा मेरे नजदीक उस खर्चे से जो गवर्नमेंट की इरीगेशन से होता है कम से कम कुछ नहीं तो तीन चार गुना से ज्यादा होगा। यह मैं बहुत ही माडरेटली बतला रहा हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि १०-१२ गुना भी हो सकता है लेकिन उस हिसाब में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन खर्चा हर सूरत से उसका ज्यादा होगा। खेतों को पानी की जरूरत है पैदावार बढ़ाने के वास्ते। उस पानी का इन्तजाम करने के लिये अगर काश्तकार से गवर्नमेंट कुछ लेकर उसे पानी दे दे तो ऐसी चीज जिससे कि उसकी खेत की आमदनी बढ़ती हो तो वह पैसा उस वक्त उसकी जेब से निकलते हुये भले ही बुरा मालूम होता हो लेकिन बाद में उसका भी फायदा होगा जैसे किसी मरीज का कोई डाक्टर इलाज करता हो और वह दवा जिसका असर

अच्छा होने वाला हो, उस समय उसे कड़ुवी मालूम होती हो लेकिन मेरे नजदीक उस दवा का देना फायदे की बात है और अच्छी बात है और उसको पिलाने से बचना या न पिलाना यह मेरे नजदीक बहुत बड़ी गल्ती होगी। अगर उसको इरिगेशन, पावर, एजूकेशन, मेडिकल ऐड ये जितनी जरूरी चीजें हैं इनमें तरक्की करनी है, इन्सानों की इन जरूरतों को पूरा करने के लिये अगर रुपये की जरूरत हो तो मैं यही समझता हूं जैसा मैं अभी कह रहा था सही बात है। अगर किसी से यह कहा जाय कि भाई आपका इस बात के करने से यह फायदा होगा कि आप जो तीन वक्त खाते हैं, उसके बजाय दो वक्त खाइये और एक वक्त का खाना किसी और काम में लग जाय तो मेरे नजदीक उस से किसी को इंकार न होगा। कोई इस बात को किस हैसियत से पेश करता है मेरे नजदीक इसमें कोई हर्ज नहीं है, न कोई नुकसान है, न किसी के साथ ज्यादती है, न उस मानी में टैक्स है जिस मानी में दुनिया में टैक्स कहा जाता है अगर लोगों की भलाई के लिये उनकी जेब से पैसा लेकर उनकी भलाई का काम करना है। हो सकता है कोई यह कहे कि यह भलाई का काम हो गया नहीं, अगर कोई आदमी ऐसा हो उनकी राय यह हो कि वह भलाई का काम किसी तरह से होने का नहीं है चाहे तुम जितना यत्न करो, कोई यह कहे कि जिनके हाथ में यह काम है उनके जरिये से यह काम नहीं हो सकता तो वह ऐसी दलील है जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता और वह जवाब यही हो सकता है कि किसी ऐसे आदमी को जिसको किसी दूसरे की इज्जत का लिहाज हो जवाब देना ही न चाहिये। इस बात को अलग रखिये। लेकिन अगर यह करना है कि उन टैक्सेज को जो गजट स्पीच में बयान किये गये थे उनको लगाना है तो उनमें से एक टैक्स यह भी है स्टैम्प। मेरे एक दोस्त ने दलील दी कि इस टैक्स के लगाने से आमदनी घटती है। उनके पास कुछ फीगर्स भी थे। जिस वक्त मैं यहां पर बैठा था सुन रहा था। उन्होंने कहा कि एक वक्त जब यह बढ़ाया गया था और उस वक्त हमारी आमदनी कम हो गई थी। इसका जवाब मैं बहुत कांफिडेंस के साथ देता हूं और यह कहता हूं कि जिस साल वह पहली दफा इजाफा किया गया था उस साल की आमदनी के मुताबिक और आज की जो आमदनी है उसकी मद को देख लिया जाय कि उसमें कितना फर्क है। उस वक्त से आज की आमदनी अगर बमुकाबिले ज्यादा हो रही हो तो साफ जाहिर है कि यह दलील जो दी जाती है वह बेकार है।

दूसरी बात मैं यह कहना चहता हूं कि कौन बदअक्ल दुनिया में ऐसा होगा कि जो आंखों से इस बात को देखे कि हम यह काम करेंगे और इससे हमको ज्यादा रुपया मिलने के बजाय कम रुपया मिलेगा। नतीजा यह होगा कि डेफिसिट साढ़े चार करोड़ या सवा चार करोड़ के बजाय पांच करोड़ हो जायगा इसलिये इस टैक्स के लगाने से आमदनी तो घट जायगी। तो यह बात किसी को बावर नहीं हो सकती है कि इस टैक्सेशन से जो इस वक्त इस ऐवान के सामने रखा गया है उससे आमदनी घट जायगी। सवाल यह है कि आमदनी घटे या बढ़े इससे हमको मतलब नहीं बल्कि सवाल यह है कि यह काम जिसके लिये हम खड़े हैं उसको करना है या नहीं करना है। उस रोज मैंने इस बात का तजकिरा किया था कि आया हमको इस प्रदेश की उन्नति करना है या नहीं करना है। अगर इस उत्तर प्रदेश की उन्नति करना है तो फिर इस उत्तर प्रदेश के रहने वालों को कुर्बानी करनी पड़ेगी। आप गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी ले लें जितना वह दे सकती है, कर्जा भी ले लें। खर्चे में जितनी कमी हो सकती है उसको भी आप कर लें। इस सब टोटल को निकाल कर आप देखें कि उससे खर्चा पूरा होता है या नहीं। मैं इसका हिसाब पहली मर्तबा बयान कर चुका हूं कि इससे खर्चा पूरा नहीं होता है इसलिये जरूरत है कि टैक्स लगाया जाय और उसके बाद और भी टैक्स आयेगा। इस बिल में जो आज इस हाउस के सामने है इसमें तो बहुत कम इजाफा किया गया है इस गर्ज से कि वह जो काम होना है उनका बार, एक उसूल की बिना पर बांट दिया जाय। ज्यादा बार डालने की बजाय अगर थोड़ा थोड़ा बार डाला जाय तो यह बहुत मुनासिब बात है। इससे टोटल आमदनी जो होने वाली है वह करीब १५ और २० लाख के बीच में आयेगी और आज जो आमदनी होती है वह

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

करीब एक करोड़ और कुछ लाख रुपये हैं। उस आमदनी में १५,२० लाख रुपया और इजाफा हो जायगा। अगर इस १५,२० लाख के बार को डिस्ट्रिब्यूट करके देखा जाय तो यह महसूस होगा कि उसका बर्डन बहुत कम आकर पड़ता है उन लोगों के ऊपर जो इस खर्चे को अदा करने वाले होंगे। इस लिहाज से जब हम देखते हैं तो यह टैक्स जिसको आप बड़ा भारी टैक्स समझते हैं यह ऐसा नहीं है कि जो तकलीफ पहुंचाने वाला हो या ऐसा बार डालने वाला हो जो उन पर नहीं डालना चाहिये।

मैं सिर्फ यह अर्ज करने के लिये खड़ा हुआ था कि यह टक्सेशन हैं और आगे कुछ और टैक्स आने वाले हैं। इसके मुताल्लिक जो साहबान ऐतराज करने वाले हैं उनसे मैं यह जानना चाहता हूं कि आज भी जानना चाहता हूं और जो आगे टैक्स के मेजर आयेंगे उनके मुताल्लिक भी कि वह इस बात का जवाब दें कि आया वह प्लान जो इस स्टेट के लिये बनाये गये हैं वह जारी हों या न हों और अगर उनको जारी किया जाय तो उसके लिये रुपया कहा से आवे। उस रुपये को मुहैइया करने की वह क्या सूरत हो। एक मुखतसिर सी बात है और इस मामले में तनक़ीद, आलोचना और क्रिटिसिज्म जो कुछ भी कहिये वह करेंगे बिला लिहाज इस बात के कि उस के नतायज क्या होंगे, तो इस तरह से मैं समझता हूं कि हम अपने उस नुमाइन्दगी के फ़र्ज को पूरा नही करते हैं। हम पर फ़र्ज है कि हम स्टेट के खर्च को एक सही नजर से जांचें कि वह खर्च होना चाहिये या नहीं होना चाहिये और अगर हमारी समझ में आता हो कि वह खर्च होना चाहिये और उसके लिये गवर्नमेंट रुपया मांगे तो यह लेजिस्लेचर का अखलाक़ी फ़र्ज हो जाता है कि वह उस रुपये को पैदा करने में मदद दे और शामिल हो। हम चाहते हैं कि इसके साथ ही कि अपोजीशन इस बात पर कड़ी नजर रखे कि गवर्नमेंट कहीं कोई ग़लत काम तो नही कर रही है कहीं फ़जूल खर्ची तो नहीं हो रही है जिस काम के लिये रुपया लिया जाता है उससे वह काम होता है या नहीं होता है, जिस काम के लिये रुपया लिया जाता है उससे जो फ़ायदा होने वाला है उसको हासिल करने में पूरी-पूरी कोशिश होती है या नहीं, इन सब बातों पर नजर रखना अपोजीशन का काम है। इसमें किसी इक़रार या इक़बाल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन तमाम क़िस्म के कामों को करने के लिये अगर रुपया चाहिये है तो वह कहां से आवे, वह कौन देगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आज कहा जाता है कि स्टाम्प ड्यूटी को छोड़ दो, कल को बिजली का बिल पेश है उसके लिये भी कहा जायगा कि इसको भी छोड़ दो, इस की यह वजह है इसलिये छोड़ दो और कोई दूसरा टैक्स आयेगा उसके लिये भी कहा जायेगा कि इसकी यह वजह है इसको भी छोड़ दो। जो भी गवर्नमेंट लेवी आये उसी के लिये कह दिया जाय कि यह वजह हैं इसे छोड़ दो और यह न लगना चाहिये। इस तरह से तो फिर दुनिया में होना ही क्या है। एक डैडलाक और स्टैंडटल के हालात पैदा हो सकते हैं। मैं इस तरह की चीज को क़तअन ग़लत समझता हूं। यहां का नुमाइन्दा होने की हैसियत से हमने अपने कन्धों पर नुमाइन्दगी का बोझ लिया है हमारी जिम्मेदारी अपनी-अपनी कांस्टीटुयेन्सी की है और यहां आने पर वह सिर्फ कांस्टीटुयेन्सी की ही नहीं रहती बल्कि वह सारी स्टेट की या मुल्क की जहां के हम रहने वाले हैं हो जाती है और वह बोझ आ पड़ता है। उस जिम्मेदारी को रखते हुये अगर हम अपोजीशन कर दें और कोई कांसट्रक्टिव सूरत न बतावें कि जिस काम को करना चाहते हैं उस के लिये यह रास्ता खुलता है और कोई कांस्ट्रक्टिव सजेशेंस (रचनात्मक सुझाव) दें कि क्या तरीक़ा रुपया पैदा करने का अख्तियार किया जाय। अगर ऐसा सजेशचन नहीं आता तो वह बात मानने के क़ाबिल नहीं रहती। मैं ने चूंकि कुछ बातें सुनीं इसलिये जरूरी समझा कि मैं ऐवान के सामने कुछ जरूरी चीजें रख दूं और अर्ज कर दूं कि यह काम बड़ी जिम्मेदारी का है और उसको इस क़दर लाइटली ट्रीट न किया जाय और हर चीज में नुक्स और ऐब निकालने की नजर से हर चीज को न देखना चाहिये। मेरे दोस्त ने बिल पेश किया है। मैं बहैसियत वित्त मंत्री के ऐवान के सामने इस स्टेट के पैसे को खर्च करने का जिम्मेदार हूं और यह काम इस सूबे की इस हुकूमत ने मेरे सुपुर्द

किया है । मैं इस ऐवान में यह अर्ज़ करता हूं कि इस टैक्स को लगाने के बजाय फलां कार्य-वाही करो जिससे इस काम के लिये रुपया मिल जाय तो अगर यह क़ानून पास भी हो जायगा और ऐक्ट की शक्ल में आ भी जायगा तो मैं यक़ीन दिलाता हूं कि मैं गवर्नमेंट पर ज़ोर डाल कर इसको रुकवा दूंगा और उस तरीके से रुपया पैदा करूंगा कि जिस तरीके से कोई शख़्स मुझे बतावेगा कि इस तरीके से रुपया आ सकता है । अगर कोई कहेगा कि यह काम करने का ही नहीं है और इस पर पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि किसी की भी अक्ल यह गवारा नहीं कर सकती कि इस सूबें में इर्रिगेशन को न बढ़ाया जाय, बिजली को न बढ़ाया जाय, कोई कहे कि तालीम को न फैलाया जाय, कोई कहे कि मेडिकल ऐड न दिया जाय और अगर कोई कहता है तो वह ग़लत है और मैं उस को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अगर कोई बतलावे कि रुपये का इंतज़ाम इस तरीके से हो सकता है और एक स्टेट की ख़िदमत इस तरीके से हो सकती है यह मेरा आख़री पैग़ाम है इस हाउस से कि मैं वेलकम करूंगा जो कुछ सजेशन्स इसके लिये आवेंगे उनके ऊपर ग़ौर करके उनका जवाब दूंगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय चेयरमैन साहब, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने बहुत सी बातों पर बहुत अच्छे तरीक़े से रोशनी डाली और जहां तक अंधेरे में टटोलने का सवाल था उससे हमको उन्होंने बचा लिया । लेकिन जिस तरीक़े से माननीय न्याय मंत्री जी ने हमारे सामने बिल पेश किया था उसमें तो हमको बिलकुल अंधेरे में ही टटोलना पड़ता और यही नहीं उन्होंने इस तरह से वह बिल सामने रखा था कि जो एक मजाक की सी बात हो गई थी । उद्देश्य में उन्होंने यह कहा कि चूंकि बम्बई और मद्रास में ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी है इसलिये बढ़ाना चाहते हैं और कुछ गुणाभाग में ग़लती हो जाया करती है, आसानी नहीं होती, इसलिये भी हम उसे बढ़ाना चाहते हैं। कभी इस बात का ज़िक्र उन्होंने नहीं किया था जिसका कि माननीय वित्त मंत्री जी ने किया। उन्होंने अपनी आर्थिक परिस्थितियों का अवलोकन कराया और हमें यह यदि दिलाया कि हम अपनी नुमा-यन्दगी का ध्यान रखें और हमारे ऊपर सारे प्रदेश की ही नहीं बल्कि सारे देश की भलाई की ज़िम्मेदारी है और फिर कहा कि हम इस गवर्नमेंट की परेशानियों को भी ध्यान में रखें । उन्होंने यह भी फ़रमाया कि हम बजट की हालत का भी ध्यान रखें । मैं सरकारी पक्ष के लोगों से ख़ास तौर से निवेदन करूंगा कि इस बात पर भी ग़ौर करें कि जब हम बम्बई और मद्रास का नाम लेते हैं और स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने की बात करते हैं तो एक बात अवश्य याद रखें कि शायद सारे भारतवर्ष में यही दो प्रदेश हैं जिन्होंने गांधी जी के स्वप्न को पूरा किया है। नशा निषेध के संबंध में जिन्होंने करोड़ों रुपये का घाटा बर्दाश्त करके मद्यनिषेध की योजना पूरे प्रदेश में पूर्ण रूप से चालू की है । सरकार चलाने के लिये पैसे की आवश्यकता तो होती ही है और इसलिये कभी-कभी बड़े पाप से बचने के लिये छोटा पाप करना लाज़िमी हो जाता है । अगर नशा पिलाना पाप है तो यह बहुत बड़ा पाप है । करोड़ों आदमी नशा पीकर अपने परिवार को और अपने को बर्बाद करते हैं । माननीय न्याय मंत्री जी सौभाग्य से हमारे आबकारी मंत्री भी हैं । उन्होंने अपने प्रदेश में कोई ऐसी योजना नहीं लागू की है जिसके अनुसार बम्बई की तरह से उन्हें करोड़ों रुपये का घाटा बर्दाश्त करना पड़ता हो । और जिसकी पूर्ति के लिये आवश्यकता हो सकती है नये कर लगाने की, इस बात पर भी ग़ौर करना चाहिये ।

दूसरी बात एक और है । बंबई को माननीय मंत्री जी एक बात और भूल जाते हैं। नेशनल इनकम कमेटी की रिपोर्ट को अगर आप ग़ौर से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि बंबई की जो पर-केपीटा इनकम है वह उत्तर प्रदेश की पर-केपीटा इनकम से कहीं ज्यादा है । ऐसी हालत में हमारी तुलना बंबई से करना मुनासिब नहीं है । अगर आप तुलना करते हैं तो और बातों में भी तुलना की जाय। बहुत सी बातों में तुलना करने की आवश्यकता होती है । बंबई में कितने ज़मीन वालों को रुपया देने के लिये मुआवज़ा देने के लिये कितने अरब रुपया बंबई के लोगों से वसूल किया गया ? वहां पर रैक्सवारी प्रथा है उनको भी मुआवज़ा

[श्री गेंदा सिंह]

देने के लिये उनको रुपये की जरूरत हो सकती है लेकिन उन्होंने अभी तक अपने प्रदेश के किसानों पर कोई बोझ नहीं डाला है, लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार ने किसानों से १ अरब ३५ करोड़ रुपया वसूल करने की योजना बनायी । अगर आप ऐसी तुलना करते हैं तो और सब बातों में भी तुलना करनी चाहिये।

हम टैक्स लगाने के विरुद्ध नही हैं। हम चाहते हैं कि टैक्स लगाये जायं। लेकिन किनके ऊपर यह टैक्स लगाया जाय और कहां उनको खर्च किया जाय यह प्रश्न सब से बड़े हैं। बजट के सिलसिले में हम लोगों ने कुछ सुझाव दिये थे। संभव है उस समय माननीय वित्त मंत्री जी सदन में उपस्थित न हों इसलिये उनको वे बातें ज्ञात न हो सकी हों। उस समय हम लोगों ने यह भी कहा था कि हम लोग टैक्स लगाने के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन आप इस तरह से हमारी जबान पकड़ना चाहते हैं कि हमने बजट के समय टैक्स लगाने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था इसलिये जैसा भी टैक्स लगाया जाय वह स्वीकार कर लिया जाय। यह हमारे साथ ज्यादती होगी हमने कहा था और आज भी कहते हैं कि उन लोगों से टैक्स लिया जाय जो इस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं, जो देने लायक़ हैं। अगर सरकार इस तरह से रुपया लेने का बंदोबस्त करे तो हम सरकार को सहयोग देने को तैयार हैं। कहा यह गया और ऐसे माननीय सदस्य की ओर से कहा गया जिनके बारे में मैं बहुत ऊंची राय रखता हूं गोकि हमारे विचारों के वे कट्टर विरोधी हैं, माननीय लक्ष्मीरमण जी, उन्होंने कहा कि यह टैक्स जो कि स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जा रही है इससे व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो जायगी। मैंने जो उनके मुंह से यह बात सुनी तो बमु झेड़ा आश्चर्य हुआ कि इस स्टाम्प ड्यूटी के लगाने से व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो जायगी। स्टाम्प ड्यूटी तो इस बात का सबूत ही है कि व्यक्तिगत संपत्ति रहेगी। कुछ हद तक समाजवाद में व्यक्तिगत संपत्ति रहेगी। कपड़े हैं, मकान हैं या इसी तरह की और चीजें भी हैं जो समाजवाद में भी किसी के पास रह सकती हैं। उनमें कुछ खेत भी हैं, वे भी किसी के पास रह सकते हैं, कुछ बगीचे भी लोगों के पास रह सकते हैं। ऐसी चीजें समाजवाद में भी लोगों के पास व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में रह सकती हैं, लेकिन वे इस तरह की बातें मैं उनके मुंह से नहीं सुनना चाहता था।

तीसरी बात यह है कि उन्होंने यह भी कहा कि इसका बोझा ग़रीब लोगों पर नहीं पड़ेगा। इस स्टैम्प ड्यूटी की वृद्धि ग़रीबों पर नहीं पड़ेगी यह सुन कर और अधिक आश्चर्य होता है। यह सही है कि कोर्ट फ़ीस और स्टैम्प ड्यूटी में अन्तर है परन्तु यह अन्तर ढूंढ़ना भी कठिन है। मैं कुछ ज्यादा इस क़ानूनी पचड़े को जानता नहीं हूं और इसलिये मैं अपनी मजबूरी जाहिर करना चाहता हूं और यह जरूर कहना चाहता हूं माननीय लक्ष्मीरमण जी से कि मुझे ढूंढ़ने से इसमें एक जगह मिला है कि ऐफीडेविट की फीस भी बढ़ाई गयी है। मैंने मुक़द्दमों में देखा है कि ऐफीडेविट देना होता है और यह ऐसी बीमारी है कि प्रायः बयान हलफी दे देनी पड़ती है तो क्या वह कोर्ट फीस की तरह से नहीं हुई। दूसरी बात यह कि जब किसी सम्पत्ति की खरीद-बिक्री के लिये जायेगा तो उस का खर्चा बेचने वाले पर पड़ेगा और खरीदने वाले के ऊपर नहीं पड़ेगा। जहां तक मेरी जानकारी है कई जगह ऐसा रिवाज है कि अगर रैहनदखली लिया जाय तो उसका सारा खर्चा और स्टैम्प का जो दाम है जो लिखने वाला होता है उसको देना पड़ता है और बयनामा लिखाया जाय तो उसका सारा खर्चा स्टैम्प वगैरा का दाम जो लिखने वाला होता है उसको देना पड़ता है तो यह बात साफ है कि इसका बोझ ग़रीबों पर अधिक पड़ेगा। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि यह खर्चा या यह टैक्स ग़रीब और अमीर दोनों पर पड़ता है बल्कि ग़रीब पर ज्यादा पड़ता है क्योंकि खरीदने वाले कम हुआ करते हैं और बेचने वाले ज्यादा हुआ करते हैं। यह ऐसी बात है कि इसमें कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। और जो बेचने वाला होगा उसको यह खर्चा बरदाश्त करना पड़ेगा। इसलिये यह कहना कि ग़रीबों पर यह टैक्स नहीं पड़ेगा सही नहीं है। मैं कुछ सुझाव देनी की बात सोच रहा हूं और माननीय वित्त मंत्री जी के हुक्म को तामील करना चाहता हूं। उन्होंने रेहंद बांध की भी

चर्चा की और उन्होंने कहा कि २०-२५ लाख इस स्टैम्प ड्यूटी से आयेगा और अभी बहुत से टैक्सेशन के बिल और आने वाले हैं जो कानून बन जायेंगे और उनसे रुपया इकट्ठा करने का प्रयत्न किया जायगा। मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जरा अपने पिछले ७ या ८ वर्षों में एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा है उस पर एक बार निगाह डालें। हमारे यहां जो एकानामी कमेटियां बैठी थीं उनकी रिपोर्टों पर भी गौर करें कि उन्होंने कहां घटाने की बात कही है क्या उनके उपाय थे और उन उपायों पर क्या काम आज तक सरकार ने किये यह जानना सदन के लिये जरुरी न होगा। यह बात जरुर है जैसा कि माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने सब कुछ कहते हुये एक धमकी रिट्रेचमेंट का नाम लेकर दी। यह सही है कि हम लोग रिट्रेचमेंट के नाम से बहुत डरते हैं उन्होंने हमारी कमजोरी बहुत अच्छी तरह से समझा इसमें कोई शक नहीं है। जब किसी के निकाल देने की बात हमारे सामने आती है तो हमें डर लगता है यह सही है कि यह हमारी कमजोरी है, इससे चाहे तो सरकार भी फ़ायदा उठा सकती है लेकिन उस रिट्रेंचमेंट की धमकी से मेरे लिये टैक्सेशन को ताईद करना मुनासिब नहीं होगा। रिट्रेंचमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, बगैर रिट्रेंचमेंट किये हुये ही आप का काम चल सकता है और रिहन्द बांध के लिये तो हम बहुत सस्ता नुस्खा माननीय वित्त मंत्री जी के पास पेश करना चाहते हैं। जैसा कि माननीय नारायण दत्त जी ने बजट के भाषण के सिलसिले में अर्ज किया था कि इस समय हमारे खून और पसीने की कमायी का पैसा करीब ३२ करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा हुआ है। जेड० ए० एफ़० वाला और वह ३२ करोड़ रुपया चाहे जमींदारों को आप दे दें या जिस तरह से आप चाहें उसको इस्तेमाल कर लें लेकिन उससे मुल्क को बेहबूदी कुछ नहीं होती। उस ३२ करोड़ रुपये को रिहन्द बांध पर इस्तेमाल कीजिये या सारे सूबे को कृषि की तरक्की देने में। मैं समझता हूं कि उससे आप के देश का निर्माण होगा और सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। फिर अगर सरकार यह चाहे कि उस काम के नाम पर ग़रीब जनता से भी कुछ पैसा मांगे तो शायद ग़रीब जनता भी खुशी-खुशी देने को क़बूल करे। यह प्रश्न हो सकता है कि भाई यह तो कांस्टीट्यूशन का सवाल है। यह तो देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे फिर अर्ज करूंगा कि आखिर बिहार ने भी तो जमींदारी का खात्मा कबूल किया है। मध्य प्रदेश ने भी तो जमींदारी खत्म की है। उन्होंने किसानों से कोई पैसा वसूल नहीं किया। (एक आवाज वहां पर--जमींदारी बहुत कम थी) मध्यप्रदेश में पूरे प्रदेश में जमींदारी थी। बिहार में भी पूरे प्रदेश में जमींदारी थी। जो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि वहां पूरे प्रदेश में नहीं थी उन्हें मैं चाहूंगा कि वह फिर जानकारी कर लें। बिहार में पूरे प्रदेश में जमींदारी थी और जैसी जमींदारी उत्तर प्रदेश में थी उससे ज्यादा मजबूत जमींदारी बिहार में थी। बिहार में जमींदारों को जितनी आमदनी होती थी उतनी उत्तर प्रदेश के जमींदारों को नहीं होती थी। तो बिहार में कोई ऐसी रक़म किसानों से वसूल नहीं की गयी। तो आज भी 'देर आयद दुरुस्त आयद'। सारा पैसा जो यहां उस सिलसिले में वसूल किया गया है अगर उसको हमारे प्रदेश की खेती के फायदे में खर्च कर दिया जाय तो हमारी जनता के आंसू पुछ जायंगे। उससे हमारी उपज बढ़े और उपज बढ़ने के बाद जिस वक्त सरकार चाहेगी हम किसानों से कुछ पैसा और वसूल करें तो देखते हैं किसान वह तो बड़े देनदार होते हैं बड़े दिल वाले होते हैं। अभी तक सरकार ने किसानों को कोई मदद नहीं की। कभी विचार करने की बात है। बैठ कर सोचें कि हमने किसानों के लिये क्या किया, हमने उनको कोई माली राहत नहीं पहुंचाई है। अगर हम उनको माली राहत पहुंचाएंगे तो किसान हमारे टैक्सेशन का विरोध नहीं करेंगे और टैक्स देंगे और उससे हमारे सूबे का काम आगे बढ़ेगा।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। हमसे कहा जाता है कि भाई इस टैक्स के मामले पर दूसरी तरह से मत सोचो। काम चलाने की बात सोचो। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जब बजट हमारे सामने आया था उसमें सदन ने तो एक फाइनेंस कमेटी बनायी थी, छोटी सी कमेटी थी। क्या उससे सलाह ली गयी थी जब सवा चार करोड़ रुपये के घाटे का बजट बना दिया गया। फिर उसके बाद मैं कहता हूं, उस वक्त फुरसत नहीं मिली थी। यह कहा गया था कि नैनीताल में होने की वजह से और मेम्बरान साहबान तशरीफ नहीं ले गये इस वजह

[श्री गेंदा सिंह]

से उनसे सलाह मशविरा करना मुमकिन न हो सका । तो क्या यह मुनासिब नहीं होता कि आज जब हम नये टैक्सेशन के प्रस्ताव ले आ रहे हैं तो फाइनेंस कमेटी को कांफीडेंस में लिया जाता, उससे सलाह मशविरा लिया जाता तो मुझे तो शुबहा है कि अब भी फाइनेंस कमेटी की सलाह इन बातों पर नहीं ली गयी थी। अगर सलाह नहीं ली गई तो हमारे साथ ज्यादती होती है। सदन में बैठ कर जिन आर्थिक मामलों पर हम विचार करें, फाइनेंस कमेटी इसीलिये बनी हुई है कि इन सारी चीजों पर विचार करे और हमें सलाह दे, उसमें और पार्टी के लोग भी थे, मुमकिन था उन सारी बातों को जानने के बाद हम कुछ ज्यादा इस हैसियत में होते कि आप के इस प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते ।

लेकिन मेरी ऐसी धारणा अब है कि फाइनेंस कमेटी से अबकी मर्तबा भी नहीं पूछा गया, न विचार किया गया। तो मैं समझता हूं कि सरकार का इस बहाने से कि भाई हमारा कमी वाला बजट है, इसको पूरा करने के लिये सवा चार करोड़ रुपयों के लिये स्टाम्प ड्यूटी लगाना किसी तरह से मुनासिब नहीं है ठीक नहीं है। हम जनता के नुमाइन्दे हैं, सिर्फ इस सरकार की बात न लेकर सारे प्रदेश की बात सोचते और उसके बाद राय देते। हम जरूर यह समझते हैं कि इसी में सारे प्रदेश का हित है कि इस ड्यूटी को न बढ़ाया जाय ।

मैं एक बात और अर्ज करूं कि यह कहा जाता है कि हम लोग जिद्द करते हैं परन्तु यह तो उल्टी बात है। इस वर्ष के बजट अधिवेशन में यह सिद्ध है। बजट में एक जगह इस बात को कहा गया था कि ५ लाख रुपया चीनी मिलों को इनाम दिया जायगा, इसलिये कि उन्होंने पिछले वर्ष चीनी का अधिक उत्पादन किया और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष चीनी का उत्पादन जिन मिलों ने जितना ही ज्यादा किया था उन मिलों ने उतना ही अधिक मुनाफा कमाया अपनी पूरी पूरी पूंजी निकाल ली थी पिछली चीनी की कीमत से और उन पूर्वी जिलों की चीनी मिलों को ५ लाख रुपया देने जा रहे हैं यह क्या देना मुनासिब है ?

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

दूसरी बात यह कि हमने पिछली मर्तबा इसी सदन के सामने कहा था कि नये नये स्थापित स्वार्थों का मत क्रियेट (सृजन) करिये। हम मान लेते हैं कि अगर बेरोजगारी को दूर करने के लिये गवर्नमेंट नौजवानों को काम में लगाती है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जमींदारी टूट जाने के बाद जो वसूली का तरीका सरकार ने रखा उसमें हमने कहा था कि भरोसा कीजिये गांव पंचायतों के ऊपर, अपने ही रखे हुये गांव मंत्रियों पर और जिनको कि इस हाउस ने ५० लाख रुपया पिछले साल मंजूर किया है तनख्वाह देने के लिये अब बगैर तनख्वाह के वह नहीं रहेंगे । जब हम ५० लाख रुपया एक मुश्त उनको देने के लिये तैयार हो जाते हैं तो हम क्यों न उनसे भरोसा करें कि लगान की वसूली का काम भी उनसे लेंगे, गांव सभाओं और पंचायतों से यह काम और लेंगे, उनको कुछ कमीशन देंगे। लेकिन इस बात को मज़ाक समझा गया। इस बात को भी उस वक्त टाल दिया गया। कहा गया कि बिल्कुल अव्यवहारिक प्रश्न है। गांव पंचायतों को हम यह काम सुपुर्द नहीं करना चाहते हैं। हम जानते थे कि यह मामला आने ही वाला है और लाखों रुपये वसूली के खर्च के नाम पर मांगे जायेंगे।

अध्यक्ष---माननीय सदस्य, जो विधेयक सामने है, उसी में सीमित रखें अपने भाषण को ।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री ने आपकी अदम मौजूदगी में एक बहुत लम्बी तकरीर की है जिसमें इन सारी बातों का जिक्र किया है, इस लिये मैं यह जवाब दे रहा था।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---अगर जनाब वाला की इजाजत हो तो मैं बड़े अदब से यह अर्ज करूंगा कि यह बात सही नहीं है । मैंने ये बातें कही ही नहीं।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से क्या कहूं। हमारे में कमजोरी है कि जब किसी बुजुर्ग का रोब हमारे ऊपर पड़ता है तो मैं दब जाता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर अदब से गुजारिश करना चाहूंगा कि उन्होंने सारे सूबे के फाइनेंस पर और उसकी फाइनेंस पालिसी पर अपना वक्तव्य दिया था। मैं स्वयं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं भी खत्म कर रहा था। उस ५० लाख रुपये को अगर हुकूमत बचा लेती तो शायद बहुत से टैक्सेशन के बोझ से हट जाती और जो उसको बदनामी मोल लेनी पड़ती है उस बदनामी से वह बच जाती।

पेड़ की बात एक माननीय सदस्य ने फरमाई थी कि कोई अपोजीशन वाले पेड़ बतलाते कि उस पेड़ से रुपये गिरने लगते, तो मैं क्या कहूं, किसी ने हमको पढ़ाया नहीं है और न कोई पेड़ ही होगा जिससे रुपया गिरेगा। लेकिन जब मैं दर्जा २ में पढ़ता था तो एक हिन्दी रीडर जो पढ़ाया गया था उसमें एक सबक था कि बाप जब मरने लगा तो बेटे से उसने कहा कि देखो, हम अपनी दौलत जो है वह एक पेड़ के नीचे गाड़ जाते हैं और उसको तुम कुरेदना और पानी डालना तो उसमें से तुमको रुपया मिलेगा। तो उनकी औलाद जो थी उसने पेड़ की जड़ को खोदा और उसमें पानी डाला। वह यह सोचता था कि उसे नीचे से पैसा मिलेगा लेकिन उसे ऊपर से पैसा मिलने लगा। उसी तरह से मैं वह बुजुर्ग तो बनाना नहीं चाहता हूं लेकिन भाई जरूर बनना चाहता हूं और मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आप यह जो तरीका सोच रहे हैं इस तरीके को छोड़ कर जो तरीका आपोजीशन वाले लोग बता रहे हैं कि कृषि की उन्नति कराइये और जो इस तरह का रुपया आपने इकट्ठा किया है उस रुपये को ऐसे काम में खर्च कीजिये जिससे कि सूबे की तरक्की हो, आप को भी तरक्की हो, हमारी भी तरक्की हो, सब की तरक्की हो तो फिर टैक्स लगाइये, खुशी खुशी सब लोग टैक्स देंगे और फिर हमको यहाँ आपका विरोध करने के लिये खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और फिर पेड़ दिखाई देने लगेगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 'नो गवर्नमेंट विदआउट टैक्सेशन, कोई भी सरकार संसार में बिला टैक्स के चल नहीं सकती। मैंने इतिहास के पन्नों को पल्टा है। एक हमारे लायक दोस्त ने अंग्रेजी जमाने की बात बतायी, एक हमारे दूसरे सज्जन ने मुग़ल पीरियड से कोट किया। लेकिन मैं उनको बताता हूं कि राम राज्य के जमाने में गुप्ता पीरियड के जमाने में कौटिल्य शास्त्र को पढ़िये, राजनीति के बड़े बड़े पंडितों ने बतलाया है कि हर जमाने में कर की आवश्यकता पड़ी है। आज जो सरकार हम लोग चला रहे हैं वह किसकी सरकार है? वह जनता की सरकार है, किसी अंग्रेज की नहीं है। आज हम ब्रिटिश रूल के नीचे नहीं हैं। हम अपनी स्वतंत्र सरकार चला रहे हैं। इसमें ठाकुर गेंदा सिंह जी भी शरीक हैं, राजनारायण जी भी शरीक हैं, जितने सदस्य इस हाउस के अन्दर बैठे हुये हैं सभी उसके भीतर शरीक हैं। आज जो पालिसी गवर्नमेंट की है उस पर हमको और जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग बैठे हुये हैं, सबको चलना है, हमने उसकी शपथ खायी है। इस टैक्सेशन के बारे में हमारे लायक दोस्त बता रहे हैं कि टैक्सेशन बहुत बुरी चीज है, नहीं होना चाहिये। हमेशा विरोध किया जाता है लेकिन चलते चलते एक लंगड़ी मारते हैं। गेंदा सिंह सिंह जी कहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं। जब आप उसके पक्ष में हैं तो इतना वादविवाद करने की क्या आवश्यकता है? हमारे विरोधी दल के नेता ने यहां हाउस के अन्दर "गगनचुम्बी" शब्द का प्रयोग किया। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि "गगनचुम्बी" का कहां प्रयोग होता है। पहाड़ों के लिये प्रयोग होता है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के लिये प्रयोग होता है। हमारे दोस्त बनारस से आये हैं, शायद उनके दिमाग में वहां की अट्टालिकायें रहती हैं इसीलिये उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। हमारे लायक दोस्त इस पर गौर करें

[श्री शिवनारायण]

कि कम से कम हाउस के अन्दर जो हम लोग बोलें तो साहित्य पर कंट्रोल करना चाहिये कि सुन्दर से सुन्दर ढंग से आप हमको क्रिटिसाइज करें हम आपको क्रिटिसाइज करें, यह ड्यूटी हम दोनों की है। यह नहीं कि अकेले हम ही कंट्रोल रखें और आप जो चाहें सो कहें।

जो कानून हमारे न्याय मंत्री ने हाउस के सामने पेश किया है उसका ताल्लुक व्यापारी लेन देन, अदालती कार्रवाई और व्यक्तिगत सम्पत्ति से है। व्यक्तिगत सम्पत्ति उन लोगों की है जो बड़े बड़े लोग हैं। आज आये दिन ठाकुर, पंडित, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले रात दिन कत्ल करते हैं और कचहरियों में जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट अगर उन पर इनडाइरेक्ट टैक्सेशन करती है तो क्या बेजा करती है। डायरेक्ट टैक्सेशन तो करते नहीं हैं, इन्डायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं। बमार नहीं जाता है फौजदारी करने उसके पास पैसा नहीं है गरीब नहीं जाते हैं, गरीब कहां कचहरी जाता है वह तो बाबुओं को सलाम करता है। फिर जाता कौन है ? जो बड़े बड़े चोर हैं, डकैती डालते हैं वह कचहरी में जाते हैं। उनसे भी अगर टैक्सेशन न किया जाय तो फिर किनसे किया जाय ? मैं अपने मित्र श्री गेंदा सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि किससे टैक्सेशन किया जाय और गवर्नमेंट का काम कैसे चलेगा, कहां से पैसा आयगा ? आप यह तो कहते हैं कि सारा प्रोग्राम कैरी आउट करने, कार्यक्रम चलाने के लिये तैयार हैं लेकिन यह नहीं बतलाते हैं कि पैसा कहां से आयेगा। अलाउद्दीन का चिराग तो हमारे पास नहीं है। मेरे भाइयों ने कहा कि हमने दर्जा दोयम में सबक पढ़ा था। मैं भी कहता हूं कि हमने भी सबक पढ़ा था लेकिन वह हमारे पास नहीं है। पारस पत्थर हमारे पास नहीं है। अगर पारस पत्थर मिल जाय तो हमारे देश का कल्याण हो जाय।

यह पारस पत्थर क्या चीज है। पारस पत्थर हमारा और आपका परिश्रम है। हिन्दुस्तान के विद्यार्थी आज उसी संस्कृति पर चलते हैं जो कि ब्रिटिश जमाने में क्लाइव ने बाबू बनाने की बात को कहा था उसी चीज को ले रखा है। आज हमारे यहां का विद्यार्थी अमेरिका के विद्यार्थी की तरह से काम नहीं करता है। वह जूते पर पालिश करना नहीं चाहता है, अखबार बेचना नहीं चाहता है। एक विद्वान ने लिखा है कि.....

"Those who will obey will govern; those who will not obey cannot govern"

[जो आज्ञा पालन करेंगे वे शासन करेंगे, जो आज्ञापालन नहीं करेंगे शासन नहीं कर सकते।]

वह बड़ों का हुकुम नहीं मानते हैं। जो मानेंगे सदा सुखी रहेंगे, जो हुकुम नहीं मानेंगे वह किसी को हुकुम दे नहीं सकते हैं।

मैं आपसे कहूंगा कि कंधा से कंधा मिलाकर काम करने से काम चलेगा, सिर्फ गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। उधर जितने हमारे नारायण भाई बैठे हैं हम उनके नाम अक्सर भूल जाते हैं। श्री रामनारायण और श्री राजनारायण यानी बहुत से नाम हैं। अभी मैं श्री राम नारायण कह दूं अभी कुछ और कहूं तो बुरा नहीं मानना चाहिये। कल हमारे मंत्री जी ने श्री मदन मोहन जी को मदन लाल कह दिया तो आप लोग जुम्ला कसते हैं। इस पर आप लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिये। हम लोग बुजुर्ग हैं और हम उनकी कद्र करते हैं।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य विरोधी दल से प्रत्यक्ष बातचीत न करें। मेरे द्वारा वह बातें करें।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा ही बातें करूंगा। ३२ करोड़ रुपये का जिक्र किया गया। मैं जानना चाहूंगा कि अगर उनको इतना रुपया दे दिया जाय तो क्या वह सूबे का प्रबंध ठीक कर लेंगे ? हमारा जो बजट है उसको सब ने मिलकर

पास किया है और सबको मालूम है कि हमारा बजट डैफिसिट है तो रुपया कहां से आयेगा। यह सब जानते हैं कि विदआउट टैक्सेशन रुपया पूरा नहीं हो सकता है।

उपज का प्रश्न किस तरह से बढ़ाई जाय। ३२ करोड़ रुपये से हमारे भाई कैसे काम चला लेंगे। जब तक हम और आप कंधा से कंधा मिलाकार गांवों में खेती नहीं करेंगे काम चलने वाला नहीं है। सरकार ने कन्ट्रोल किया है, हम घर का कंट्रोल बताना चाहते हैं, अगर एक सेर चावल पकता है तो एक मुट्ठी चावल कम किया जाय तो ३० मुट्ठी होगा और महीने में चार सेर चावल बच जायगा और इसको प्रांत के कोने कोने में पहुंचा दिया जाय तो बहुत बड़ी रकम मिल सकती है चाहे इसको आप दानस्वरूप ही दे दीजिये। चैत और क्वार में लोग खूब खाते हैं लेकिन भादों और माघ में भूखों मरने लगते हैं तो थोड़ा खाते हैं। हम और आप को मिलकर काम करना है सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, लाल टोपी पहन लेने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल बात से काम चलेगा। मैं ज्यादा सोशलिस्ट प्रोग्राम चलाने के लिये तैयार हूं। अभी रात हमारे मुख्य मंत्री ने बर्थ डे के सिलसिले में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के विषय में बतलाया कि हमारा वही प्रोग्राम है जो आप सोचे हुये हैं। अभी हमने एबोलीशन किया और ५ साल के बाद अगर सारे देश में ग्रो मोर फूड कम्पेन (अधिक अन्न आंदोलन) सक्सेजफुल (सफल) हो जायगा, हम ट्रेक्टर्स चला लेंगे, मशीनरीज डेवलप कर लेंगे, कंट्री को ऊंचा उठा लेंगे तो आप पिछड़ जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने भाइयों को बतलाना चाहता हूं कि ये लोग हमारे साथ आये और जो कुछ कहें उसमें सक्रिय सहयोग दें। हमारे न्याय मंत्री जो टैक्सेशन का बिल हाउस में लाये हैं, एक संस्कृत का श्लोक है जो मुझे याद नहीं पड़ता लेकिन उसका अर्थ मैं बतलाये देता हूं कि घन जब सागर से उठते हैं तो उनसे १० गुना लाभ होता है, यही बात यहां चरितार्थ होती है। हम उन्हीं को टैक्स कर रहे हैं जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, जो चोरी डकैती करते हैं, जो ब्लैक मार्केट करते हैं। जब अंग्रेजी हूकूमत थी तो इस सूबे का मालगुजारी २२ करोड़ था जिसमें ७ करोड़ खजाने में आता था और १४ करोड़ ये राजा महाराजा, ताल्लुकेदार यहीं बलिंगटन होटल में उड़ाते थे, उस पैसे को हमने बचाया। हमने जमींदारी एबोलिशन की, भूमि-धरों का हमने लगान आधा कर दिया। हमने १० गुना उनसे जरूर मांगा। किसान ने समझा कि हमने उसे सुख दिया लिहाजा उसने भी हमारी बाजू को मजबूत करने के लिये १० गुना दिया। हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। कुछ अफसरों ने हो सकता है कुछ ज्यादती की हो लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने कोई कम्पलशन नहीं डाला और पार्टीज ने, समाज वादी अथवा आर० एस० एस० वालों ने भी किसानों की दुहाई दी, उन्हीं का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि अगर किसान का नाम न लोगे तो हमारा कल्याण नहीं। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा, सदन से कि इस बिल को पास किया जाय और गवर्नमेंट के बाजू को मजबूत किया जाय और ठीक ढंग से मशीन चलाई जाय। अभी हमारे भाई ने कहा बाबू गेंदा सिंह ने जब अपनी स्पीच खत्म करने लगे कि हम इस बिल के सपोर्टर हैं। तो भाई जब आप सपोर्टर हैं तो रहिये और इतनी लम्बी चौड़ी तकरीरें करने से क्या फायदा। इसमें क्या पैसा खर्च नहीं होता। तीन बजे अगर यह बिल खत्म हो गया तो दूसरा बिल ले आते। ईमानदारी से काम करना चाहिये। जिस बिल को पास करना है उसे १० मिनट के अन्दर पास करो। एक दो आदमी डिस्कस कर लें और पास कर दें। हर बिल के लिये यह कहना कि सिलेक्ट कमेटी में भेज दो। सिलेक्ट कमेटी, सिलेक्ट का रोजाना चिल्लाना। जहां ४३० मेम्बर बैठे हों उनके विचार अनर्गल समझे जायं और थोड़े से मेम्बर सिलेक्ट कमेटी में बैठ कर विचार कर लें तो बहुत सुन्दर हो गया, यह कहां तक उचित है। मैं कतई इसका विरोधी हूं कि कोई चीज सिलेक्ट कमेटी में भेजी जाय: एक दिन के बजाय यहीं दो दिन आप बात कर लें और तै कर लिया जाय। आखिर में मैं आपके द्वारा इस सदन से अनुरोध करूंगा कि अब इस बिल को पास किया जाय और गवर्नमेंट के हाथ को मजबूत किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (ज़िला आज़मगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऊपर बहुत से सदस्यों ने सदन में अपने भाषण दिये हैं। खासकर सरकारी सदस्यों में से जिन्होंने भाषण दिया है उनके संबंध में और इस बिल की उपयोगिता के संबंध में कुछ ज़िक्र करना चाहता हूं। श्रीमन्, यह बिल जो पेश किया गया है माननीय वित्त मंत्री के भाषण के बाद तीन बातों पर विचार करना आवश्यक हो गया है। पहली बात हमारे माननीय सदस्य लक्ष्मी-रमण आचार्य ने कही कि इस बिल के पास होने से गरीब जनता पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा और इस स्टाम्प ड्यूटी के बढ़ाने से कोई बढ़ोत्तरी भी नहीं होती है। दूसरी बात माननीय वित्त मंत्री ने यह फरमाया कि अगर विरोधी दल के सदस्य सुझाव दें कि टैक्स कैसे बढ़ाया जाय और जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसकी पूर्ति कैसे की जाय, अगर इसका कोई रचनात्मक सुझाव दें तो मैं उसको मानने के लिये तैयार हूं। तीसरी बात बहुत से माननीय सदस्यों ने जिसमें श्री शिवनारायण जी भी हैं और जिनके भाषण पर बहुत करतलध्वनि हुई उसके संबंध में कहना आवश्यक नहीं समझता हूं क्योंकि उन्होंने पहली बात को दोहराया है कि राम राज्य के ज़माने में भी टैक्स लगाये जाते थे और तब से बराबर टैक्स लगाये जा रहे हैं। इन तीन चार बातों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, लक्ष्मीरमण आचार्य जी कहते हैं कि जो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जा रही है उससे ग़रीब जनता का कोई संबंध नहीं है। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि मैं गांव का रहने वाला किसान हूं और देहात में रहता हूं। लक्ष्मी रमण जी ने यह कहा था कि ग़रीब लोग तो ऐसे ही सादी पुरनोट लिख कर रुपया ले लिया करते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आज कल की गांव की हालत से आचार्य जी वाकिफ हैं। जो शब्द उन्होंने कहे हैं वे बतलाते हैं कि वे गांव से परिचित नहीं हैं। मैं भली प्रकार जानता हूं और हमारे बहुत से माननीय सदस्य इस बात को जानते होंगे कि आज गांव में ४०, ३० १० और ५ रुपया लेने वाले को भी एक काग़ज़ लिखना पड़ता है और उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगानी पड़ती है। जैसी रूप रेखा हमारे शिवनारायण जी ने खींची है वह अभी हमारे गांव के अन्दर नहीं हुई है। जिस जमाने में लोग रामराज्य में रहते थे और वह खुशहाल थे और आज अगर रामराज्य की हालत गांव में होती तो कोई भूखा न मरता, चोरी न होती और डाके भी न पड़ते और सबके घर में रोटी होती। मगर यह हालत हमारे प्रदेश में नहीं है अगर यह वास्तव में गांव की दशा हो जाय जैसा कि शिवनारायण जी ने रामराज्य की बात कही तब तो लक्ष्मीरमण जी बात सत्य हो सकती है कि लोग पुर्जा लिख कर रुपया लेते हैं और अपना काम चलाते हैं और स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाना होती है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा लक्ष्मीरमण जी से जानना चाहता हूं कि यह जो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जा रही है खासकर गांवों में इसका असर पड़ेगा। मैं भली प्रकार जानता हूं और हिम्मत के साथ यह कहना चाहता हूं कि गांवों में ही स्टाम्प ड्यूटी का असर ज्यादा पड़ेगा। हर जगह तहसील में रजिस्ट्रार का आफिस बना हुआ होता है और हर जगह रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार मौजूद रहता है, शायद ही कोई ज़िला हो कि जिस ज़िले की तहसील में रजिस्ट्रेशन की आफिस न हो और शायद ही कोई दिन हो कि जिस दिन यह रजिस्ट्रेशन का काम न होता हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं और यह बात बिलकुल ग़लत है कि इससे आमदनी बढ़ती है। मैं माननीय राजनारायण जी की इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि स्टाम्प की ड्यूटी घटाई जाय और बढ़ाई न जाय। यह अर्थ शास्त्रियों का कहना है कि जब मांग ज्यादा होती है। सामान ज्यादा पैदा होता है तो उसकी बिक्री ज्यादा हुआ करती है जब हमारे प्रदेश में स्टाम्प की ड्यूटी घटेगी तो श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करेंगे और ज्यादा लोग उसको काम में लायेंगे और इस तरह से स्टाम्प की आमदनी घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। बजट का जो उद्धरण दिया गया उससे ५१-५२ की आमदनी २ करोड़ ४३ लाख की रही और ५२-५३ में वही अब २ करोड़ ४० लाख होने जा रही है। मैं न्याय मंत्री से जानना चाहूंगा कि इसका क्या कारण है कि जब सरकारी सदस्य यह कहते हैं, जैसा कि श्री लक्ष्मी रमण जी ने कहा, कि जब सन् २५ में वह इन्क्वायरी कमेटी बनाई गयी थी उसकी उस वक्त की रिपोर्ट में और आज के जमाने में बहुत अन्तर हो गया है। आप का कहना है कि जनता की आर्थिक दशा में बड़ी उन्नति हुई है इसलिये स्टाम्प ड्यूटी भी

बढ़नी चाहियें । मैं अपने साथी श्री गेंदा सिंह जी की इस बात से सहमत हूं कि सरकार और खासतौर से हमारे प्रदेश की सरकार और सारे भारतवर्ष की सरकार उन चीजों को तो और देशों से लेना पसन्द करती है जो उसके हक़ में हों । लेकिन जो सारी जनता के हक़ में है उसको वह लेना पसन्द नहीं करती । माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने बताया कि बम्बई, मद्रास में प्रति दिन की आमदनी और हमारे प्रदेश की आमदनी क्या है । मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि यदि सरकार स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने पर तुली हुई है और सरकारी सदस्य भी हां में हां मिलाने में नहीं हिचकते हैं, लेकिन सरकार और उसकी तरफ से सब सदस्य इस ओर नही देखने की चेष्टा करते कि किस प्रकार से आज क्रय शक्ति खत्म हो गयी है और खाने पीने का सामान नहीं है उस जनता से सरकार के लोग और हमारे शिव नारायण जी जैसे जो सदन में आज भी बाबू का इस्तमाल करने में नहीं हिचकते हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या ग़रीबों पर स्टाम्प ड्यूटी लगती ही नहीं है । मैं अदब के साथ आप के द्वारा शिवनारायण जी से जानना चाहूंगा और यदि वह जवाब न दे सकेंगे तो माननीय न्याय मंत्री जी ही जबाव देंगे कि स्टाम्प ड्यूटी की जो आमदनी है वह ज्यादातर किन लोगों के घरों से आती है । और मैं भली प्रकार जानता हूं कि गांवों में अब तक यही रिवाज है । कि लोग अपने खेतों को रहन पर देते हैं और बंधक रखते हैं ।

श्री शिव नारायण---अध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब दे दूं ?

अध्यक्ष---बोलने वाले सदस्य नहीं बैठ रहे हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं यह भी जानता हूं कि गांव में उन खेतों को रहन या बन्धक कौन रखता है । गांव का सब से समृद्धशाली आदमी ग़रीबो के खेतों को रहन रखता है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अच्छी तरह से जानता हूं कि क़र्ज़ लेने में जो स्टाम्प ख़र्च किया जाता है उसका भार ग़रीब जनता पर ही जो क़र्ज़ा लेती है उस पर पड़ता है । जिन लोगों ने कहा है कि इस बिल का भार ग़रीब लोगों पर नहीं पड़ता है मैं उनसे पूछता हूं कि क्या यह बात सत्य नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी को यह भी बता देना चाहता हूं कि वे विभाग जिन्हें तोड़ कर ख़र्चा बचाया जा सकता है वे हैं मछली और मुर्ग़ी पालन विभाग और जूट विकास विभाग । मछली और मुर्ग़ी के विभाग हमारी खाद्य समस्या को हल करने के लिये खोले गये हैं । क्या इससे सचमुच हमारी यह समस्या हल होती है ? यह सब जानते हैं कि इनसे खाद्य समस्या हल होने वाली नहीं है । अगर सरकार ख़र्चा कम करना ही चाहती है तो इन विभागों को तोड़ दे । अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे देश के शासकों को सादा रहना चाहिये । बजट के सिलसिले में हमारी पार्टी की ओर से संशोधन रक्खे गये थे कि माननीय मंत्रिगण और सदस्यों तथा दूसरे लोगों को कम वेतन लेना चाहिये लेकिन वे नहीं माने गये । हम सरकार से कहेंगे कि वे उन पर पुनः विचार करे यदि वह ग़रीब जनता का बोझ हलका करना चाहती है । बार-बार कहा जाता है कि विरोधी दल के लोग रचनात्मक सुझाव नहीं देते हैं । हमारी पार्टी के रचनात्मक सुझाव हैं कि कैसे देश की ग़रीबी दूर की जा सकती है । हमने कहा है कि जितने उत्पादन के साधन हैं सबका राष्ट्रीयकरण कर दीजिये और सरकार अपने हाथों में ले ले लेकिन सरकार उन लोगों पर रहम करती चली जा रही है । वह उन्हें खुली छूट देती चली जा रही है कि वे ग़रीब जनता को लूटें और खसोटें । उनका राष्ट्रीयकरण करने के बाद सरकार देखे कि देश में सचमुच पैसा है या नही और यह देखे कि पैसा पैदा करके किन दशाओं में लगाना चाहिये । जैसे चीनी मिलें हैं । यदि सरकार उनको अपने हाथ में ले ले तो मेरा विश्वास है कि जो ४ करोड़ का घाटा बताया जाता है वह उन्हीं से पूरा हो जायगा । सरकार को प्रतिवर्ष इतना पैसा अधिक मिल जाया करेगा । इससे उसे उन लोगों पर टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी जो उसे देने योग्य नहीं हैं । जो सरकार टैक्स बढ़ाने में अपनी बचत समझती है वह दिक्क़त दूर हो जायगी । यह कहा जाता है कि हमारे पास कोई पेड़ हो

[श्री राम सुन्दर पांडये]

जिसमें से पैसा झड़ पड़े तो हम सरकार को बतावें । हम सोशलिस्ट पार्टी के लोग चाहते हैं कि खेती पर बिजली पर और जो बड़े-बड़े व्यापार हैं उन पर भी टैक्स लगे । मैं अदब के साथ, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े जो हजारों एकड़ के फार्म्स हैं उनकी ओर से सरकार के पास ऐसी दरख्वास्तें आती हैं, एम० एल० एज० वगैरा की सिफारिश आती हैं और उनके ऊपर का टैक्स माफ कर दिया जाता है । अंग्रेजी जमाने में हमारे देश के अमीरों और उद्योगपतियों पर प्रत्यक्ष कर था लेकिन यह सरकार अब अप्रत्यक्ष कर लगा रही है । इन शब्दों के साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री और न्याय मंत्री जी से अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह बात बिलकुल सही नहीं है कि स्टाम्प्स ड्यूटी बढ़ाये जाने से उसका बोझा गरीबों पर नहीं पड़ेगा । हमारे और माननीय सदस्यों ने कहा कि बहुत सुन्दर देश और राम राज्य बनाने में हम लोग लगे हुये हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसके द्वारा यह सुन्दर देश बनाने का प्रथम चरण पूरा किया जा रहा है और गरीब जनता पर ड्यूटी लगा कर राम राज्य को बनाना शुरू किया जा रहा है ? अन्त में मैं माननीय सदस्यों और माननीय मंत्रियों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय नारायण दत्त जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है कि इस विधेयक को वापिस ले लिया जाय, उस पर विचार करें ।

श्री वसी नक़वी (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी की तक़रीर से ऐसा मालूम हुआ कि उनको माननीय न्याय मंत्री जी के भाषण से कुछ ग़लत फ़हमी पैदा हो गयी थी लेकिन उस ग़लतफ़हमी को माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण से दूर हो जाना चाहिये था । हालांकि इंसान की याद इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिये । माननीय न्याय मंत्री ने अपनी ओपनिंग स्पीच में इस बात का हवाला दिया था कि माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो स्कीम्स फाइनेंस की बाबत हैं उन्हीं के मातहत यह बिल पेश हो रहा है । कल तो माननीय गेंदा सिंह जी इशारे में ही समझ रहे थे । कल जिस वक्त कि सरकारी किराये और एविक्शन का मसला यहां पेश था, जो बातें माननीय वित्त मंत्री जी ने इशारे में ही बताई थीं उन बातों को भी माननीय गेंदा सिंह जी समझ रहे थे लेकिन आज जो भाषण माननीय न्याय मंत्री जी ने दिया उसमें उन्होंने साफ-साफ यह बताया था कि यह बिल उस पालिसी के मातहत पेश किया जा रहा है जो फाइनेंस के बारे में यू० पी० की सरकार की है लेकिन यह चीज इशारे से उनकी समझ में नहीं आयी लेकिन जब वित्त मंत्री जी ने डिटेल्ड स्पीच दी तब ऐसा मालूम हुआ कि उन्होंने उसको समझा और मालूम हुआ कि वे उससे सहमत हैं । उन्होंने एक सुझाव इस सदन के सामने रखा और मैं यह समझता था कि विरोधीदल के मेंबर सोच समझ कर किसी चीज को सदन के सामने रखेंगे और जबान खोलने से पहिले खुद उस चीज को सोच लेंगे । सुझाव यह दिया गया कि वह ३२ करोड़ रुपया जो भूमिदान को अपील पर आया है उसमें से खर्च किया जाय । मुझको नहीं मालूम कि किसी सदन का यह तरीका रहा है कि उसके मुताल्लिक एक ऐक्ट पास हो जाय, एक बिल मंजूर हो जाय और यह तय हो जाय कि यह रुपया किस तरह से खर्च होगा लेकिन उस तय हो जाने के बाद फिर उसी सवाल को उठाना और यह सुझाव देना कि वह ३२ करोड़ रुपया जो है उसको स्कीमों पर खर्च किया जाय, कहां तक जायज है और कैसे विरोधी दल के सदस्य इस चीज को गवारा कर सकते हैं कि वह ऐसी ग़लत चीज सदन के सामने रखें क्यों कि यह चीज तय हो चुकी है कि जमींदारों को मुआविजा दिया जायगा और अगर एक चीज एक कानून के जरिये से तय हो चुकी है तो फिर किसी सुझाव के जरिये से कैसे रद्द हो जायगी, यह मेरी समझ में नहीं आया । फिर दूसरा सवाल इसी सिलसिले में यह भी है कि इस हुकूमत की यह पालिसी अच्छी तरह से मालूम है कि वह जमींदारी को बगैर मुआविजा दिये हुये खत्म करना नहीं चाहती और आपको मालूम होना चाहिये कि जमींदार इस ऐबालिशन के पहले एक क्लास रहे हों लेकिन उसके खात्मे के बाद उनको और किसानों को एक न समझना और उन्हें अलहदा क्लास करार देना एक ग़लती है क्योंकि मुझे मालूम है कि उन जमींदारों की क्या हालत है जो ढाई सौ या पांच सौ रुपये माल-

गुजारी देते थे। मैं इस हाउस को यह बताना चाहता हूं कि मेरे इल्म में यह चीज है कि सैकड़ों छोटे जमींदारों के घरों में फाके शुरू हो गये हैं। स्टारवेशन की नौबत आ रही है। क्या वह जो छोटे जमींदार इस देश में बसते हैं वह हमारी सोसाइटी के अंग नहीं हैं। ऐसी हालत में एक तयशुदा सवाल को बारबार उठाना और सुझाव के रूप में देना गैरमुनासिब चीज है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो सजेशन्स विरोधी दल की तरफ से आने चाहिये वह जरा सोच समझ कर आने चाहिये, उन पर काफी विचार होना चाहिये, महज यह नहीं कि जिस वक्त सुझाव मांगे जायं उस वक्त कोई न कोई सुझाव किसी नवइयत का हो उसको सदन के सामने और गैलरीज के साथ प्ले करने के लिये दे दिये जायं, यह कोई अच्छी पालिसी नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री जी का जो भाषण हुआ है उसकी ताइद करता हूं और जिसमें उन्होंने हालात को बतलाया है कि जिसकी वजह से यह लाया गया है और वह यह है कि यह टैक्स किसी की जाती मसरफ में आने वाला नहीं है बल्कि जनता की भलाई के लिये, जनता के सोर्सेज आफ़ इन्कम को बढ़ाने के लिये टैक्स लगाया जा रहा है, मैं इसकी पूरी क़ुवत के साथ सपोर्ट करता हूं

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—इस विधेयक पर काफी बहस मुबाहिसा हो चुका है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि बहस को अब बन्द किया जाय।

राजा विरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—मैं यह चाहता हूं कि अभी और बहस होने दी जाय।

अध्यक्ष—काफी बहस हो चुकी है। प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)—अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस वक्त कि यह बिल पेश किया था मैंने यह समझा कि कोई बहुत ज्यादा लम्बी चौड़ी तक़रीर करने की जरूरत नहीं है, मगर शायद यह मेरी गलतफ़हमी थी कि मैंने यह नहीं महसूस किया कि यह टैक्सेशन मेजर है और टैक्सेशन की जरूरत चाहे जितनी भी सही हो, और उसका बोझ चाहे जितना कम हो और बाकायदा हो लेकिन उसकी मुखालिफत शद्दोमद के साथ करना विरोधी दल के ऊपर करीब करीब लाजिमी चीज है। बहरहाल, जो कुछ मैंने शुरू में अर्ज किया था वह यही था कि टैक्स की जरूरत की तशरीह करना मुझको इस वक्त नहीं है। मैं सिर्फ एक ऐसा मेजर पेश कर रहा हूं जिसके जरिये से स्टाम्प ड्यूटी में कुछ इजाफा किया गया है। वह इजाफा बावजूद होने के उन इजाफ़ों से और स्टाम्प ड्यूटी से जो दूसरे सूबों में है कम है। लेकिन सिर्फ यह कहने की वजह से उधर से बहुत से मसायल ऐसे छेड़ दिये गये हैं और ऐसे सवाल उठा दिये गये जो करीब करीब सूबे के हर एक्नामिक पहलू के ऊपर अपना असर डालते हैं। मैं ज्यादा तफसील से जवाब देता, लेकिन मेरे ख़याल में जो तकरीर अभी शिवनारायण जी की हुई है उसमें बहुत सी बातों का जो उधर से उठाई गई हैं जवाब दे दिया है। लिहाजा अब उस तक़रीर के बाद मेरा काम बहुत कुछ हल्का हो जाता है। चन्द बातें रह जाती हैं जिनके मुताल्लिक़ मैं इस हाउस के सामने अर्ज करना चाहता हूं।

पहली चीज तो यह है कि मुझे अभी इसका इन्तजार है कि विरोधी दल की तरफ से कोई ऐसी तजवीज पेश होती या यह कि हमारे किसी ऐसे टैक्सेशन की ताईद होती जिसको वह समझते कि यह सही तौर से लगाया जा रहा है। अभी तक हमारा अन्दाजा यही है कि जो भी टैक्सेशन का मेजर होता है उसकी मुखालिफत की जाती है। जहां तक इस बिल का ताल्लुक़ है मैं तशरीह के साथ बता देना चाहता हूं। इसके दो हिस्से हैं। स्म्टाप ड्यूटी जैसी कि बजट में दिखलायी जाती है यानी २ करोड़ ४० लाख रुपया उसमें एक तो जुडीशियल स्टाम्प होता है और दूसरा नानजुडीशियल स्टाम्प। जहां तक जुडीशियल स्टाम्प का ताल्लुक़ है उसकी आमदनी तक़रीबन पौने दो करोड़ के क़रीब होती है। ज्यादातर रक़म उसीकी होती है। उसके मुताल्लिक कोर्ट फीस ऐक्ट है जो अभी चन्द दिन हुये मैंने पेश किया था जिसमें बहुत मामूली

रक़म बढ़ायी गयी है । जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था महज़ फिगर्स राउण्ड आफ करने के लिये

[श्री सैयद अली ज़हीर]

वह बिल पेश किया गया था । आज का जो बिल ह, सिर्फ नानजुडीशियल स्टाम्प के मुताल्लिक है और इस जरिये से सूबे की आमदनी इस वक्त महज ७२ लाख के होती है और अगर ७२ लाख में तकरीबन २५ फीसदी का इजाफा किया जाय तो १८,१९ लाख के क़रीब आमदनी बढ़ेगी। यह बिल एक निहायत माडरेट मेजर है और इसके ऊपर तरीके से कोई ऐतराज नहीं किया जा सकता है । बहरहाल, बहुत से जो ऐतराजात किये गये हैं और उनको देखा जायगा तो यह मालूम होगा कि उनमें कोई ज्यादा वकत नहीं है । मसलन यह कहा गया कि आपने जो यह कहा है कि मद्रास और बम्बई के मुकाबले में हमारे यहां का टैक्सेशन कम है । लेकिन मद्रास और बम्बई के मुकाबले में बाज चीजों में हमारे यहां ज्यादा है। मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर पूरी लिस्ट देखी जाय तो उससे यह बात साबित होगी कि जैसा मैंने अर्ज किया था, बम्बई और मद्रास से हमारे यहां टैक्सेशन अब भी कम है और हमने उससे ज्यादा अब भी नहीं बढ़ाया है। दो एक रकमें ऐसी जरूर हैं जिन पर हमारे यहां कुछ टैक्स ज्यादा है। लेकिन वह निहायत मामूली फर्क है और वह ऐसा नही है जिसके ऊपर ज्यादा अहमियत दी जा सके। मसलन आइटम नम्बर एक है, यानी ऐक्नालेजमेंट आफ डेट। इसकी शरह बिहार में चार आने है। मध्य प्रदेश में दो आने हैं। बम्बई और मद्रास में डेढ़ आने। इसको हमने अब बढ़ा कर चार आने कर दिया है, जो कि बिहार के बराबर है । लेकिन बरखिलाफ इसके जो और टैक्स हैं मसलन ऐडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड का जहां तक ताल्लुक है मद्रास में १५ रुपये हैं, बम्बई में १५ रुपये हैं और हमारे यहां साढ़े बारह रुपये था। अब इसको बढ़ा कर १५ रुपये करने जा रहे हैं। इसी तरह एडाप्शन डीड में है। बम्बई में तीस रुपये है, मद्रास में साढ़े बाइस रुपये । हमारे यहां २५ रुपये था । उसको अब बढ़ा कर ३० रुपये करने जा रहे हैं। इसी तरह से ऐफीडेविट का है। हमारे यहां ढाई रुपये था, बम्बई में और मद्रास में ३ रुपये था। इसको बढ़ा कर अब हम तीन रुपये करने जा रहे हैं। एग्रीमेंट जो है यह एक ऐसा केस है जिसका असर बहुत सी और दफात के ऊपर इस कानून की पड़ता है । बम्बई, मद्रास में डेढ़ रुपया फ़ी हजार था, इसको हम बढ़ा करके २ रु० करने जा रहे हैं। इसी तौर से अगर दफात देखी जायं, मसलन ६, चूंकि यह बहुत तवील है, लेकिन अगर उसका भी मुकाबिला किया जायगा तो मालूम होगा कि जहां तक बम्बई और मद्रास का ताल्लुक है हमने जो टैक्स रखा है, जो ड्यूटी मुकर्रर की है वह दफा ६ में भी इन दोनों सूबों के मुकाबले में कम है ।

दफ़ा ७ में इसी तौर से बम्बई में ४५ हजार और मद्रास में साढ़े सैंतिस हजार है। इसको बढ़ा करके हम साढ़े सैंतिस हजार करने जा रहे हैं। अब ८ में इसी तौर से अप्रेजमेंट आर वैलुएशन है। इसके मुताल्लिक यही कहना है कि बम्बई में १५० है और मद्रास में १०० हैं, अपने यहां १०० करने जा रहे हैं। इसी तौर से आप देखेंगे कि तकरीबन जितनी और दफात हैं उनमें हमने सही फर्क रखा है और बम्बई और मद्रास से अक्सर चीजों में हमारे यहां के जो टैक्सेशन हैं वह कम हैं। तो ८ और ९ में बम्बई और मद्रास से कम हैं। इसी तौर से आर्टिकल १५ में इसका स्ट्रक्चर, जिस तरह से ड्यूटी लगाई जाती है वह हमने बदल दिया है और गोकि वहां के ऊपर ड्यूटी मुकर्रर कर चुके हैं, १५ रुपये की मैग्जिमम और हमारे यहां वह ड्यूटी साढ़े नौ थी लेकिन हमने उसको बदल करके, उसकी शक्ल बदल करके, शक्ल दूसरी कर दी है। बहरहाल यह चीजें ऐसी हैं कि जिस वक्त आइटम्स पर आइंदा बहस होगी तो उनका अलग अलग जिक्र आवेगा। तो मैं ज्यादा तफसील से नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उधर से यह इल्जाम लगाया गया कि जो हमने कहा है अपने बिल में कि हमारा मद्रास और बम्बई के मुकाबिले में टैक्सेशन कम था और हम बराबर कर रहे हैं, यह बात सही नहीं कही गयी और वह ठीक है जो मैंने कहा । और वाकई अगर देखा जाय तो और दूसरे

सूबों के मुकाबिले में यहां की रकमें बढ़ाने के बावजूद जो हमने रखी हैं वह ऐसी नहीं हैं कि जिनके ऊपर कोई ऐतराज किया जा सके।

दौरान बहस में यह भी कहा गया कि हमने बहुत सी ऐसी चीजों के ऊपर कुछ टैक्स बढ़ाया है कि जिनका कि कोई इस्तेमाल हमारे यहां नहीं हो सकता। यह भी मजाक उड़ाया गया कि हमारे सूबे में चूंकि कोई समुद्र नहीं है लिहाजा यहां के ऊपर हमें टैक्स बढ़ाने से क्या फायदा, हम उसको किस काम में लायेंगे? मेरे दोस्त गालिबन यह भूल गये कि यह टैक्स तो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई गयी है और यह मतलब नहीं है कि जब तक यहां समुद्र न हो तो उसके मुताल्लिक कोई दस्तावेज भी नहीं हो सकता और कागज भी नहीं लिखा जा सकता। अगर कागज हमारे यहां लिखा गया, चाहे जहाज कहीं पर हो और लिखा जाय इस सूबे में तो बाहरहाल उसकी ड्यूटी को तो हमें मुकर्रर करना ही है और उस ड्यूटी को हमने बढ़ा करके २५ फीसदी के हिसाब से बढ़ा दिया है और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं किया है। लिहाजा इस किस्म के ऐतराज, मैं यह अर्ज करूंगा कि यह कोई ऐतराज नहीं हैं और न इस बिल के दुरुस्त करने में कोई असर पड़ता है।

इसके बाद और बहुत सी बहसें की गयीं और यह कहा गया कि और किस्म के टैक्सेज क्यों नहीं लगाये जाते, दौलतमन्दों के ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगाते हैं और जिनके पास बड़े बड़े फार्म्स हैं उनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाते। मुझे कुछ ज्यादा इसके सिलसिले में अर्ज करना नहीं है। यह बात आप जानते हैं और गालिबन हमारे दोस्त भूल गये बहस करते वक्त कि जहां तक ऐसे टैक्सेज का ताल्लुक है वह तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को महज अख्तियार है कि वह टैक्स लगाये। इन्कम वगैरह के ऊपर या जो बड़ीबड़ी दौलतें हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना हमारे अख्तियार में नहीं है। जो टैक्सेज हम लगा सकते हैं उसकी एक फेहरिस्त कांस्टीट्यूशन में दी हुई है और वे ही टैक्सेज हम घटाबढ़ा सकते हैं और लगा सकते हैं। लेकिन जो टैक्सेज हमारे अख्तियार में नहीं, वे अगर हम चाहें तो भी उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल, जो टेक्सेज हमारे अख्तियार में हैं वह जैसा मैंने अर्ज किया, उसके मुताल्लिक आइन्दा बिल पेश होंगे और बहस करने का मौका मिलेगा और में इसका इन्तजार करूंगा कि कोई ऐसा टैक्स हमारी तरफ से पेश हो कि जिसका हमारे विरोधी दल के जो लोग हैं वे खैरमकदम करें और कहें कि यह टैक्स मंजूर है।

मद्रास और बम्बई के मुताल्लिक यह भी कहा गया है कि वहां चूंकि उन्होंने शराब बन्द कर दी है लिहाजा उनको जरूरत पड़ी कि वे इन टैक्सेज को बढ़ायें। जहां तक मुझे पता चला है सिर्फ यही नहीं बल्कि और न मालूम कितने टैक्स उन्होंने बढ़ा रखे हैं। और अगर पर कैपिटा पूरे सूबे की टैक्सेशन की रकम का हिसाब लगाया जाय तो गालिबन यह मालूम होगा कि बम्बई और मद्रास का जो पर कैपिटा टैक्सेशन है वह हमारे यहां के पर कैपिटा टैक्सेशन से ज्यादा है। इसलिये यह बहस करना कि महज इस वजह से स्टैम्प ड्यूटी वहां ज्यादा है कि उन्होंने अपने सूबे को ड्राई कर दिया है तो मेरे ख्याल में यह बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि अगर आपको यह देखना है कि कमी को उन्होंने कहां कहां पूरा किया है तो उनके पूरे टैक्सेशन स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। इस सिलसिले में मैं यह भी अर्ज कर दूं कि जो आपने यह कहा कि वहां के ऊपर डाकूमेंट्स बहुत ज्यादा रजिस्टर होते हैं तो यह सही है। हम भी सोच रहे हैं कि कोई स्कीम इस किस्म की यहां बनायें जिससे हमारे यहां की जो रूरल पापुलेशन है वह भी अपनी दस्तावेजात को आसानी के साथ रजिस्टर करा सके और एक नार्मल फीस दे कर उसकी हिफाजत हो सके। यह एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसको जब हम वर्क आउट कर चुकेंगे तो हाउस के सामने पेश करेंगे। लेकिन यह बात याद रखनी है कि हमारे यहां अभी तक तो जमींदारी सिस्टम था जिसकी वजह से यहां डाकुमेंट्स काम रजिस्टर होते थे लेकिन मद्रास वगैरह में इतनी बड़ीबड़ी जमींदारी नहीं हैं, वहां रैयतवारी सिस्टम बहुत अर्से से चला आता है। लेकिन बावजूद इसके हमारे यहां से वहां की आमदनी किस कदर कम थी। लिहाजा मैं यह अर्ज करूंगा कि ये सब बातें जो कही गयी हैं इनसे कोई इस बिल का जो मकसद है और जो गरज है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता।

[श्री सैयद अली जहीर]

एक ऐतराज यह भी किया गया कि साहब, यह टैक्सेशन मेजर फाइनेन्स कमेटी के सामने क्यों नहीं पेश किया, बजट को तो आपने इसलिये पेश नहीं किया था कि आपको वक्त नहीं मिला। मैं निहायत अदब से यह अर्ज करूंगा कि कांस्टीट्यूशन जो है और जो फाइनेन्स कमेटी के काम का स्कोप है वह गालिबन मेरे दोस्त के खयाल से उतर गया, क्योंकि जहां तक फाइनेंस कमेटी का ताल्लुक है उसकी गरज तो सिर्फ इतनी है कि वह अखराजात को देखे और जो नये अखराजात किये जा रहे हैं उनको वह जांचे कि ये कहां तक सही हैं और इनमें क्या रद्दोबदल होना चाहिये। इन्कम क्या है और टैक्सेज क्या हैं और किस तरह से इन्कम बढ़ायी जायगी। इससे फाइनेंस कमेटी को कोई वास्ता नहीं है। यह मामलात न कभी फाइनेंस कमेटी में जाते थे और न आयन्दा जायेंगे। इसलिये इसको फाइनेंस कमेटी के सामने पेश करने की कोई जरूरत नहीं है और बाकी जो बातें हैं उनके मुताल्लिक जैसा कि मैंने अर्ज किया कि श्री शिवनारायण जी ने निहायत मुकम्मिल तौर पर जवाब दे दिया है। मैं हाउस का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और उम्मेद करता हूं कि यह मंजूर किया जायगा।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१३३

विपक्ष में--१३।)

अध्यक्ष--अब संशोधन कल किये जायेंगे और मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं।

आगरा विश्वविद्यालय की सीनेट के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

अध्यक्ष--आगरा यूनीवर्सिटी सिनेट के लिये ४ सदस्यों के स्थानों के लिये चुनाव होना है। उसके संबंध में कल मैंने सूचना दी थी कि ५ नामांकन हुये हैं श्री विश्वम्भर-नाथ पांडेय, श्री राधा कृष्ण अग्रवाल, श्री विश्वम्भर सिंह (मेरठ), श्री विष्णुदयाल और श्री इस्तफा हुसेन (गोरखपुर)।

नाम वापस लेने की तिथि कल थी तीन तारीख को और तीन बजे तक नाम वापस लिये जा सकते थे लेकिन किसी ने कल नाम वापस नहीं लिया। आज मेरे पास श्री विश्वम्भर-नाथ पांडेय जी की प्रार्थना सदन के लिये आई है कि वह अपनी नामजदगी वापस लेना चाहते हैं। ऐसी सूरत में मैं तो वापस ले नहीं सकता, लेकिन सदन की अनुमति हो तो यह नाम वापस लिया जा सकता है और चुनाव की कोई आवश्यकता फिर बाकी नहीं रहेगी। जो सदस्य इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं वह हां कहें (हां की तादाद अधिक होने पर) तो यह प्रार्थना स्वीकार की गई और माननीय विश्वम्भर नाथ पांडेय जी का नाम वापस हुआ। चार स्थान थे और चार ही माननीय सदस्य इसके लिये अब नामांकन हुये हैं। इसलिये मैं यह घोषित करता हूं कि श्री राधा कृष्ण अग्रवाल, श्री विश्वम्भर सिंह (मेरठ) और श्रीइस्तफा हुसेन (गोरखपुर) और श्री विष्णुदयाल जी आगरा विश्वविद्यालय के लिये चुने गये।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
४ सितम्बर, १९५२।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये ४ सितम्बर, १९५२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीठे पृष्ठ १८५ पर)

ब्रजविहारी मेहरोत्रा, एम० एल० ए०

विधायक निवास, लखनऊ
२५-७-५२ ।

माननीय श्री हुकुम सिंह जी,
उद्योग मंत्री, लखनऊ ।
श्रीमान्

कल दोपहर में आपके अनुरोध से अपने कुछ साथियों के साथ गवर्नमेंट प्रसीशन फैक्टरी देखने पहुंचा था। फैक्टरी के संचालक ने प्रत्येक विभागों में बनने वाले पुर्जों को ब्योरेवार दिखलाया ।

इस फैक्टरी में जल मीटर, खुर्दबीन और रेडियो सेट बनते और तैयार शुदा देखे। इन्हें देख कर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस उद्योग द्वारा देश की एक बड़ी मांग की पूर्ति हो रही है।

हो सकता है कि अभी इस उद्योग में लगे हुये मूलधन द्वारा आर्थिक लाभ न होता हो पर निकट भविष्य में लाभ की आशा की जा सकती है। कुछ युवक और युवतियों को फैक्टरी में काम सीखने की और इन मशीनों में काम करने की ट्रेनिंग दी जाते देखा। यह प्रयास सत्युत्य है। इस प्रकार कुछ लोगों को काम भी मिलेगा और टेक्नीश्यिन कारीगरों की कमी भी न पड़ेगी। यह हमारी शुभ कामना है कि उद्योग सफल हो। इति

ब्रजविहारी मेहरोत्रा,
ह० शिवराम पाण्डेय।

To

THE HON'BLE MINISTER FOR INDUSTRIES,
UTTAR PRADESH, LUCKNOW.

SIR,

I HAD the good fortune of seeing Government Precision Instruments Factory, Lucknow, on 26th July along with some other M. L. A. colleagues.

I am glad to put before you my observations about this factory and being a non-technical man, I shall not attempt to go into the technical details.

Besides repair work on different types of meters and other types of delicate instruments, I saw in process of manufacture and assembly, Water Meters, Microscopes, Radio receiving sets.

The half inch water meters, the main item of this concern is a hundred per cent. manufacture of this factory. This is an acheivement of which we can rightly be proud, especially as up to now the water meters used to be imported from outside. I have come to the conclusion from this that we can straight take to the manufacture of clocks as most of the parts of the water meters are like those used in clocks.

In the manufacture of Microscopes the only parts imported are Opticals, but in case of Radio receiving sets most of the parts are imported from outside, and herein, I shall request you to give your special attention so that every new day we are importing one part less.

The efficiency of Microscopes can only be commented upon after the reports that we have from the users of these sets, but the general appearance of the finish and the external handling of the set seems to be that the work has been done very well. The prices of the Meters and Microscopes as told to us do speak highly of the low cost of production. The report received about the working of the meters is praiseworthy.

The prices of the Radio sets are comparatively higher to those manufactured in other Indian concerns, but we hope in the near future the prices will compete favourably with other local made sets.

The workers and the apprentices seem to be satisfied and interested in their work. The employment of ladies and training them as technicians is a praiseworthly beginning.

In conclusion I will like to thank the German Incharge and his assistant for the courtesy that they extended to us and for the valuable time.

I hope under your worthy guidance the industries will prosper as can be judged from this factory which is the beginning of that time when our State will be fully industrialised.

Yours faithfully,
BHAGWAN SAHAI,
M. L. A.

Dated July 26, 1952.

नत्थी 'ख'

(देखिये ४ सितम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ. १९१ पर)

श्री द्वारिका प्रसाद पान्डेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९ के उत्तर में उल्लिखित सूची।

सन् १९५१ से जून, १९५२ तक गोरखपुर जिले में निजी जंगल तथा बागों में वृक्ष कटाने की सूचना

जमींदार का नाम	ग्राम का नाम जिसमें जंगल या बाग़ स्थित हैं	किस आधार पर वृक्ष काटने के लिये आज्ञा दी गई
	निजी जंगल	
१—श्री महादेव प्रसाद आदि गोरखपुर	विलासपुर	स्वीकृत कार्य योजनाओं के अनुसार।
२—,, विनय रतन बैनर्जी, बनारस	चन्दन चौकी	
३—,, राजा साहिब मझौली	बघवा	
४—,, गिरधारू दास	पिपरा रसुलपुर	
५—,, महादेव प्रसाद आदि	तुलसीपुर	
६—,, नन्दन केवट आदि	बिलटिकरा	
७—,, हरख चन्द एस्टेट	भरतपुर और लछमनपुर	
	बाग़	
१—श्री महन्त सुखदेव दास	हरनई	अच्छे प्रकार के फल वाले वृक्षों से बाग़ को रोपण करने के लिये।
२—श्री जानकी जीवन ठाकुर जी आदि	कल्यानपुर	नेशनल इंटर कालेज, बरहलगंज को इमारतों और खेल के मैदान के लिये जमींन की जरूरत पूरी करने के लिये।
३—लेहरा एस्टेट	लेहरा एस्टेट	बाढ़ग्रस्त तथा आग लग जाने से पीड़ित ग्राम निवासियों को मकान वा छप्पर बनाने के लिय।

नत्थी 'ग'

पारिशिष्ट क

(देखिये ४ सितम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०१ पर)

मिल का नाम	पेरे गये गन्ने का परिमाण लाख मन में	उत्पादित चीनी का परिमाण लाख मन में	कुल पेरे गये गन्ने का मूल्य लाख रु० में	७ जुलाई, ५२ तक दिया गया मूल्य लाख रुपय में
१—देव बन्द	५३·१९	५·०३५	८७·४९	४४·८५
२—लक्सर	५७·२७	५·३७३	९३·९९	६२·४२
३—सहारनपुर	६६·९०	५·८२७	१०१·५७	५६·५०
४—मन्सूरपुर	५५·१७	४·८०६	८७·८८	५६·८८
५—खतौली	४९·५५	४·२३९	७८·७७	४१·८८
६—रोहाना कलां	५५·६४	४·८७१	८८·१८	५८·१६
७—शामली	६५·५३	५·७७०	१०५·८१	७३·३४
८—तखौली	३४·८२	२·९०४	५४·७०	२७·६६
९—दौराला	६०·९२	४·८९४	९६·९९	६५·४३
१०—मलियाना	४६·५९	४·१४०	७४ ८५	४०·७७
११—मोहउद्दीनपुर	४१·०९	३·६५०	६६ ४८	३९·८१
१२—मोदीनगर	४२·५२	३·५७६	६९ ०९	४७·२४
१३—सिम्वाली	४६·०२	४·२४०	७५·६७	४७·७२
१४—मवाना	४५·६६	३·९२२	७३·३९	५४·४०
१५—दोईवाला	२२·११	१·८६७	३४·८८	२४·५१
१६—अब्दुल्लाहपुर (पू० पंजाब)	..	..	३५·३७	१६·३६
पूरे मेरठ क्षेत्र के लिये	७४२·९८	६५·११४	१२२५·११	७५७·९३

मिल का नाम	पेरे गये गन्ने का परिणाम लाख मन में	उत्पादित चीनी का परिणाम लाख मन में	कुल पेरे गये गन्ने का मूल्य लाख रुपये में	७ जुलाई, १९५२ तक दिया गया मूल्य लाख रुपये में
१७—काशीपुर	२९·८३	२·५७०	४९·४६	३५·७१
१८—नेवली	४२·१६	४·०७०	७३·४७	५८·१०
१९—अमरोहा	५५·१६	५·१३३	९०·२१	५०·७७
२०—बिलारी	५१·५५	४·८८०	९०·४१	३८·०१
२१—बहेरी	५०·०६	४·३५४	८०·७४	५२·४९
२२—बरेली	३४·७८	३·२३०	५७·४१	३६·३१
२३—पीलीभीत	६९·६४	६·४८५	११९·८३	८४·२६
२४—धामपुर	४७·७७	४·११४	७५·६९	३३·८२
२५—बिजनौर	४४·६२	४·१५३	७४·६९	१९·४३
२६—सिवहारा	८६·६८	८·०३०	१४१·८२	९६·४१
२७—रोसा	२३·५६	२·०९५	४१·०२	२०·७६
२८—गोकुलनगर	२३·४३	१·९८३	३८·७४	२०·६०
२९—रामपुर (रजा बुलंद)	१००·२३	८·९८२	१६०·९८	११८·३४
पूरे रोहेलखंड क्षेत्र के लिये	६५०·४७	६०·०८६	१०९४·४७	६६५·०१
३०—बुढ़वल	२२·५२	२·१००	३९·०६	२२·९०
३१—बाराबंकी	३२·६०	३·०७३	५५·२६	३५·६०
३२—हरदोई	५१·०८	४·८२५	८१·८१	६५·५४
३३—मसोधा	३३·६७	३·२२९	५८·७३	४९·८५
३४—बिसवां	३४·४१	३·२०३	५८·९६	५१·०९
३५—महोली	५१·३२	४·९८६	८७·६७	६९·७५

मिल का नाम	पेरे गये गन्ने का परिणाम लाख मन में	उत्पादित चीनी का परिणाम लाख मन में	कुल पेरे गये गन्ने का मूल्य लाख रुपयों में	७ जलाई, १९५२ तक दिया गया मूल्य लाख रुपयों में
३६—हरगांव	८९·८२	८·५८८	१५३·४६	११७·०८
३७—आयरा	१७·७३	१·५७२	३०·३९	२०·८६
३८—गोला	९९·४९	९·७६७	१७१·०९	१४१·१३
३९—शाहगंज	१८·९१	१·७०५	३३·०८	२९·६०
पूरे मध्य क्षेत्र के लिये	४५१·५५	४३·०४८	७६९·६०	६०३·४०
४०—खलीलाबाद	१३·६८	१·३०८	२४·२०	२४·१९
४१—मुंडेखन	१५·६८	१·६०९	२९·८६	२६·५५
४२—बस्ती	२१·५०	२·२२८	३७·४६	३६·७३
४३—वाल्टरगंज	१७·७३	१·८००	३१·०७	३१·०६
४४—बभनान	२०·९५	२·१४४	३६·६७	३६·६४
४५—नवाब गंज	३४·६४	३·३४५	६०·६७	५७·८४
४६—तुलसीपुर	१७·८०	१·६६१	३१·६३	३१·४२
४७—बलरामपुर	२१·५४	२·०३०	३७·२७	३६·९७
४८—जरवल रोड	३१·१७	२·८२३	५२.६९	३९·००
मध्य पूर्व क्षेत्र के लिये	१९४·६९	१८·९४८	३३८·५२	३२०·४०
४९—परतावपुर	१९·०४	१·९६४	३३·७१	३३·११
५०—बैतालपुर	२२·७९	२·३४६	३९·४८	३८·७६
५१—गौरी बाजार	१७·८८	१·८८९	३१·१६	३०·९९
५२—देवरिया	२१·०९	२·०८१	३६·४९	३५·५९
५३—कैप्टेनगंज	२१·८८	२·१६०	३८.२१	३६·७६

मिल का नाम	पेरे गये गन्ने का परिणाम लाख मन में	उत्पादित चिनी का परिणाम लाख मन में	कुल पेरे गये गन्ने का मूल्य लाख रुपयों में	७ जुलाई, १९५२ तक दिया गया मूल्य लाख रुपयों में
५४—खड्डा	२२·३९	२·०७७	३९·१९	३४·८८
५५—छितौनी	२०·४६	२·०९०	३५·८०	३४·५९
५६—लक्ष्मीगंज	१५·४८	१·५१०	२७·०८	१९·१४
५७—रामकोला (खेताव)	१६.११	१.६१३	२८.२०	२३.१३
५८—रामकोला (पंजाबी)	२७.००	२.७२५	४७.२६	४७.१९
५९—पडरौना	२४.३१	२.३७५	४२.५४	३६.९४
६०—कठकुइयां	१५.७७	१.५१०	२७.५९	२२.९३
६१—सिवराही	२३.३३	२.३६१	४०.८३	३९.३८
६२—सरदार नगर	५४.१३	५.७६२	९३.७४	९१.२९
६३—पिपराइच (डायमंड)	१९.५५	१.९१३	३४.३०	२८.४३
६४—घुघली	२०.५४	२.०५१	३५.८३	३५.५७
६५—सिसवा बाज़ार	१९.४०	१.८३३	३३.८७	३३.६८
६६—फरेंदा	१९.९८	१.९८९	३५.४३	३४.४३
पूरे पूर्वी क्षेत्र के लिये	४०१.१३	४०.२४९	७००.८१	६५६.६०
पूरे प्रांत के लिये	२४४९.८२	२२७.४४५	४१२८.५१	३००३.३४

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०१ पर)

परिशिष्ट ख

पिछले वर्ष के गन्ने का मूल्य जो अभी तक भुगतान नहीं हुआ है

मिल का नाम	बकाया राशि लाख रुपये में	किस सोसाइटी को देना है
१—मंसूरपुर	.०१	मंसूरपुर
२—खतौली	.०६	खतौली
३—सिम्भावली	.७५	सिम्भावली
४—दोईवाला	.०२	दोईवाला
५—पीलीभीत	.०५	पीलीभीत
६—रामपुर (बुलंद व रजा)	.०७	रामपुर
७—बाराबंकी	.३५	बाराबंकी
८—हरदोई	.०३	हरदोई
९—मसोधा	.०४	फैजाबाद
१०—हरगांव	.०६	हरगांव
११—आयरा	.०४	आयरा
१२—गोला	.०५	गोला
१३—शाहगंज	.०४	शाहगंज
१४—खलीलाबाद	.०१	खलीलाबाद
१५—बस्ती	.०१	बस्ती
१६—तुलसीपुर	.०१	तुलसीपुर
१७—बलरामपुर	.१०	बलरामपुर
१८—जरवल रोड	.०४	जरवल रोड
१९—बैतालपुर	.०८	बैतालपुर
२०—देवरिया	.०६	देवरिया
२१—कैप्टनगंज	.०३	कैप्टनगंज
२२—लक्ष्मीगंज	.७२	लक्ष्मीगंज
२३—रामकोला (खेताव)	.०९	रामकोला (खेताव)
२४—कठकुइयां	.०५	कठकुइयां
	२.७७	
	.२१०	भटनी मिल जो कि बन्द है, से पाना है।
	२.९८	

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—८३ एल० ए०—१९५२—८५० ।